



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 513]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 17, 2011/भाद्र 26, 1933

No. 513]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 17, 2011/BHADRA 26, 1933

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2011

सा.का.नि. 694(अ).—अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2011 का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार विस्फोटक अधिनियम, 1984 (1984 का 4) की धारा 5 और धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार उससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र को जनता को उपलब्ध कराए जाने के पैंतालीस दिन के पश्चात् विचार किया जाएगा;

आक्षेप अथवा सुझाव संयुक्त सचिव, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, कक्ष सं. 135, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110017, ईमेल : prasad.chaitanya@nic.in को भेजे जा सकेंगे;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से यथाविनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व प्राप्त किसी आक्षेप अथवा सुझाव पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप नियम

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2011 है ।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) “अधिनियम” से विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) अभिप्रेत है;

(ख) “अमोनियम नाइट्रेट” से रासायनिक फार्मूला NH_4NO_3 वाला यौगिक अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत अमोनियम नाइट्रेट सहित भार के आधार पर कोई मिश्रण या यौगिक भी है 45 प्रतिशत से अधिक (अकार्बनिक नाइट्रेट सहित या उसके बगैर) पायस, निलंबन, गलित या जेल हो, किन्तु उसमें पायस या विच्छिन्न विस्फोटक और गैर-विस्फोटक पायसी मैट्रिक्स और उर्वरक सम्मिलित नहीं है जिससे किसी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अमोनियम नाइट्रेट न प्राप्त किया जा सके;

(ग) “मुख्य नियंत्रक” से मुख्य विस्फोटक नियंत्रक अभिप्रेत है;

(घ) “सक्षम व्यक्ति” से मुख्य नियंत्रक द्वारा मान्यता प्राप्त वह कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे यथास्थिति, अमोनियम नाइट्रेट के सुरक्षित विनिर्माण, रूपांतरण, भण्डारण, परिवहन

और हथालने में पर्याप्त रूप से अनुभव और पूर्णतः सुपरिचित हो;

(ड) “नियंत्रक” के अंतर्गत संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, विस्फोटक नियंत्रक और उप विस्फोटक नियंत्रक भी है;

(च) “संपरिवर्तक” से कोई व्यक्ति या अभिकरण अभिप्रेत है जिसे अमोनियम नाइट्रेट के ठोस रूप को गलन रूप में या अमोनियम नाइट्रेट के गलन रूप को ठोस रूप में परिवर्तित करने का कार्य करता है;

(छ) “संरक्षक” के अंतर्गत व्यक्ति या अभिकरण अथवा कंपनी भी है जो भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 7 के अधीन किसी पत्तन के संरक्षक के रूप में नियुक्त अधिकारी या व्यक्तियों के निकाय के प्राधिकार के अधीन कार्य करता हो;

(ज) “जिला प्राधिकारी” से, -

(i) नगरों में जिनका एक पुलिस आयुक्त, पुलिस आयुक्त अथवा उप पुलिस आयुक्त है;

(ii) किन्हीं अन्य स्थानों में, जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है ;

(झ) “विभागीय परीक्षण स्थान” से पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन का परीक्षण स्थान अभिप्रेत है;

(ञ) “विस्फोटक” से विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 4 के खण्ड (घ) के अधीन यथा परिभाषित विस्फोटक अभिप्रेत है;

(ट) “पायस विस्फोटक” और “गैर-विस्फोटक पायस मैट्रिक्स” का वही अभिप्राय होगा जो विस्फोटक नियम, 2008 के अधीन परिभाषित है;

(ठ) “प्ररूप” से इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट प्ररूप अभिप्रेत है;

(ड) “अनुज्ञप्ति” से अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, रूपान्तरण, आयात, निर्यात, पोत भारण, पेटी में बंद करने, परिवहन, कब्जे में रखने, विक्रय और उपयोग करने के लिए पूर्व-अपेक्षित दस्तावेज अभिप्रेत है;

(ढ) “अनुज्ञप्ति प्राधिकारी” से अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ण) “अधिष्ठाता” से किसी परिसर के संबंध में कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका परिसर पर नियंत्रण है और जो परिसर के मामलों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है और जिसके अंतर्गत अमोनियम नाइट्रेट के संबंध में, वह व्यक्ति भी है जिसके कब्जे में अमोनियम नाइट्रेट है:

परन्तु—

(i) सांपत्तिक फर्म के संबंध में स्वामी; या

(ii) भागीदारी फर्म के संबंध में अन्य सभी साझेदारों द्वारा लिखित में नामित साझेदार; या

(iii) कम्पनी के संबंध में, निदेशक बोर्ड द्वारा लिखित में नामनिर्दिष्ट निदेशक या कोई अन्य व्यक्ति; या

(iv) सोसाइटी या संगम के संबंध में, शासी निकाय द्वारा लिखित में नामित पदाधिकारी,

को अधिष्ठाता समझा जाएगा;

(त) “पिछिल विस्फोटक” और “स्थल मिश्रित विस्फोटक” का वही अर्थ होगा जो विस्फोटक नियम, 2008 के अधीन पारिभाषित है;

(थ) “भण्डार गृह” से अमोनियम नाइट्रेट गलन से भिन्न अमोनियम नाइट्रेट को कब्जे में रखने अथवा उसका भण्डारण करने के लिए बने स्वतंत्र भवन अभिप्रेत है;

(द) “नौभरण” के अंतर्गत कोई व्यक्ति या अभिकरण या फर्म भी होगा जो पोत से थोक मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट की

चढ़ाई और उताराई, पत्तन स्थल पर उसे पेटी में रखने के लिए पारेषण भण्डार तक उसके परिवहन का कार्य करता है;

(ध) “सुरक्षा और संरक्षा प्रबंध योजना” से अमोनियम नाइट्रेट विनिर्माता कारखाना, नौभरण, परिवहन, भण्डारण और उपयोग परिसर में सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने और उसका प्रबंध करने के लिए व्यापक योजना अभिप्रेत है;

3. नियमों का लागू होने का विस्तार और विमुक्तियाँ—

(1) ये नियम अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, रूपान्तरण, आयात, निर्यात, नौभरण, यात्री सामान, परिवहन, और प्रामाणिक प्रयोजनों के लिए उसके विक्रय या उपयोग के लिए उसे कब्जे में रखने को विनियमित करने के लिए पूरे भारत में लागू होंगे ।

(2) इन नियमों की कोई बात निम्नलिखित द्वारा अमोनियम नाइट्रेट को कब्जे में रखने, उपयोग करने, परिवहन, अथवा आयात या निर्यात किए जाने के संबंध में लागू नहीं होगी:—

(क) संघ के सशस्त्र बलों में से कोई और आयुध कारखाने या ऐसे बलों की अन्य स्थापनाएं, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों अथवा विनियमों के अनुसार निजी उपयोग के लिए;

(ख) भारतीय रेल जब वह वाहक के रूप में कार्य करता हो;

(ग) पत्तन प्राधिकारी;

(घ) केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति अधिनियम या इन नियमों के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करते समय ।

(3) स्थापित प्रयोगशालाएं, शैक्षणिक संस्थाएं, चिकित्सा संस्थाएं, अस्पताल और स्वास्थ्य क्लीनिक, स्थानीय पुलिस थाना की जानकारी में पाँच किलोग्राम से अनधिक मात्रा के अमोनियम नाइट्रेट को अपने कब्जे में रख सकेगी और वैज्ञानिक तथा शैक्षणिक प्रयोजन के लिए उसका उपयोग कर सकती हैं ।

अध्याय 2

साधारण उपबन्ध

4. अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, रूपान्तरण, नौभरण और यात्री सामान, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय अथवा प्रयोग के लिए कब्जे में रखने पर नियंत्रण - इन नियमों के अधीन यथा प्राधिकृत या अनुज्ञप्ति के सिवाए कोई व्यक्ति अमोनियम नाइट्रेट का विनिर्माण, रूपान्तरण, पोत भारण और यात्री सामान, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय या प्रयोग के लिए कब्जे में रखने का कार्य नहीं करेगा:

परन्तु विनिर्माण, रूपान्तरण, विक्रय, परिवहन, कब्जे में रखने, प्रयोग करने, पोत भारण, यात्री सामान, आयात और निर्यात का व्यवसाय करने वाला कोई व्यक्ति इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि के लिए अमोनियम नाइट्रेट से संबंधित अनुज्ञप्ति के बगैर ऐसा व्यवसाय चलाते रहने के लिए अधिकृत होगा;

5. अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने की पूर्वपेक्षाएं - कोई अनुज्ञा-पत्र इन नियमों के अधीन निर्धारित सभी संगत प्रावधानों और इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची II के भाग-2 के अधीन अनुज्ञप्तियों में विहित सभी शर्तों का अनुपालन किए जाने पर ही प्रदान किया जाएगा अन्यथा नहीं:

परन्तु सभी विद्यमान विनिर्माता, परिवर्तक, उपयोक्ता, परिवहक, पोत भारिक, यात्री सामान, विक्रेता, भण्डार गृह, कब्जाधारी, आयातक और निर्यातक इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए आवेदन करेंगे ।

6. साधारण निर्बंधन-

(1) विनिर्माण पर निर्बंधन -

अनुज्ञप्ति में प्रदर्शित स्थान से भिन्न किसी स्थान पर अमोनियम नाइट्रेट का विनिर्माण नहीं होगा ।

(2) भण्डारकरण और रूपांतरण पर निर्बंधन -

(क) अमोनियम नाइट्रेट भण्डार गृह घनी आबादी वाले क्षेत्रों में अवस्थित नहीं होगा ।

(ख) परिवर्तक के सम्यक रूप से अनुज्ञप्ति परिसर के सिवाए किसी स्थान पर अमोनियम नाइट्रेट का रूपांतरण नहीं होगा ।
टिप्पण: रूपांतरण से गलन अमोनियम नाइट्रेट का प्रिल अथवा क्रिस्टलीय जैसे ठोस रूप में या विलोमतः रूपांतरण अभिप्रेत है ।

(ग) कोई व्यक्ति किसी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया से रासायनिक फार्मूला $\text{CaNO}_3\text{NH}_4\text{NO}_3$ वाले कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट (सीएएन) सहित किसी उर्वरक से आमोनियम नाइट्रेट प्राप्त नहीं करेगा ।

(3) नौभरण, यात्री सामान और विक्रय या उपयोग के लिए कब्जे में रखने पर निर्बंधन—

(क) कोई व्यक्ति इन नियमों के अधीन प्रदान किए गए अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट एक प्राधिकृत भण्डार गृह में उक्त अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन के सिवाए अमोनियम नाइट्रेट के नौभरण, यात्री सामान और उसके विक्रय या उपयोग के लिए कब्जा में रखने का कार्य नहीं करेगा;

(ख) कोई व्यक्ति किसी कार्बनिक सामग्री, धात्विक पाउडर या स्कैप, अथवा सल्फर, फास्फोरस आदि से पूर्णतः अथवा अंशतः संदूषित किसी अमोनियम नाइट्रेट का भण्डारण, प्रक्रिया, सुपुर्दगी, प्राप्ति, हथलाई अथवा परिवहन नहीं करेगा।

(4) आयात या निर्यात पर निर्बंधन —

(क) कोई व्यक्ति इन नियमों के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन और उसके अनुसार के सिवाए किसी अमोनियम नाइट्रेट का आयात अथवा निर्यात नहीं करेगा;

(ख) कोई अमोनियम नाइट्रेट केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित उसके पत्तन के सिवाए अन्य स्थान पर आयात या निर्यात नहीं किया जाएगा;

(ग) भारत सरकार के पोत-परिवहन और परिवहन मंत्रालय द्वारा मुख्य नियंत्रक के परामर्श से इस प्रयोजन के लिए सम्यक रूप से अनुमोदित और सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा सीमाशुल्क पत्तन के रूप में घोषित किए गए पत्तनों के

माध्यम के सिवाए समुद्र मार्ग से भारत में अमोनियम नाइट्रेट का आयात नहीं किया जाएगा ।

(5) परिवहन और भण्डारण पर निर्बंधन -

(क) अमोनियम नाइट्रेट का परिवहन किसी अन्य विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ, तेल, गैस, कार्बनमय सामग्री आदि के साथ नहीं किया जाएगा;

(ख) अमोनियम नाइट्रेट का परिवहन भाड़े पर यात्रियों के लिए चलाए गए अथवा उनकी ढुलाई कर रहे किसी वाहक पोत अथवा विमान में नहीं किया जाएगा ।

(6) सुपुर्दगी अथवा प्रेषण पर निर्बंधन -

(क) कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के सिवाए उसी व्यक्ति को किसी अमोनियम नाइट्रेट की सुपुर्दगी अथवा प्रेषण करेगा जो:

(i) अमोनियम नाइट्रेट को कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञा-पत्र का धारक हो अथवा ऐसे अनुज्ञप्ति के धारक का अभिकर्ता हो जिसे उसकी ओर से लिखित में सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया हो; अथवा

(ii) इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति के बगैर अमोनियम नाइट्रेट को कब्जे में रखने के लिए अधिकृत हो ।

(ख) इस तरह सुपुर्द किया अथवा प्रेषित किया गया अमोनियम नाइट्रेट किसी भी मामले में किसी भी समय पर उस मात्रा से अधिक नहीं होगा जिसके लिए व्यक्ति इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति धारण करता हो ।

(ग) कोई व्यक्ति उस व्यक्ति के सिवाय जो इन नियमों के अधीन प्रदान किया गया अनुज्ञप्ति धारण करता हो किसी अन्य व्यक्ति से अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त नहीं करेगा ।

(घ) कोई व्यक्ति अधिकारिता वाले अनुज्ञप्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही अनुज्ञप्ति परिसर में

अस्थायी भण्डारण अथवा सुरक्षित अभिरक्षा के लिए किसी व्यक्ति से अथवा उसे अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त अथवा स्थानान्तरित करेगा अन्यथा नहीं ।

(7) अमोनियम नाइट्रेट की हाथलाई पर निर्बंधन - कोई व्यक्ति सूर्यास्त और सूर्योदय के घण्टों के बीच किसी अमोनियम नाइट्रेट की हथालन नहीं करेगा या हथालन नहीं कारित करेगा:

परन्तु इस नियम की कोई बात अंधकार वाले घण्टों के दौरान अमोनियम नाइट्रेट की हथालन के लिए लागू नहीं होगी यदि क्षेत्र में उचित प्रदीप्ति की व्यवस्था हो और स्थान की चौकसी की जा रही हो ।

(8) बच्चों, मदोन्मत्त व्यक्तियों और कतिपय अन्य व्यक्तियों के नियोजन पर निर्बंधन -

कोई व्यक्ति अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, रूपांतरण, यात्री सामान, भण्डारण, विक्रय, लदाई, उतराई अथवा परिवहन के लिए अथवा इन नियमों के अधीन परमिट दिये गए किसी परिसर में प्रवेश करने के लिए उस व्यक्ति को नियोजित, स्वीकृत अथवा विनियोजित नहीं करेगा -

(क) जिसकी आयु अठारह वर्ष से कम है; या

(ख) जो मदोन्मत्त है; या

(ग) जो मानसिक रूप से अथवा शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त है।

(9) विषैले, क्षयकारी, खतरनाक अथवा ज्वलनशील पदार्थों पर निर्बंधन - किसी विषैले, क्षयकारी अथवा ज्वलनशील अथवा कार्बनमय वस्तु, लघुकारी तत्व, पेट्रोलियम, कैल्सियम कार्बाइड, संपीड़ित गैस अथवा कोई अन्य रसायन जैसे अन्यथा

खतरनाक पदार्थ जो अमोनियम नाइट्रेट के साथ इस ढंग से प्रतिक्रिया कर सके जिसके परिणामस्वरूप विस्फोट हो सके को अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, रूपांतरण, यात्री सामान, भण्डारण, आयात, निर्यात, परिवहन अथवा हथालन के लिए बनाए गए परिसर में ले जाने की अनुमति नहीं होगी ।

(10) अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग विस्फोटक नियम, 2008 के अधीन परमिट दिये जाने पर ही धमाका के लिए अकेले ही अथवा अन्य तत्वों के साथ सम्मिलित करके किया जा सकेगा अन्यथा नहीं ।

7. सक्षम व्यक्ति का नियोजन -

(1) किसी अमोनियम नाइट्रेट का विनिर्माण अथवा रूपांतरण सक्षम व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन के सिवाए नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण - उपनियम (1) में निर्दिष्ट सक्षम व्यक्ति वह व्यक्ति होगा जो अभियांत्रिकी में डिग्री या डिप्लोमा धारक हो अथवा विज्ञान में स्नातक हो और आवश्यक अर्हता के रूप में रसायन अथवा विस्फोटक उद्योग में कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव रखता हो और वैकल्पिक अर्हता के रूप में औद्योगिक सुरक्षा में डिप्लोमा धारक हो और अनुज्ञप्ति धारक द्वारा अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण और रूपांतरण के लिए सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियोजित किया जाएगा ।

(2) किसी भवन अथवा उसके किसी भाग में अमोनियम नाइट्रेट के पोत भारण, यात्री सामान, हथालन, परिवहन और प्रयोग से सहबद्ध सभी प्रचालन अनुज्ञप्ति धारक द्वारा नियोजित व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन किए जाएंगे जो उसकी प्रक्रिया और उससे संबद्ध जोखिमों और इन नियमों के प्रावधानों से पूरी तरह अवगत है ।

8. अमोनियम नाइट्रेट की पैकिंग - कोई व्यक्ति तब तक अमोनियम नाइट्रेट का आयात, निर्यात, परिवहन, कब्जा अथवा विक्रय नहीं करेगा जब तक -

(क) वह एक उचित जलसह पेटी अथवा डिब्बे में सम्यक रूप से पैक न किया गया हो अथवा पोत भारिक या परिवर्तक द्वारा उचित ढंग से पेटीबद्ध न किया गया हो;

(ख) डिब्बे अथवा पैकेज पर नियम 9 के अनुसार चिह्नांकन न किया गया हो;

(ग) पैकेज भारतीय मानक ब्यूरो के सुसंगत मानक अथवा मुख्य नियंत्रक द्वारा स्वीकृत और अनुमोदित अन्य मानकों के अनुरूप न हों;

(घ) निर्यात या आयात के लिए अमोनियम नाइट्रेट के पैकेज अंतरराष्ट्रीय समुद्री खतरनाक माल संहिता (जिसे इसमें इसके पश्चात आईएमडीजी संहिता कहा गया है) अथवा खतरनाक माल के परिवहन पर संयुक्त राष्ट्र की सिफारिशों के अधीन यथानिर्दिष्ट परीक्षणों की अपेक्षाओं के अनुरूप न हों ।

9. अमोनियम नाइट्रेट के पैकेजों पर चिह्नांकन -

(1) पैकेजों पर चिह्नांकन - अमोनियम नाइट्रेट रखे प्रत्येक थैले अथवा आधान पर स्पष्ट अमिट अक्षरों में मुद्रण अथवा रंगाई द्वारा निम्नलिखित से चिह्नांकन किया जाएगा-

(क) शब्द “अमोनियम नाइट्रेट”;

(ख) शुद्धता प्रतिशत

(ग) विनिर्माता अथवा परिवर्तक अथवा आयातक का नाम, पता और अनुज्ञा-पत्र संख्या;
 (घ) पैकेज की पहचान संख्या;
 (ङ) अमोनियम नाइट्रेट का शुद्ध भार;
 (च) पैकेज का सकल भार;
 (छ) विनिर्माण अथवा रूपांतरण की तारीख और बैच संख्या;
 (ज) पोत भारिक, यदि कोई हो, का नाम, पता, अनुज्ञा-पत्र संख्या और विशिष्ट पहचान संख्या;
 (झ) आद्रता से उचित ढंग से संरक्षित एक पेपर स्लिप जिस पर उपरोक्त विवरण लिखा गया हो पैकेट के अंदर रखा जाएगा ।

(2) उत्पादन अथवा आयात की गई सभी पेटियों का एक संपरीक्षा ट्रेल समुचित ढंग से बनाए रखने के लिए विनिर्माता अथवा आयातक द्वारा वैद्युत बार-कोडिंग की जाएगी जिसके न होने पर ऐसे उल्लेख के सिवाए सभी प्रेषित माल वैध ढंग से उत्पादन अथवा आयात न किये गए माने जाएंगे और अधिनियम के अधीन अमोनियम नाइट्रेट के अवैध उत्पादन या आयात के लिए अनुप्रयुक्त और उसके अनुरूप दण्ड या शास्तियाँ आकृष्ट करेंगे ।

10. हथालन के दौरान बिखर गई सामग्री को एकत्रित करना - यदि अमोनियम नाइट्रेट की हथालन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रक्रम पर कुछ सामग्री बिखर जाती है तो उसे ध्यानपूर्वक एकत्र करके यात्री सामान किया जाएगा और उसका हिसाब रखा जाएगा । यदि बिखरी हुई सामग्री संदूषित नहीं हुई है तो उसे उचित हिसाब रखने के बाद केवल एक अनुज्ञप्ति परिवर्तक को अति शीघ्र हस्तान्तरित कर दिया जाएगा और हिसाब में आंकलित कमी विनिर्माता के गोदाम

में 0.2 प्रतिशत से और परिवर्तक और पोत भारिक के लिए एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

11. दुर्घटना के विरुद्ध विशेष पूर्वावधानियाँ -

(1) कोई भी व्यक्ति ऐसा कृत्य नहीं करेगा जो किसी स्थान में अथवा उसके निकट अग्नि या विस्फोट कर सके जहाँ अमोनियम नाइट्रेट विनिर्मित, रूपांतरित, पेटीबद्ध, भण्डारित या परिवहन किया जाता है ।

(2) अमोनियम नाइट्रेट को कब्जे में रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति और अमोनियम नाइट्रेट के आयात, निर्यात, विनिर्माण, रूपांतरण, पेटीबद्धकरण, विक्रय, परिवहन अथवा उठाई-धराई का भारसाधक या संबद्ध प्रत्येक व्यक्ति सभी समयों पर इन नियमों के उपबंधों और उनसे संबंधित अनुज्ञा-पत्र की शर्तों का पालन करेगा तथा चोरियाँ करने और अग्नि या विस्फोट द्वारा दुर्घटनाओं को निवारित करने के लिए सभी सम्यक पूर्वावधानियाँ बरतेगा ।

(3) प्रत्येक व्यक्ति उपनियम (1) के अधीन यथा प्रतिषिद्ध ऐसे किसी कृत्य को कारित करने से किसी अन्य व्यक्ति को निवारित करेगा ।

12. अनधिकृत व्यक्तियों पर निर्बंधन और रक्षकों के लिए उपबंध -

(1) अनुज्ञा-पत्र धारक अपने स्वयं के खर्च पर भण्डारगृह में रखे अमोनियम नाइट्रेट की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था करेगा ।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए सुरक्षा गार्डों की संख्या उतनी होगी जितनी जिला मजिस्ट्रेट पर्याप्त समझें ।

(3) अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण अथवा अमोनियम नाइट्रेट के गलन रूप को ठोस रूप में अथवा विलोमतः परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त परिसर और भण्डार गृह कम से कम दो

मीटर ऊँची दीवार से घिरे होंगे और उस दीवार पर ऊपर से सुरक्षा बाड़ लगी होगी और उसकी मजबूती और बनावट ऐसी होगी कि अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को प्रभावी ढंग से रोका जा सके ।

(4) उपनियम (3) में संदर्भित दीवार और बाड़ से प्रक्रिया भवनों अथवा शेडों में से किसी से भी कम से कम सारणी 1 के अधीन अपेक्षित सुरक्षा दूरी बनाए रखी जाएगी ।

(5) भण्डार गृह का निर्माण निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) भण्डार गृह इकतल्ला भवन होगा, उसमें रोशनदान की अच्छी व्यवस्था होगी और उसकी दीवार ईंट अथवा पत्थर मोरटार, अथवा कंक्रीट से बनी कम से कम 23 सेण्टीमीटर मोटी होगी और उसकी छत आरसीसी अथवा एसबैस्टस शीट अथवा फाइबर शीट से बनी होगी ;

(ख) भण्डार गृह से चारो तरफ सारणी 1 के अंतर्गत अपेक्षित दूरी बनाई रखी जाएगी और उसे दो मीटर ऊँची चारदीवारी और संरक्षा बाड़ द्वारा सम्यक रूप से सुरक्षित रखा जाएगा ।

परन्तु ऐसे भण्डार गृह जो अमोनियम नाइट्रेट विनिर्माण संयंत्र अथवा नाइट्रेस ऑक्साइड गैस विनिर्माण संयंत्र अथवा विस्फोटक विनिर्माण संयंत्र अथवा पिछिल या पायसी मैट्रिक्स विनिर्माण संयंत्र के हिस्से हैं उनके लिए स्वतंत्र चारदीवारी और संरक्षा बाड़ की व्यवस्था करनी जरूरी नहीं होगी यदि ऐसे संयंत्रों के लिए साझा चारदीवारी और संरक्षा बाड़ की व्यवस्था की गई है ।

(ग) भण्डार गृह की फर्श का स्तर जमीन के स्तर से पैतालीस सेण्टीमीटर से कम नहीं ऊँचा होगा और भण्डार गृह का बाहरी हिस्सा साफ-सुथरा रखा जाएगा;

- (घ) भण्डार गृह के दरवाजे न्यूनतम तीन मिलीमीटर मोटे इस्पात के बने होंगे और उन पर अलोह कब्जे लगे होंगे और वे बाहर की ओर खुलेंगे;
- (ङ) सुरक्षा दूरी को बनाए रखा जाना - अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति कारखाना अथवा उसे कब्जे में रखने, विक्रय अथवा प्रयोग के लिए अनुज्ञप्ति भण्डार गृह को किसी ऐसे परिसर अथवा किसी अन्य परिसर जिसका उपयोग सदृश अमोनियम नाइट्रेट, ज्वलनशील अथवा खतरनाक सामग्री के भण्डारण के लिए किया जाता है से सारणी 1 के अधीन अपेक्षित सुरक्षा दूरी बनाई रखी जाएगी;
- (च) अमोनियम नाइट्रेट गलन के भण्डारण के लिए बनाए गए भण्डारण टैंक का निर्माण राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय संहिता के अनुरूप स्वस्थ अभियांत्रिकी परंपरा के अनुसार जंगरोधी इस्पात से किया जाएगा और उसे पर्याप्त रूप से ऊष्मारोधी और अवलंबी बनाया जाएगा ताकि ऐसे भण्डारण टैंक में अथवा उससे अमोनियम नाइट्रेट गलन की लदाई और उतराई के दौरान सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित हो सके;
- (छ) तटबद्ध बाड़े के रूप में सीमेण्ट कंकीट से बने एक अनुषंगी हौदे की व्यवस्था होगी और उसकी धारण क्षमता ऐसे बाड़े के भीतर स्थित दीर्घतम टैंक की क्षमता से कम नहीं होगी;
- (ज) ऐसे भण्डारण टैंकों को अनुसूची-3 की सुरक्षा दूरी सारणी 1 के अधीन यथानिर्दिष्ट दूरी से निकट नहीं स्थापित किया जाएगा;
- (झ) अमोनियम नाइट्रेट गलन रोड टैंकर को चढ़ाने अथवा उतारने के लिए ऐसे अमोनियम नाइट्रेट गलन भण्डार टैंक के निकट एक उपयुक्त हार्ड स्टैण्ड की व्यवस्था होगी जिसके केन्द्र से चारों ओर 4.5 मीटर की स्पष्ट सुरक्षा दूरी बनाए रखी जाएगी;

(ज) अधिकतम भण्डारण क्षमता - अमोनियम नाइट्रेट को कब्जे में रखने, विक्रय अथवा प्रयोग के लिए उपयोग किये जाने वाले किसी भण्डार गृह की फर्श का क्षेत्रफल प्रति टन अमोनियम नाइट्रेट के लिए एक वर्ग मीटर होगा और भण्डार गृह की कुल धारण क्षमता दो सौ टन से अधिक नहीं होगी।
नोट: विद्यमान अमोनियम नाइट्रेट विनिर्माण संयंत्रों के विद्यमान भण्डार गृहों को एक वर्ष की अवधि के लिए उपनियम (ङ) और उपनियम (ज) के प्रचालन से छूट होगी और विद्यमान भण्डार गृहों की क्षमता 1200 से 1800 मीटरी टन से अधिक है और वे संयंत्र से संबद्ध हैं, उनका पृथक्करण नहीं किया गया है ।

13. कतिपय कार्यों का प्रतिषेध- कोई भी व्यक्ति-

(1) इन नियमों के अधीन दिये गए किसी आवेदन अथवा कथन में असत्य अथवा भ्रामक सूचना नहीं प्रदान करेगा; अथवा

(2) इन नियमों के अधीन रखे जाने अथवा अनुरक्षण के लिए अपेक्षित किसी लॉग बुक, दस्तावेज अथवा अन्य रिकार्ड में किसी प्रविष्टि को असत्य नहीं बनाएगा, किसी प्रविष्टि को नहीं मिटाएगा, अथवा उसमें प्रवचनापूर्वक परिवर्तन नहीं करेगा; अथवा

(3) इन नियमों के अधीन जारी किसी अनुज्ञप्ति, अथवा अन्य दरजावेजों में फेर-बदल अथवा परिवर्तन नहीं करेगा ।

14. अभिलेखों का अनुरक्षण और विवरणियों को प्रस्तुत करना-

(1) इन नियमों के अधीन अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, रूपांतरण, नौभरण, कब्जा, विक्रय, उपयोग, परिवहन, आयात अथवा निर्यात के लिए प्रदान किए गए अनुज्ञा-पत्र को धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अनुसूची 2 के भाग 3 में विनिर्दिष्ट प्रपत्रों में अमोनियम नाइट्रेट की जवाबदेही, पहचान और खोज-खबर सुनिश्चित करने के लिए रिकार्ड का अनुरक्षण

करेगा और नियम 49 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा माँगे जाने पर उसके समक्ष प्रस्तुत करेगा ।

(2) अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट प्रपत्रों में स्टॉक बहियों का पृष्ठ संख्यांकन किया जाएगा और उसे इन नियमों के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा और उसे, किसी प्राधिकारी द्वारा अन्यथा निर्देश न दिये जाने पर, तीन वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षित रखा जाएगा ।

(3) अनुज्ञप्ति धारक अनुसूची 2 के भाग 3 में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में विनिर्मित, रूपांतरित, नौभरण, प्राप्त, विक्रय अथवा परिवहन अथवा प्रयोग अथवा नष्ट अथवा आयात अथवा निर्यात किए गए अमोनियम नाइट्रेट की मासिक विवरणी अनुज्ञा-पत्र जारीकर्ता प्राधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत करेगा ताकि वह उपरोक्त प्राधिकारियों के पास प्रत्येक अनुवर्ती मास के दसवें दिन के भीतर पहुँच जाए ।

(4) जब अनुज्ञप्ति जारीकर्ता प्राधिकारी अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्देशित किया जाए, अनुज्ञप्ति धारक अभिलेखों का रखरखाव, लेन-देन और फाइल विवरणियाँ इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों से करेगा ।

अध्याय 3

अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, रूपांतरण, कब्जा, विक्रय और उपयोग से संबंधित उपबंध

15. सुरक्षा और संरक्षा प्रबंधन योजना -

(1) अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, रूपांतरण, नौभरण, यात्री सामान, कब्जा, विक्रय या उपयोग, परिवहन, आयात और निर्यात का इच्छुक व्यक्ति अनुज्ञप्ति जारीकर्ता प्राधिकारी और जिला प्राधिकारी को पुलिस प्राधिकारियों द्वारा सम्यक रूप से विधिक्षा किए गए संरक्षा पहलुओं के साथ सुरक्षा और संरक्षा प्रबंधन योजना अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा ।

(2) उपनियम (1) में संदर्भित योजना में निम्नलिखित सुरक्षा और संरक्षा पहलू शामिल होंगे, अर्थात:-

- (क) सौंपा गया उत्तरदायित्व और संगठनात्मक ढाँचा;
- (ख) जोखिम पहचान, खतरे का मूल्यांकन और नियंत्रण;
- (ग) कार्य बल, ठेकेदारों और आगन्तुकों के लिए सूचना, शिक्षा और प्रशिक्षण का प्रावधान;
- (घ) दुर्घटना की रिपोर्ट करना और उसकी छानबीन करना;
- (ङ) आपातकालीन कार्यवाही योजना और तैयारी जैसे प्रथमापचार, वर्ष में एक बार आपातकालीन योजना का परीक्षण;
- (च) महाविपदा प्रबंधन योजना और बच निकलने के रास्तों की पहचान, कार्यकलापों से जुड़े संरक्षा खतरों की पहचान और उसका मूल्यांकन; निष्क्रमण योजना, समुचित अग्निशमन नियंत्रण;
- (छ) प्राधिकृत कार्यकलापों के संचालन और अमोनियम नाइट्रेट को संरक्षित रखने के संबंध में अनुज्ञा-पत्र धारक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं;
- (ज) संयंत्र और उपकरण से संबंधित अनुसूचियों का अनुरक्षण;
- (झ) मानक संचालन प्रक्रिया;
- (ञ) कार्य के लिए कार्मिकों की सक्षमता;
- (ट) निगरानी की प्रकृति;
- (ठ) प्रलुखन और रिकार्ड अनुरक्षण ताकि अमोनियम नाइट्रेट की जवाबदेही, पहचान और खोज-खबर सुनिश्चित हो सके;

(ड) भण्डार गृह, गलन अमोनियम नाइट्रेट को रखे जाने के टैंकर, ट्रक द्वारा अमोनियम नाइट्रेट के परिवहन, अमोनियम नाइट्रेट की चढ़ाई अथवा उतराई सहित उसके परिवहन के दौरान संरक्षा के लिए संरक्षा व्यवस्था;

(ढ) अमोनियम नाइट्रेट भण्डार गृह में अप्राधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर नियंत्रण और प्रतिबंध के लिए तंत्र;

(ण) योजना अथवा कार्य के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी को सौंपा जाना ।

(3) विनिर्माण कारखाना में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, उठाई-धराई, परिवहन और भण्डारण के दौरान आवधिक रूप से सक्षम व्यक्तियों द्वारा सुरक्षा और संरक्षा पहलुओं में प्रशिक्षित किया जाएगा और ऐसे प्रशिक्षण का रिकार्ड रखा जाएगा ।

अध्याय 4

अमोनियम नाइट्रेट के आयात और निर्यात से संबंधित उपबंध

सामान्य

16. आयात या निर्यात - प्रत्येक मामले में केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना सड़क मार्ग द्वारा अमोनियम नाइट्रेट के आयात या निर्यात के लिए अनुज्ञप्ति नहीं दी जाएगी, जिसमें केन्द्रीय सरकार मुख्य नियंत्रक के परामर्श से शर्तें और प्रतिबंध अधिरोपित कर सकती है ।

17. पत्तन नियमों का अनुपालन - अधिसूचित पत्तनों पर अमोनियम नाइट्रेट की उठाई-धराई को विनियमित करने वाले अधिनियम और संबंधित पत्तन नियमों के अधीन जारी किए गए नियमों और उपनियमों का अनुपालन किया जाएगा ।

18. अमोनियम नाइट्रेट का आयात—

- (1) अमोनियम नाइट्रेट का आयात अधिमाम्यतः पेटीबद्ध रूप में किया जाएगा और जब अमोनियम नाइट्रेट का आयात थोक में किया जा रहा हो, तो उसे आयातक द्वारा लिखित में सम्यक रूप से प्राधिकृत और पोत से अमोनियम नाइट्रेट को निकालने और पत्तन स्थित पारगमन भण्डार तक उसे खुले रूप में आगे पेटीबद्ध करने के लिए ले जाने के लिए वैध अनुज्ञप्ति धारक पोत भारण अभिकरण द्वारा उचित रूप में पेटीबद्ध या पैक किया जाएगा ।
- (2) पोत भारण अभिकर्ता प्राप्त किए गए और प्रत्येक आयातक को प्रेषित किए गए अमोनियम नाइट्रेट का अभिलेख रखेगा ताकि जवाबदेही, पहचान और खोज-खबर और विवरणी को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित हो सके ।
- (3) आयात किये गए अमोनियम नाइट्रेट का प्रेषण पेटीबद्ध रूप के सिवाए नहीं किया जाएगा और अमोनियम नाइट्रेट की प्रत्येक पेटी पर पोत भारण अभिकर्ता द्वारा नियम 9 के अनुसार चिह्नांकन किया जाएगा ।
- (2) आयातक द्वारा घोषणा - इन नियमों के अधीन प्रदान किए गए आयात अनुज्ञप्ति का धारक व्यक्ति मुख्य नियंत्रक को एक घोषणा प्रस्तुत करेगा—
 - (क) जैसे ही चढ़ाई के पत्तन से अमोनियम नाइट्रेट की ढुलाई करने वाले पोत की जलयात्रा शुरू की जाए, अनुसूची 2 के भाग 3 के अधीन प्रारूप द-3 में;
 - (ख) जैसे ही अमोनियम नाइट्रेट को ढोने वाले किसी पोत को आयात के पत्तन से अनापत्ति प्राप्त हो, अनुसूची 2 के भाग 3 के अधीन प्रारूप द-4 में;
- (3) पोत के स्वामी या पोत के अभिकर्ता द्वारा घोषणा—
 - (क) अमोनियम नाइट्रेट को ढोने वाले प्रत्येक पोत का स्वामी या ऐसे पोत का अभिकर्ता पत्तन पर अपने इच्छित आगमन

के बारे में पत्तन के संरक्षक को कम से कम अड़तालीस घण्टे का नोटिस देगा;

(ख) अमोनियम नाइट्रेट को ढोने वाले प्रत्येक पोत का स्वामी किसी पत्तन में प्रवेश करने से पहले पायलट को अनुसूची 2 के भाग 4 के अधीन प्रारूप गड-1 में एक लिखित घोषणा देगा, परन्तु यदि पोत के आगमन की प्रत्याशा में ऐसे पोत का अभिकर्ता पत्तन के संरक्षक को अपने हस्ताक्षर से यथोक्त घोषणा प्रदान करता है तो पोत के स्वामी द्वारा ऐसी घोषणा प्रदान किए जाने की जरूरत नहीं होगी ।

(ग) उप-नियम (3) के खण्ड (ख) के अधीन पायलट को दी गई प्रत्येक घोषणा को उसके द्वारा अविलंब पत्तन के संरक्षक को प्रदान कर दी जाएगी और पत्तन के संरक्षक द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक घोषणा उसके द्वारा अपनी सुविधानुसार सीमा-शुल्क आयुक्त को प्रेषित की जाएगी ।

(4) हवाई जहाज द्वारा आयात पर प्रतिबंध— अमोनियम नाइट्रेट का आयात हवाई जहाज द्वारा नहीं किया जाएगा ।

19. अमोनियम नाइट्रेट का निर्यात—

(1) हवाई जहाज द्वारा निर्यात पर प्रतिबंध— अमोनियम नाइट्रेट का निर्यात हवाई जहाज द्वारा नहीं किया जाएगा ।

(2) निर्यातक या उसके अभिकर्ता द्वारा घोषणा— निर्यातक या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता अड़तालीस घण्टे पहले पत्तन के संरक्षक को यह नोटिस देगा कि वह निर्यात के लिए अमोनियम नाइट्रेट को पत्तन पर लाने का इच्छुक है और उक्त अधिकारी द्वारा लिखित में पूर्व अनुमति दिए बगैर पत्तन के किसी हिस्से में अमोनियम नाइट्रेट नहीं लाएगा ।

(3) अमोनियम नाइट्रेट का निर्यात केवल पेटीबद्ध रूप में किया जाएगा जिस पर नियम 9 के अनुसार चिह्नांकन किया गया होगा ।

(4) यात्री पोतों और नौकाओं में परिवहन— इन नियमों में अन्यथा अभिव्यक्त रूप में की गई व्यवस्था के सिवाए कोई भी विस्फोटक सामान का परिवहन भाड़े पर यात्रियों को ढोने वाले किसी पोत, नौका अथवा वायुयान द्वारा नहीं किया जाएगा ।

अध्याय 5

अमोनियम नाइट्रेट के परिवहन से संबंधित उपबंध

सामान्य

20. परिवहन के दौरान अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया—

(1) अनुज्ञप्ति के अधीन परिवहन किए जा रहे अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट गलन की प्रत्येक खेप के साथ अनुसूची 2 के भाग 3 के प्रारूप द-11(ख) में प्रेषक द्वारा जारी एक पास होगा ।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट पास यथास्थित वे-बिल, इन्वाइस या प्रवेश बिल या प्रेषण टिप्पण के साथ संलग्न किया गया होगा ।

(3) प्रेषक द्वारा अनुसूची 2 के भाग 3 के प्रारूप द-11(क) में कम से कम अड़तालीस घण्टे पहले प्रेषण स्थल के जिला पुलिस अधीक्षक और साथ ही प्राप्ति स्थल के जिला पुलिस अधीक्षक को सूचित किया जाएगा ।

(4) उप-नियम (2) के अधीन जारी प्रत्येक पास की एक प्रति प्रेषक द्वारा तत्काल निम्नलिखित को भेजी जाएगी—

(क) प्रेषक को अनुज्ञप्ति जारी करने वाले जिला प्राधिकारी;

(ख) जिला पुलिस अधीक्षक जिसके अधिकारक्षेत्र में वह स्थान स्थित है जहाँ से खेप भेजी जा रही है;

(ग) जिला पुलिस अधीक्षक जिसके अधिकारक्षेत्र में वह स्थान स्थित है जहाँ खेप भेजी जा रही है;

(5) प्रेषक गंतव्य तक के मार्ग में आने वाले स्थानों के जिला पुलिस अधीक्षकों को एक मार्ग मानचित्र भेजेगा ।

21. परिवहन के दौरान उपलब्ध रहने वाले दस्तावेज—

(1) अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट गलन का परिवहन केवल उसी परिवाहक द्वारा किया जाएगा जो जिला प्राधिकारी द्वारा जारी विधिमान्य अनुज्ञप्ति का धारक हो ।

(2) (i) अमोनियम नाइट्रेट गलन के परिवहन के लिए टैंकर का निर्माण जंगरोधी इस्पात से किया गया होगा और उसे राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय संहिता के अनुरूप स्वस्थ अभियांत्रिकी परंपरा के अनुसार उचित और पर्याप्त ढंग से ऊष्मारोधी बनाया गया होगा और एक वाहन चेसिस के ऊपर सुरक्षित अथवा आलंबित किया गया होगा ताकि परिवहन के दौरान पूरी सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित हो सके और ढाँचा वही होगा जैसा मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किया जाए;

(ii) ऐसे अमोनियम नाइट्रेट गलन टैंकर की सकल वहन क्षमता ऐसे वाहन के लिए सड़क परिवहन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित भार सीमा से अधिक नहीं होगी;

(iii) ऐसे अमोनियम नाइट्रेट गलन टैंकर के प्रवेश और निकास कपाट ऐसी बनावट और ऐसे ढाँचे के होंगे कि उन्हें सुरक्षित ढंग से लॉक और सील किया जा सके ।

(3) अमोनियम नाइट्रेट को ढोने वाले ट्रक को चारों ओर से तिरपाल की तीन परतों से ढंक कर रस्से से उचित और सुरक्षित ढंग से बाँधा जाएगा और सील किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ट्रकचालक या उसके किसी

परिचर के पास निम्नलिखित दस्तावेज परिवहन के दौरान कब्जे में रहें, अर्थात:-

(क) परेषिती द्वारा जारी अनुसूची 2 के भाग 3 के अधीन प्रारूप द-10 में माँगपत्र की प्रति;

(ख) प्रेषक द्वारा जारी अनुसूची 2 के भाग 3 के अधीन प्रारूप द-11(ख) में परिवहन पास की प्रति;

(ग) बिल अथवा परिवहन किए जा रहे अमोनियम नाइट्रेट के प्रवेश के बिल की मूल प्रति;

(घ) यात्रा आरंभ बिन्दु से गंतव्य बिन्दु तक के मार्ग का मानचित्र ।

(4) उप-नियम (1) में उल्लिखित दस्तावेजों को नियम 49 के अधीन अधिकृत प्राधिकारी द्वारा माँग किए जाने पर ट्रांसपोर्टर द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा ।

(5) प्रेषक घोषित गंतव्य पर परेषिती के भण्डार गृह में अमोनियम नाइट्रेट के खेप की सुपुर्दगी सुनिश्चित करेगा और परेषिती द्वारा सम्यक रूप से प्रारूप द-11(ख) में दी गई पावती को प्रेषक द्वारा अभिलेख के रूप में रखी जाएगी ।

(6) परिवहन के लिए अमोनियम नाइट्रेट को भारिक तक भेजा जाना—

(क) कोई व्यक्ति परिवहन के प्रयोजन से भारतीय रेल के सिवाए किसी भारिक को कोई अमोनियम नाइट्रेट प्रेषित नहीं करेगा ।

(ख) कोई व्यक्ति परिवहन के प्रयोजन से भारतीय रेल को कोई अमोनियम नाइट्रेट तब तक प्रेषित नहीं करेगा जब तक कि उसने लिखित में निम्नलिखित का एक नोटिस स्टेशन मास्टर को न दिया हो -

(i) ऐसे अमोनियम नाइट्रेट को टेंडर करने का उसका आशय

(ii) यह प्रमाणित करना कि अमोनियम नाइट्रेट को पैक किया

गया है और नियम 8 और नियम 9 के अनुसार चिह्नांकित किया गया है;

(iii) परिवहन किए जाने वाले अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा का उल्लेख;

(iv) उसने स्टेशन मास्टर से लिखित में एक उत्तर और सूचना प्राप्त की है कि वह अमोनियम नाइट्रेट को तत्काल प्रेषित करने के लिए प्राप्त करने को तैयार हैं ।

(v) उसने परेषिती से इन नियमों के अधीन यथा प्राधिकृत अमोनियम नाइट्रेट को प्राप्त करने तत्परता की पुष्टि प्राप्त कर ली है ।

(ग) कोई व्यक्ति किसी अमोनियम नाइट्रेट को किसी रेल से नहीं लाएगा, भेजेगा अथवा अग्रेषित करेगा जिसे भारतीय रेल ने तत्समय प्रवृत्त विनियमन के नोटिस द्वारा अधिसूचित किया हो ।

22. अमोनियम नाइट्रेट के परिवहन में विनियोजित ट्रक या टैंकर का चढ़ाई, उतराई, रखरखाव, और संचालन—

(1) अमोनियम नाइट्रेट के परिवहन में विनियोजित ट्रक या टैंकर केवल ऐसे चालकों अथवा क्लीनरों की नियुक्ति करेंगे, जिनके पूर्ववृत्त का सत्यापन स्थानीय पुलिस द्वारा किया गया हो और ऐसे चालकों और क्लीनरों की पूर्ण वैयक्तिक व्यौरे सहित एक सूची स्थानीय पुलिस को सत्यापन करने के लिए पहले से उपलब्ध कराई जाएगी और ऐसे कर्मचारियों का पुनर्सत्यापन नियमित अंतराल में, अधिमन्यतः एक वर्ष में एक बार, किया जाएगा ।

(2) अमोनियम नाइट्रेट को ढो रहे ट्रक अथवा टैंकर के साथ कम से कम दो शारीरिक रूप से समर्थ रक्षक रहेंगे ।

(3) अमोनियम नाइट्रेट को ढो रहे अथवा अमोनियम नाइट्रेट से भरे ट्रक अथवा टैंकर का चालक या ऑपरेटर औचित्यपूर्ण अपेक्षा से अधिक अवधि के लिए नहीं ठहरेगा और जिन

स्थानों पर नागरिकों की सुरक्षा को खतरा होने की संभावना है वहाँ ठहरने से परहेज करेगा:

परन्तु जहाँ रात में चालक के नियंत्रण से बाहर किन्हीं कारणों से अमोनियम नाइट्रेट को ढो रहे या अमोनियम नाइट्रेट से भरे ट्रक अथवा टैंकर को ठहराना पड़े, तो जिस परिसर में ट्रक अथवा टैंकर को ठहराया जाए वह—

(क) किसी ऐसे प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा जिससे अग्नि, माचिस अथवा किसी ऐसे सामान अथवा वस्तु का होना संभव हो जिससे वहाँ विस्फोट हो जाने अथवा आग लग जाने की संभावना उत्पन्न हो सके;

(ख) किसी बस्ती अथवा ज्वलनशील प्रकृति की वस्तुएं अथवा अन्य खतरनाक सामग्री रखे किसी गोदाम से दूर स्थित होगा;

परन्तु स्थान और ट्रक अथवा टैंकर के अस्थायी ठहराव के बारे में स्थानीय पुलिस को सूचित किया जाएगा ।

(4) अमोनियम नाइट्रेट को ढोते समय ट्रक अथवा टैंकर को अनुज्ञप्ति धारक के खर्च पर पर्याप्त रूप से संरक्षित किया जाएगा और यदि अमोनियम नाइट्रेट की खेप को गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संवेदनशील क्षेत्रों से होकर गुजरने की संभावना है तो उसे जिला पुलिस प्रशासन द्वारा प्रदान किए गए सशस्त्र पुलिस एस्कॉर्ट अथवा रक्षकों की देखरेख में रखा जाएगा ।

23. दुर्घटनाओं की स्थिति में प्रक्रिया—

(1) जहाँ अमोनियम नाइट्रेट को ढो रहे वाहन के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, आग लग जाती है अथवा कोई ऐसी घटना घटती है जिससे अमोनियम नाइट्रेट की सुपुर्दगी में अत्यधिक विलम्ब हो जाता है या वाहन अथवा अमोनियम

नाइट्रेट को नुकसान पहुँचता है, वहाँ चालक अथवा वाहन के साथ चल रहा कोई अन्य प्राधिकृत व्यक्ति—

(क) सड़क दुर्घटना से संबंधित कानून की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा;

(ख) निकटतम पुलिस स्टेशन को सूचित करेगा;

(ग) अनुज्ञप्ति धारक को सूचित करेगा जो—

(i) मुख्य नियंत्रक और नियंत्रक जिसके अधिकारक्षेत्र में दुर्घटना घटी को ढोए जा रहे अमोनियम नाइट्रेट के पूरे व्यौरे और दुर्घटना की सूचना देगा;

(ii) यदि अपेक्षित है, तो नियंत्रक द्वारा जाँच किए जाने तक अमोनियम नाइट्रेट के सुरक्षित भण्डारण और अभिरक्षा का बन्दोबस्त करेगा, और उसके बाद उसे गंतव्य अथवा नियंत्रक द्वारा निर्दिष्ट स्थान तक ले जाने की व्यवस्था करेगा ।

(2) अमोनियम नाइट्रेट को ढो रहे ट्रक या टैंकर के खराब हो जाने की स्थिति में चालक या वाहन का भारसाधक व्यक्ति अनुज्ञप्ति धारक को सूचित करेगा जो उसके बाद मुख्य नियंत्रक और नियंत्रक जिसके अधिकारक्षेत्र में वाहन खराब हुआ को अमोनियम नाइट्रेट के पूरे व्यौरे के साथ वाहन खराब हो जाने की परिस्थितियों के बारे में सूचित करेगा ।

(3) अमोनियम नाइट्रेट गलन का परिवहन गलन टैंकर में किया जाएगा जिसकी निस्सरण टोटियों को गलन आपूर्ति कम्पनी द्वारा सम्यक रूप से सील किया जाएगा और गलन आपूर्ति कम्पनी गलन के घनत्व का स्पष्ट उल्लेख करते हुए गुणवत्ता नियंत्रण प्रमाण-पत्र जारी करेगी ।

(4) परिवर्तक या प्रयोक्ता यह सत्यापित करेगा कि निस्सरण टैली पर लगी सील अक्षत है और अमोनियम नाइट्रेट के घनत्व को सत्यापित करेगा ।

(5) गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संवेदनशील क्षेत्रों में अमोनियम नाइट्रेट के परिवहन की अनुमति सूर्यास्त से

सूर्योदय के बीच की अवधि के दौरान नहीं होगी । अमोनियम नाइट्रेट के परिवहन की सूचना लिखित में खेप उठाने के स्थान और उसके गंतव्य के बारे में संबंधित पुलिस प्राधिकारियों को प्रदान की जाएगी ।

(6) अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था—

(क) प्रत्येक ट्रक या टैंकर में दो अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था होगी जिनकी न्यूनतम क्षमता पाँच किलोग्राम होगी और एक अग्निशमन यंत्र इलैक्ट्रिक सर्किट से लगी आग से निपटने में सक्षम होगा और दूसरा दूसरे ज्वलनशील संघटकों से ।

(ख) अग्निशमन यंत्रों को सदैव अच्छी चालू हालत में रखा जाएगा ।

(ग) अग्निशमन यंत्रों को ऐसे स्थान पर रखा जाएगा जहाँ से उसे तत्काल उपयोग करने के लिए सुविधा रहे ।

(घ) अग्निशमन यंत्रों को विनिर्माता की सिफारिश के अनुसार जाँच और रिचार्ज किया जाएगा ।

अध्याय 6

अमोनियम नाइट्रेट के कब्जे, विक्रय और उपयोग के लिए
उपबंध

24. प्राधिकृत परिसरों में कब्जा—

(1) अमोनियम नाइट्रेट के कब्जे के लिए इन नियमों के अधीन प्रदान किए गए अनुज्ञप्ति का धारक कोई व्यक्ति केवल

अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट परिसरों में अमोनियम नाइट्रेट को भण्डारित करेगा ।

(2) जिन परिसरों में अमोनियम नाइट्रेट को रखा जाएगा उनका उपयोग केवल ऐसे अमोनियम नाइट्रेट के कब्जे और विक्रय अथवा उपयोग के लिए किया जाएगा और किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं ।

(3) कोई व्यक्ति इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्त परिसरों से ही अमोनियम नाइट्रेट का विक्रय करेगा किसी भी अन्य परिसर से नहीं ।

(4) प्राधिकृत भण्डार गृह तब के सिवाए जब उसमें माल रखा जा रहा हो अथवा उससे माल बाहर निकाला जा रहा हो अथवा जब उसे किसी अन्य जायज प्रयोजन के लिए खोला रखना जरूरी हो संरक्षित ढंग से बंद अथवा तालाबंद रखा जाएगा ।

(5) प्राधिकृत भण्डार गृह की चाबियाँ अनुज्ञप्ति धारक की अथवा उसके प्राधिकृत अभिकर्ता की अभिरक्षा में सुरक्षित रखी जाएंगी और निरीक्षण अधिकारी द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए प्रस्तुत की जाएंगी ।

(6) जिस व्यक्ति के पास चाबियाँ रखी जाएंगी उसका नाम और पता और साथ ही पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ अनुज्ञापन प्राधिकारी और अधिकारिता वाले जिला प्राधिकारी को प्रेषित किए जाएंगे ।

25. किसी दी गई समयावधि में कय किए जाने वाले अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा— किसी भण्डार गृह में और उससे अमोनियम नाइट्रेट के कब्जे, विक्रय अथवा उपयोग के लिए कोई अनुज्ञप्ति धारक किसी दी गई समयावधि में केवल

उतनी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट का क्य करेगा जितनी अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट की जाए ।

26. अमोनियम नाइट्रेट की जवाबदेही और उसका संव्यवहार—

(1) इन नियमों के अधीन प्रदान किए गए सभी अनुज्ञा-पत्रों पर अनुज्ञप्ति धारक या अधिष्ठाता के फोटोग्राफ होंगे ।

(2) अमोनियम नाइट्रेट के क्य और संव्यवहार के लिए निम्नलिखित कार्यपद्धति अपनाई जाएगी, अर्थातः—

(क) अनुसूची 2 के भाग 3 के अधीन प्रारूप द-10 में अमोनियम नाइट्रेट की आपूर्ति के लिए माँगपत्र पर अनुज्ञप्ति धारक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे;

(ख) अनुज्ञप्ति धारक या अधिष्ठाता के फोटोग्राफ और नमूना हस्ताक्षर अमोनियम नाइट्रेट के आपूर्तिकर्ता के पास दर्ज कराए जाएंगे;

(ग) अनुज्ञप्ति धारक या अधिष्ठाता द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित अनुज्ञप्ति धारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि के फोटोग्राफ, नमूना हस्ताक्षर और पता अमोनियम नाइट्रेट के आपूर्तिकर्ता के पास दर्ज कराए जाएंगे ।

(3) अनुज्ञप्ति धारक केवल ऐसे प्राधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति करेगा, जिसके पूर्ववृत्त का सत्यापन स्थानीय पुलिस द्वारा किया गया हो और ऐसे प्राधिकृत प्रतिनिधियों की पूर्ण व्यक्तिगत विशिष्टियों सहित एक सूची स्थानीय पुलिस को सत्यापन करने के लिए पहले से उपलब्ध कराई जाएगी और ऐसे कर्मचारियों का पुनर्सत्यापन नियमित अंतराल में, अधिमान्यतः एक वर्ष में एक बार, किया जाएगा ।

(क) अमोनियम नाइट्रेट का आपूर्तिकर्ता सुपुर्दगी करने से पहले फोटोग्राफ और हस्ताक्षर का सत्यापन करेगा;

(ख) खण्ड (ग) में उल्लिखित प्राधिकृत प्रतिनिधि केवल एक अनुज्ञप्ति धारक का प्रतिनिधित्व उसकी ओर से अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त करने के लिए करेगा ।

अध्याय 7

अनुमोदन, अनुज्ञप्ति, संशोधन, अन्तरण और नवीनीकरण का प्रदान किया जाना या उसे नामंजूर करना

27. अनुज्ञप्ति जारी करने वाला प्राधिकारी -

विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अनुज्ञप्ति अनुसूची 1 के भाग 1 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं ।

28. फीस का भुगतान- (1) भिन्न-भिन्न कार्यकलापों के लिए अनुज्ञप्ति जारी किए जाने हेतु निम्नलिखित वार्षिक फीस देय होगी, अर्थात्:-

(क) अनुमोदन के लिए संवीक्षा फीस - 1000/-रुपये

(ख) अमोनियम नाइट्रेट विनिर्माण अथवा रूपांतरण संयंत्र से संबद्ध भण्डार गृह से अमोनियम नाइट्रेट के कब्जे और विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति - 20,000/-रुपये

(ग) कब्जे और विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति - 2000/-रुपये

(घ) कब्जे और उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति - 1000/-रुपये

(ङ) आयात के लिए अनुज्ञप्ति - 5000/-रुपये

(च) निर्यात के लिए अनुज्ञप्ति - 5000/-रुपये

(छ) पोत भारण अथवा पेटीबद्धकरण के लिए अनुज्ञप्ति - 20,000/-रुपये

(ज) परिवहन यान के लिए अनुज्ञप्ति - 2000/-रुपये

- (झ) अनुज्ञप्ति का संशोधन - 1000/-रुपये
 (ज) किसी अनुज्ञप्ति की अनुकृति - 100/-रुपये

(2) जब अनुज्ञप्ति जारीकर्ता प्राधिकारी मुख्य नियंत्रक है तो देय फीस का भुगतान रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाएगा और जब अनुज्ञप्ति जारीकर्ता प्राधिकारी जिला प्राधिकारी है तो देय फीस का भुगतान उस ढंग से किया जाएगा जैसे वह विनिर्दिष्ट करे ।

(3) जब अनुज्ञप्ति एक से अधिक वित्तीय वर्ष के लिए चाहा गया हो तो उपरोक्त उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट दर से वित्त वर्षों की वांछित संख्या के लिए फीस देय होगी ।

29. निर्माण से पहले पूर्व अनुमोदन -

(1) इन नियमों के अधीन अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, कब्जे अथवा विक्रय, उपयोग, परिवहन के लिए कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति नियम 32 में उल्लिखित दस्तावेज प्रस्तुत करके ऐसी अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा ।

(2) पूर्व अनुमोदन प्रदान करते समय जिला मजिस्ट्रेट अनुमोदन का एक सेट आवेदक को वापस करेगा जिसके साथ परिसर में और उसके आस-पास रखी जाने वाली दूरी को दर्शाने वाली योजना भी संलग्न होगी ।

(3) पूर्व अनुमोदन प्रदान करते समय मुख्य नियंत्रक अथवा नियंत्रक अनुमोदन का एक सेट आवेदक को वापस करेगा जिसके साथ परिसर में और उसके आस-पास रखी जाने वाली दूरी को दर्शाने वाली योजना भी संलग्न होगी और साथ ही उक्त दस्तावेजों का एक अतिरिक्त सेट भी आवेदक को देगा

ताकि वह उसे उस प्राधिकारी को प्रस्तुत करे जो अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत है ।

30. अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए आवेदन - परिसर का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद आवेदक नियम 32 में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए आवेदन उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जो ऐसी अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए अधिकृत है ।

31. अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की अवधि- अनुज्ञापन प्राधिकारी उस अवधि के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकता है जो आवश्यक समझी जाए किन्तु ऐसी अवधि आयात और निर्यात के लिए एक वर्ष के लिए के सिवाए सभी प्रयोजनों के लिए पाँच वित्तीय वर्षों या उसके अंश से अधिक नहीं होगी ।

32. अनुमोदन अथवा अनुज्ञप्ति की माँग के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज-

अनुमोदन अथवा अनुज्ञप्ति के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे, अर्थात्-

(1) अनुसूची 2 के भाग-1 के अनुसार समुचित प्रारूप में आवेदन ।

(2) नियम 15 के अधीन यथा अपेक्षित तैयार की गई सुरक्षा और संरक्षा प्रबंधन योजना ।

(3) प्रस्तावित भवन या भण्डार गृह की योजना और स्थल जिसमें भण्डार गृह अथवा पोत भारिक भण्डार अथवा विनिर्माण अथवा रूपांतरण परिसर, आस-पास के सभी भवनों से पहुँच मार्ग दर्शाया गया हो ।

(4) अमोनियम नाइट्रेट की उठाई-धराई के लिए नियोजित व्यक्तियों के विवरण, उसकी अर्हता और उसका अनुभव । आवेदक अपने चरित्र और पूर्ववृत्त के बारे में एक शपथ-पत्र फाइल करेगा ।

(5) अधिष्ठाता के पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ और साथ ही अधिष्ठाता के रूप में नामांकन का दस्तावेजी साक्ष्य ।

(6) नियम 28 के उप-नियम (1) के अनुसार संवीक्षा या अनुज्ञप्ति फीस ।

(7) चार्टरित इंजीनियर द्वारा सम्यक रूप से पृष्ठांकित समापन प्रमाण-पत्र ।

(8) संबंधित जिला प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र जहाँ जिला प्राधिकारी अनुज्ञप्ति जारीकर्ता प्राधिकारी नहीं है ।

33.. जिला प्राधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए जाने और अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया -

(1) मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक से अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का इच्छुक आवेदक जिला प्राधिकारी को परिसर की स्थिति दर्शाने वाली स्थल योजना की प्रतियों के साथ इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी किए जाने हेतु आवेदन करेगा कि प्रस्तावित स्थल के लिए आवेदक द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है ।

(2) (क) अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए जाने या अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदन प्राप्त होने पर जिला प्राधिकारी आवेदक के पूर्ववृत्त, स्थल का विधिमान्य कब्जा, प्रयोजन की असलीयत, लोक हित का सत्यापन करेगा और साथ ही कोई अन्य सत्यापन अथवा पूछताछ, यदि कोई हो, भी करेगा जिसे

करने के लिए अनुज्ञप्ति जारीकर्ता प्राधिकारी विशेष रूप से अपेक्षा करे और साथ ही किसी अन्य विषय का भी सत्यापन करेगा जिसे जरूरी समझा जाए, यदि प्रस्तावित स्थल खान अधिनियम, 1952 के परिधि में नहीं आता ।

(ख) यदि प्रस्तावित स्थल का क्षेत्र खान अधिनियम, 1952 के अधीन आता है तो अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशक प्राधिकारी होगा ।

(ग) लोक हित के सत्यापन के लिए जिला प्राधिकारी तुरंत एक सूचना प्रकाशित कराएगा और आम जनता की आक्षेप, यदि कोई हैं, तो कारणों के साथ उन्हें सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक मास के भीतर प्रस्तुत करने के लिए कहेगा और उन्हें उक्त आक्षेपों पर स्वयं द्वारा विचार किए जाने की तारीख, समय और स्थान के बारे में भी विनिर्दिष्ट करेगा ।

(घ) जहाँ प्रस्तावित परिसर का स्थल किसी नगर योजना, नगर पालिका प्राधिकरण, पत्तन या विमान-पत्तन या उपग्रह या अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केन्द्र या राष्ट्रीय महत्व की सदृश स्थापनाओं के अधिकार-क्षेत्र से 1.5 किलोमीटर की सीमा में स्थित है वहाँ जिला प्राधिकारी ऐसे प्राधिकरण या स्थापना को उक्त सूचना तामील कराएगा ।

(ङ) आक्षेप पर विचार हेतु सुनवाई की तारीख सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक मास की अवधि समाप्त होने के बाद यथाशक्य शीघ्र मुकर्रर की जाएगी ।

(च) आक्षेप प्राप्त होने पर जिला प्राधिकारी आक्षेप उठाने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को और आवेदक को भी आपत्ति पर विचार हेतु सुनवाई के लिए मुकर्रर तारीख से पहले कम से कम सात स्पष्ट दिन का समय देकर बुलाएगा ।

(छ) सुनवाई के लिए मुकर्रर तारीख को या किसी उस तारीख को जिसके लिए ऐसी सुनवाई समय-समय पर आगे बढ़ाई गई हो, जिला प्राधिकारी दोनों में से या तो अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए जाने अथवा अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने से संबंधित किसी आपत्ति को सुनेगा और आवश्यक समझे जाने पर आगे जाँच करेगा और उस आधार पर ऐसी आपत्ति के औचित्य का मूल्यांकन करेगा ।

(3) यथास्थिति, जिला प्राधिकारी या खान सुरक्षा महानिदेशक स्थल के विधिमान्य कब्जे, प्रयोजन की असलीयत का सत्यापन करेगा और साथ ही कोई अन्य सत्यापन अथवा पूछताछ, यदि कोई हो, भी करेगा जिसे करने के लिए अनुज्ञप्ति जारीकर्ता प्राधिकारी विशेष रूप से अपेक्षा करे और साथ ही किसी अन्य विषय का भी सत्यापन करेगा जिसे जरूरी समझा जाए:

परन्तु विस्फोटक नियम, 2008 के अधीन प्रदान किए गए अनुज्ञप्ति प्रारूप ठड-1 में विधिमान्य अनुज्ञप्ति वाले स्थल पर अमोनियम नाइट्रेट ईंधन तेल विस्फोटक के विनिर्माण के प्रयोजन के लिए खान क्षेत्र के भीतर अमोनियम नाइट्रेट के भण्डारण के लिए खान सुरक्षा महानिदेशक से अनापत्ति प्रमाण-पत्र अपेक्षित है ।

(4) जिला प्राधिकारी तीन मास की अवधि के भीतर या यथाशक्य शीघ्र जाँच पूरी करेगा और ऐसा प्राधिकारी अपना समाधान कर लेने के बाद अनुसूची-2 के भाग-4 के प्रारूप ग-2 में अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा अथवा यथास्थिति, अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा और साथ ही ऐसे प्राधिकारी द्वारा स्थल योजना पर सम्यक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे और मुहर लगाई जाएगी ।

(5) यदि यथास्थिति, जिला प्राधिकारी या खान सुरक्षा महानिदेशक अनापत्ति प्रमाण-पत्र के प्रयोजन से संबंधित किसी आधार पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने पर आपत्ति करता है तो केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के बाद ही अनुज्ञप्ति जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा-पत्र प्रदान किया जाएगा अन्यथा नहीं ।

(6) यथास्थिति, जिला प्राधिकारी या खान सुरक्षा महानिदेशक अनापत्ति प्रमाण-पत्र या अनुज्ञा-पत्र प्रदान करेगा या अनापत्ति प्रमाण-पत्र या यथास्थिति, अनुज्ञप्ति प्रदान करने से अपने इंकार की सूचना लिखित में उसके कारणों के साथ यथाशक्य शीघ्र किन्तु आवेदक से आवेदन प्राप्त करने की तारीख से अधिक से अधिक छह मास के भीतर आवेदक को देगा ।

34. अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना—

(1) अनुज्ञप्ति जारीकर्ता प्राधिकारी अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए प्राप्त दस्तावेजों से अपना समाधान करने और ऐसी जाँच, यदि कोई हो, जैसी वह उचित समझे, करने के बाद अधिनियम के अन्य प्रावधानों और इन नियमों के अधीन रहते हुए, लिखित में आदेश पारित करके या तो अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा अथवा उसे प्रदान करने से इंकार करेगा ।

(2) अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति की सुविधाओं का सत्यापन करेगा और समाधान हो जाने पर अनुज्ञप्ति को मंजूर करेगा ।

(3) अनुज्ञापन प्राधिकारी, यदि आवश्यक हो, अनुज्ञप्ति के लिए अतिरिक्त शर्तें अधिरोपित कर संकेगा ।

(4) जिला प्राधिकारी कोई विशेषज्ञ राय अभिप्राप्त करने के लिए मामले को मुख्य नियंत्रक को संदर्भित कर सकता है ।

35. अनुज्ञप्ति का नवीकरण-

(1) ऐसी अनुज्ञप्तियों के सिवाए जिन्हें एक वर्ष से अनधिक विशिष्ट अवधि के लिए प्रदान किया गया हो प्रत्येक अनुज्ञप्ति 31 मार्च को समाप्त होने वाले पाँच वित्तीय वर्षों की अधिकतम अवधि के लिए नवीकरणीय होगा ।

(2) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे, अर्थात:-

(क) प्रारूप द-1 में आवेदन;

(ख) मूल अनुज्ञप्ति

(ग) अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित नवीकरण शुल्क ।

(3) अनुज्ञप्ति का नवीकरण ऐसे अनुज्ञप्ति को प्रदान करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया जा सकता है:

परन्तु मुख्य नियंत्रक द्वारा प्रदान की गई अनुज्ञप्ति का नवीकरण इस निमित्त मुख्य नियंत्रक द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किए गए नियंत्रक द्वारा किसी प्रकार के परिवर्तन के बिना किया जा सकता है ।

परन्तु यह और कि जिला प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए गए अनुज्ञप्ति का नवीकरण इस निमित्त जिला प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किए गए उप-संभागीय दण्डाधिकारी अथवा कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वारा किसी प्रकार के परिवर्तन के बिना किया जा सकता है ।

(4) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन को अनुज्ञप्ति फीस के साथ ऐसे प्रस्तुत किया जाएगा कि वह

अनुज्ञापन प्राधिकारी या अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए अधिकृत प्राधिकारी के पास उस तारीख से तीन मास पूर्व की तारीख (अर्थात् 31 दिसम्बर) या उससे पहले पहुँच जाए जिस तारीख को अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता समाप्त होती है ।

परन्तु 31 दिसम्बर के बाद अनुज्ञप्ति समाप्त होने की तारीख तक प्राप्त हुए आवेदन को विलम्ब से प्राप्त आवेदन समझा जाएगा और तब अनुज्ञप्ति का नवीकरण एक वर्ष के अनुज्ञप्ति फीस के बराबर विलम्ब फीस के साथ किया जाएगा ।

(5) यदि अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन अनुज्ञापन अथवा नवीकरण प्राधिकारी के पास अनुज्ञप्ति की वैधता समाप्त होने की तारीख अथवा उससे पहले पहुँचता है तो अनुज्ञप्ति को उस तारीख तक प्रभाव में समझा जाएगा जब तक अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं करता है अथवा जब तक आवेदक को यह सूचना नहीं दी जाती है कि अनुज्ञप्ति के नवीकरण से इंकार किया गया है और यदि अनुज्ञप्ति की वैधता की तारीख तक उसके नवीकरण के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता तो अनुज्ञप्ति की वैधता समाप्त हो जाएगी ।

(6) प्रत्येक वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए वही शुल्क प्रभारित किया जाएगा जो उसे प्रदान करने के लिए प्रभारित किया जाता है ।

(7) जहाँ एक से अधिक वित्तीय वर्षों के लिए नवीकृत कोई अनुज्ञप्ति विधिमान्यता समाप्त होने से पहले अभ्यर्पित की जाती है, वहाँ अनुज्ञप्ति की अवसान नहीं हुई अवधि के लिए नवीनीकरण फीस संदाय अनुज्ञप्तिधारी को लौटा दी जाएगी ।

(8) जहाँ किसी अनुज्ञप्ति का नवीकरण मुख्य नियंत्रक अथवा किसी नियंत्रक द्वारा किया गया है तो इस आशय की सूचना संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी और यदि अनुज्ञप्ति का नवीकरण जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया है तो उस आशय की सूचना संबंधित अधिकारिता वाले नियंत्रक को भेजी जाएगी ।

36. परिसर अथवा अनुज्ञापन हैसियत में परिवर्तन अथवा तब्दली, किन्तु जिसमें अनुज्ञप्ति धारक, भागीदारों अथवा निदेशकों अथवा सदस्यों के नाम की तब्दली अंतर्गस्त न हो, की स्थिति में अनुज्ञप्ति का संशोधन—

(1) यदि संशोधन इन नियमों के उपबंधों के अनुरूप हों तो अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए सशक्त प्राधिकारी द्वारा इन नियमों के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्ति में संशोधन किया सकता है ।

(2) अपनी अनुज्ञप्ति का संशोधन कराने का इच्छुक अनुज्ञप्ति धारक अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करेगा, अर्थातः—

(क) वांछित संशोधन की प्रकृति और उसके कारणों का उल्लेख करते हुए प्रारूप में आवेदन;

(ख) संलग्नकों के साथ मूल अनुज्ञप्ति ;

(ग) प्रस्तावित संशोधन के ब्यौरे दर्शाने वाली योजनाएं यदि संशोधन के प्रयोजन के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा ऐसी योजनाओं की अपेक्षा की जाए;

(घ) नियम 28 में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित संशोधन शुल्क ।

(3) अनुज्ञापन प्राधिकारी उप-नियम (2) के अधीन प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की संवीक्षा के उपरान्त, तथा ऐसी और जाँच करने और ऐसी कार्रवाई करने जैसी आवश्यक समझी

जाए के बाद अनुज्ञप्ति के संशोधन के लिए उपयुक्त कार्रवाई कर सकता है ।

37. भागीदारों अथवा निदेशकों अथवा सदस्यों अथवा अधिष्ठाता की तब्दीली से संबंधित प्रक्रिया - जब कभी किसी अनुज्ञप्ति धारक यथास्थिति, भागीदारी फर्म अथवा सोसाइटी अथवा संगम अथवा कम्पनी के नाम में परिवर्तन के बगैर ऐसी भागीदारी फर्म अथवा सोसाइटी अथवा संगम अथवा कम्पनी में किसी नए भागीदार अथवा सदस्य या निदेशक को सम्मिलित किया जाता है, तो अनुज्ञप्ति धारक अनुज्ञप्ति जारीकर्ता प्राधिकारी को ऐसे नए सम्मिलित भागीदारों अथवा सदस्यों अथवा निदेशकों को स्वीकार करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा,—

(क) नए आमेलित भागीदारों अथवा यथास्थिति, निदेशकों अथवा सदस्यों के नाम और पते, और यदि अधिष्ठाता को परिवर्तित किया जाता है तो नए अधिष्ठाता का फोटो;

(ख) नियम 28 में यथा विनिर्दिष्ट वांछित संवीक्षा शुल्क;

(ग) जिला प्राधिकारी से यथास्थिति, नए सम्मिलित भागीदारों या सदस्यों अथवा निदेशकों अथवा अधिष्ठाता के पूर्ववृत्त के सत्यापन का प्रमाण-पत्र, जहाँ जिला प्राधिकारी अनुज्ञप्ति जारीकर्ता प्राधिकारी नहीं है; और

(घ) कोई अन्य दस्तावेज जिसे अनुज्ञप्ति जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा माँगा जाए ।

38. अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने से इंकार—

संशोधन सहित अनुज्ञप्ति के लिए अनुमोदन करने अथवा उसे प्रदान करने से इंकार करने वाला अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसे इंकार के कारणों को लिखित में अभिलेख करेगा और उसकी

सूचना आवेदक को देगा और ऐसे इंकार से पहले, आवेदक को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा ।

39. अनुज्ञप्ति का नवीकरण किए जाने से इंकार—

(1) अनुज्ञप्ति का संशोधन अथवा नवीकरण करने से इंकार करने वाला अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसे इंकार के कारणों को लिखित में अभिलिखित करेगा ।

(2) यदि ऐसे अनुज्ञा-पत्र को अधिनियम अथवा इन नियमों के अनुसार रद्द किया जा सकता है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति का संशोधन अथवा नवीकरण करने से इंकार कर सकता है ।

(3) अनुज्ञप्ति के नवीकरण से इंकार के कारणों का एक संक्षिप्त विवरण माँग किए जाने पर, जब तक कि किसी मामले में अनुज्ञापन प्राधिकारी की यह राय न हो कि ऐसा विवरण देना लोक हित में नहीं होगा, अनुज्ञप्ति धारक को दिया जाएगा ।

(4) जहाँ अनुज्ञप्ति के नवीकरण से इंकार किया जाता है, नवीकरण के लिए भुगतान किए गए शुल्क को उस तारीख, जिस तारीख को अनुज्ञप्ति का नवीकरण किया जाना था से शुरू होकर उस तारीख, जिस तारीख को उसके नवीकरण करने से इंकार किया गया, तक की अवधि के लिए आनुपातिक शुल्क की कटौती करके अनुज्ञप्ति धारक को लौटा दिया जाएगा ।

(5) नियम के अधीन अनुज्ञप्ति के नवीकरण से इंकार करने से पहले अनुज्ञप्ति धारक को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा ।

40. अनापत्ति प्रमाण-पत्र को रद्द किया जाना—

(1) नियम 33 के अधीन प्रदान किए गए अनापत्ति प्रमाण-पत्र को उसे जारी करने वाले प्राधिकारी अथवा उससे उच्चतर प्राधिकारी द्वारा रद्द किया जा सकता है यदि ऐसे प्राधिकारी का यह समाधान होता है कि—

(क) अनुज्ञप्ति धारक का परिसर पर विधिमान्य कब्जे के लिए अधिकार नहीं रह गया है;

(ख) अनुज्ञप्ति धारक को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1973 का 2) के अध्याय VIII के अधीन किसी आपराधिक कृत्य के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और दण्डित किया गया है अथवा उसे अच्छे व्यवहार के लिए शांति बनाए रखने के लिए एक बंधपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश पारित किया गया है;

(ग) लोक शांति और सुरक्षा के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र को रद्द किया जाना नितांत आवश्यक है:

परन्तु अनापत्ति प्रमाण-पत्र को रद्द करने से पहले अनुज्ञप्ति धारक को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा ।

(2) अनापत्ति प्रमाण-पत्र को जारी करने वाला प्राधिकारी अथवा अनापत्ति प्रमाण-पत्र को रद्द करने वाली राज्य सरकार ऐसे रद्दकरण के कारणों को लिखित में अभिलिखित करेगा/करेगी और अनापत्ति प्रमाण-पत्र को निरस्त करने और ऐसे निरस्तकरण के कारणों के आदेश की एक प्रति तत्काल अनुज्ञप्ति धारक और संबंधित अनुज्ञापन प्राधिकारी को भेजेगा/भेजेगी ।

(3) यदि अनापत्ति प्रमाण-पत्र को रद्द करने के विरुद्ध अपील दायर की जानी है, तो ऐसी अपील साठ दिनों की अवधि के

भीतर जिला प्राधिकारी अथवा यथास्थिति, खान सुरक्षा महानिदेशक से उच्चतर प्राधिकारी के समक्ष दायर की जाएगी, और अपीलीय प्राधिकारी, यदि ऐसा वांछित है तो, मुख्य नियंत्रक से परामर्श कर सकता ।

41. अनुज्ञप्ति का निलंबन और प्रतिसंहरण या रद्दकरण

(1) इन नियमों के अधीन प्रदान की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति -

(I) रद्द मानी जाएगी, यदि

(क) अनुज्ञप्ति धारक का प्राधिकृत परिसर पर विधिमान्य कब्जे के लिए अधिकार समाप्त हो गया है;

(ख) अनुज्ञप्ति धारक को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1973 का 2) के अध्याय VIII के अधीन किसी आपराधिक कृत्य के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और दण्डित किया गया है अथवा उसे अच्छे व्यवहार के लिए शांति बनाए रखने के लिए उसे एक बंधपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश दिया गया है;

(II) रद्द मानी जाएगी, यदि जिला प्राधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र रद्द कर दिया गया है ।

(III) यदि उसका यह समाधान होता है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार हैं तो अधिनियम अथवा इन नियमों अथवा ऐसी अनुज्ञप्ति में उल्लिखित किसी शर्त का उल्लंघन करने के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश द्वारा, अथवा केन्द्रीय सरकार के आदेश द्वारा निलंबित या रद्द किए जाने योग्य है:

परन्तु इस नियम के अधीन अनुज्ञप्ति को निलंबित अथवा निरस्त करने से पहले अनुज्ञप्ति धारक को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा ।

(2) निलंबन या रद्द करना उस तारीख से प्रभावी होगा जिसका विनिर्देश उसमें किया जाए ।

(3) अनुज्ञप्ति के निलंबन अथवा रद्दकरण का आदेश तामील किया गया माना जाएगा यदि यदि उसे अनुज्ञप्ति में प्रविष्ट अनुज्ञप्ति धारक के पते पर डाक द्वारा भेज दिया है ।

(4) अनुज्ञप्ति का निलंबन अनुज्ञप्ति धारक को नवीकरण के लिए आवेदन करने से निवारित नहीं करेगा ।

(5) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित मामलों में अनुज्ञप्ति धारक को उसके अनुज्ञप्ति के निलंबन अथवा रद्द करने से पहले सुनवाई का अवसर नहीं दिया जा सकेगा—

(i) जहाँ अधिनियम अथवा इन नियमों के उपबंधों या ऐसी अनुज्ञप्ति में उल्लिखित किसी शर्त के उल्लंघन के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति को निलंबित किया जाता है और जहाँ अनुज्ञापन प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसे उल्लंघन से साधारण जनता को आसन्न खतरे की संभावना है और वह अंतरिम उपाय के रूप में अनुज्ञप्ति को निलंबित करता है:

परन्तु जहाँ अनुज्ञप्ति को इस प्रकार निलंबित किया जाता है, वहाँ अनुज्ञापन प्राधिकारी निलंबन आदेश की पुष्टि करने से पहले अनुज्ञप्ति धारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा; अथवा

(ii) जहाँ केन्द्रीय सरकार द्वारा लोक हित में अथवा राष्ट्र की सुरक्षा के हित में अनुज्ञप्ति को निलंबित अथवा रद्द किया जाता है, वहाँ ऐसा अवसर नहीं दिया जाना चाहिए ।

(6) अनुज्ञप्ति निलंबित अथवा रद्द करने वाला/वाली अनुज्ञापन प्राधिकारी अथवा केन्द्रीय सरकार ऐसा करने के कारणों को लिखित में अभिलिखित करेगा/करेगी ।

42. अनुज्ञप्ति की वैधता के अवसान का प्रतिसंहरण अथवा रद्दकरण पर प्रक्रिया

(1) अनुज्ञा-पत्र की वैधता का अवसान, उसके निलंबित अथवा रद्द होने की स्थिति में अनुज्ञप्ति धारक अपने कब्जे के अमोनियम नाइट्रेट की किस्म और मात्रा के बारे में अनुज्ञापन प्राधिकारी को सूचित करेगा और उनके निपटान के संबंध में अनुज्ञप्ति जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करेगा ।

(2) यदि अनुज्ञप्ति को अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा प्रतिसंहरण अथवा रद्द किया जाता है तो अवसान नहीं हुई अवधि का शुल्क अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा आवेदक को लौटा दिया जाएगा ।

43. अपील के लिए उपबंध -

* (1) अनुज्ञापन प्राधिकारी के अनुज्ञप्ति को प्रदान करने से इंकार करने या अनुज्ञप्ति के नवीकरण से इंकार करने अथवा अनुज्ञप्ति को निलंबित अथवा रद्द करने संबंधी आदेश के विरुद्ध अपील

(क) यदि आदेश मुख्य नियंत्रक द्वारा पारित किया गया है तो केन्द्रीय सरकार को

(ख) यदि आदेश जिला प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया है तो ऐसे प्राधिकारी के ठीक उच्चतर प्राधिकारी को

दायर की जा सकेगी ।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अपील ऐसे आदेश की सूचना दिए जाने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर दायर की जा सकेगी ।

4.4. अपील प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया—

(1) अपील प्राप्त होने पर और यदि ऐसी अपील अधिनियम के अनुसार स्वीकार की जा सकती है तो अपील प्राधिकारी उस प्राधिकारी से जिसने वह आदेश पारित किया है जिसके विरुद्ध अपील दायर की गई है, मामले के अभिलेख मँगवा सकता है और ऐसी आगे जाँच कर सकता है जैसी आवश्यक समझी जाए और अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के बाद अंतिम आदेश पारित कर सकता है ।

(2) अपील प्राधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई अधिनियम की धारा 6च के प्रावधानों के अनुरूप होगी ।

4.5. अनुज्ञप्ति धारक की मृत्यु अथवा निःशक्तता पर प्रक्रिया—

(1) यदि किसी अनुज्ञप्ति धारक की मृत्यु हो जाती है अथवा वह दिवालिया हो जाता है या मानसिक रूप से अक्षम हो जाता है अथवा अन्यथा निःशक्त हो जाता है तो इन नियमों के अधीन उसे प्रदान की गई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति धारक की यथास्थिति, मृत्यु या मानसिक अक्षमता अथवा दिवालियेपन या निःशक्तता की तारीख को निरस्त हुई मानी जाएगी ।

(2) अनुज्ञप्ति धारक के विधिक वारिस अथवा प्रतिनिधि यथाशीघ्र अनुज्ञापन प्राधिकारी को —

(क) अनुज्ञप्ति धारक की मृत्यु, दिवालियेपन, मानसिक अक्षमता अथवा अन्य निःशक्तता की तारीख सूचित करेगा; और

(ख) प्राधिकृत परिसर में रखे गए अमोनियम नाइट्रेट के निपटान के संबंध में अनुज्ञापन प्राधिकारी के निर्देशों की प्रतीक्षा करेगा ।

46. अनुज्ञप्ति खो जाना - जहाँ इन नियमों के अधीन प्रदान किया गया अनुज्ञप्ति अथवा उसकी प्रमाणित प्रति खो जाती है अथवा दुर्घटनावश नष्ट हो जाती है तो नियम 28 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट शुल्क का भुगतान करने पर उसकी एक अनुकृति प्रदान की जा सकती है ।

अध्याय- 8

प्राधिकारियों में निहित शक्तियाँ

47. अनुज्ञप्ति अथवा पास माँगने की अधिकारियों की शक्ति-

(1) प्रत्येक व्यक्ति, जिसके पास इन नियमों के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति हो वह, नियम 49 में विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए कहे जाने पर ऐसे समय और स्थान पर जैसे ऐसे अधिकारी द्वारा निदेश किया जाए, उसे या उसकी एक प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा ।

(2) पारगमन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट अथवा अमोनियम नाइट्रेट गलन के खेप का भारसाधक प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास इन नियमों के अधीन जारी वैध पास होता है, नियम 49 में विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए कहे जाने पर उसे प्रस्तुत करेगा ।

(3) किसी अनुज्ञप्ति की प्रतियाँ, इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाले प्राधिकारी से बिना किसी प्रभार के प्रमाणित कराई जा सकती हैं ।

48. प्राधिकारियों पर कार्यकारी नियंत्रण— इन नियमों के अधीन कार्य करने वाला केन्द्रीय सरकार से भिन्न प्रत्येक प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार के निर्देशों और नियंत्रण के अध्यधीन होगा:

परन्तु इन नियमों की कोई बात मुख्य नियंत्रक के उसके अधीनस्थों पर कार्यकारी नियंत्रण की शक्तियों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएंगी ।

49. तलाशी और जब्ती की शक्तियाँ

(1) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट कोई प्राधिकारी उस सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अधिकारिता के भीतर -

(क) किसी स्थान, विमान, ट्रेन, पोत, समुद्री-नौका या किसी परिवहन माध्यम जिसमें इन नियमों के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के अधीन अमोनियम नाइट्रेट का विनिर्माण, रूपांतरण, कब्जा, उपयोग, विक्रय, परिवहन, निर्यात अथवा आयात किया जा रहा है अथवा जिसमें उसे यह विश्वास करने का कारण है कि इन नियमों का उल्लंघन करते हुए अमोनियम नाइट्रेट का विनिर्माण, रूपांतरण, कब्जा, उपयोग, विक्रय, परिवहन, निर्यात अथवा आयात किया गया है अथवा किया जा रहा है, में प्रवेश कर सकता है, का निरीक्षण और जाँच कर सकता है;

(ख) अमोनियम नाइट्रेट अथवा उसके घटकों की तलाश कर सकता है;

(ग) उसमें पाए गए अमोनियम नाइट्रेट अथवा उसके घटकों के नमूने ले सकता है;

(घ) उसमें पाए गए अमोनियम नाइट्रेट अथवा उसके घटकों को उससे संबंधित दस्तावेजों के साथ, जिनके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण है कि अधिनियम अथवा इन नियमों के किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, जब्त, निरुद्ध और निराकरण कर सकता है ।

सरणी

क्रम संख्या	प्राधिकारी	अधिकारिता
1.	सभी जिला मजिस्ट्रेट	उनकी संबंधित अधिकारिता
2.	जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट	उनकी संबंधित अधिकारिता
3.	सभी पुलिस आयुक्त अथवा पुलिस अधिकारी जिनका रैंक पुलिस उप निरीक्षक के रैंक के नीचे का न हो	उनकी संबंधित अधिकारिता
4.	खान सुरक्षा महानिदेशक अथवा उसके अधीनस्थ अधिकारी	उनकी संबंधित अधिकारिता
5.	मुख्य नियंत्रक अथवा विस्फोटक नियंत्रक	भारत के सभी भाग

50. अतिलंघन की रिपोर्ट पर प्रक्रिया

(1) जब कभी मुख्य नियंत्रक अथवा नियंत्रक द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को अधिनियम अथवा इन नियमों के अतिलंघन के बारे में कोई रिपोर्ट की जाए, जिला मजिस्ट्रेट तत्काल कार्रवाई करेगा और ऐसी रिपोर्ट पर उसके द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना यथास्थिति, मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक को देगा ।

(2) मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक जब कभी अमोनियम नाइट्रेट पाते हैं जिसके संबंध में यथास्थिति, मुख्य नियंत्रक या

नियंत्रक को यह विश्वास करने का कारण है कि इन नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया गया है अथवा उसकी राय में जो भण्डारण, परिवहन या उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं रह गया है और ऐसे नियंत्रक को मामला गंभीर प्रतीत होता है और जनता, स्थान और अमोनियम नाइट्रेट के स्वामी के लिए गंभीर खतरा प्रतीत होता है, तो ऐसे किसी अमोनियम नाइट्रेट को नष्ट कर सकता है ।

(3) इस नियम में की कोई बात अमोनियम नाइट्रेट या उसका मिश्रण अंतर्विष्ट करने वाली संशोधित विस्फोटक युक्ति पर लागू नहीं होगी ।

अध्याय- 9

दुर्घटनाएं, जाँच और रिपोर्टें

51. किसी हानि अथवा चोरी की सूचना - अनुज्ञप्ति धारक अपने अधिकारक्षेत्र के भीतर हुई अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट गलन की किसी हानि अथवा चोरी, जहाँ हानि अमोनियम नाइट्रेट के रोजमर्रा के उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, अथवा उपयोग के दौरान प्रतीकात्मक रूप से होने वाली हानि की मात्रा से हटकर होती है, की सूचना दुर्घटना, हानि अथवा चोरी के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों के व्यौरे देते

हुए अनुज्ञापन प्राधिकारी और संबंधित जिला प्राधिकारी को देगा और हानि अथवा चोरी की सूचना निकटतम स्थानीय पुलिस स्टेशन को भी दी जाएगी ।

52. दुर्घटना की सूचना -

(1) अधिनियम की धारा 8 के अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित दुर्घटना की सूचना दुर्घटना घटने के बाद चौबीस घण्टे की अवधि के भीतर टेलिफोन, टेलिग्राम, ई-मेल, फैंक्स द्वारा अथवा किसी अन्य इलैक्ट्रानिक माध्यम से अथवा विशेष संदेशवाहक द्वारा और उसके बाद लिखित रिपोर्ट के रूप में जिस पर अधिष्ठाता अथवा उसी प्राधिकारी के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों, दुर्घटना, मानव जीवन की हानि, व्यक्तियों को पहुँची चोट, सम्पत्ति को नुकसान, की गई आपातक कार्रवाई आदि के व्यौरे देते हुए निम्नलिखित को दी जाएगी—

- (क) मुख्य नियंत्रक;
- (ख) नियंत्रक जिसकी अधिकारिता में दुर्घटना घटी;
- (ग) जिला मजिस्ट्रेट; और
- (घ) निकटतम पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी ।

(2) जब तक मुख्य नियंत्रक अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि नहीं आता अथवा मुख्य नियंत्रक अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि से यह अनुदेश प्राप्त नहीं होता कि वह कोई आगे तफ्तीश अथवा जाँच करवाने का इच्छुक नहीं है, किसी मलवे और कचरे को तब के सिवाए जब दुर्घटना से घायल हुए व्यक्तियों को बचाने और मारे गए किन्हीं व्यक्तियों के शव निकालने के लिए और हवाई अड्डे अथवा रेलवे के मामले में संचरण व्यवस्था बहाल करने के लिए उन्हें हटाना जरूरी हो, कोई हाथ से छुएगा नहीं ।

(3) मुख्य नियंत्रक अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि, यदि उसके द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए, निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी से सभी सहायता की व्यवस्था करेगा ।

53. जाँच न्यायालय में प्रक्रिया- (1) मुख्य नियंत्रक, सशस्त्र बलों अथवा आयुध कारखानों अथवा ऐसे बलों की अन्य स्थापनाओं के प्रमुखों से उस जाँच न्यायालय में प्रतिनिधित्व कराने की व्यवस्था करेगा, जहाँ वह चाहता है ।

(2) मुख्य नियंत्रक को न्यायालय की उस कार्यवाही की प्रतियाँ प्रदान की जाएंगी जहाँ उसका प्रतिनिधित्व नहीं होता है ।

(3) सशस्त्र बलों अथवा यथास्थिति, आयुध कारखानों अथवा ऐसे बलों की अन्य स्थापनाओं के प्रमुख मुख्य नियंत्रक को दुर्घटना की तत्काल ऐसी जानकारी देकर उसके साथ सहयोग करेंगे जो मुख्य नियंत्रक द्वारा ईंगित हित के मामलों पर जाँच न्यायालय समन किए जाने योग्य हो ।

(4) मुख्य नियंत्रक व्यक्तिगत रूप में उपस्थित हो सकता है या अपने एक प्रतिनिधि को भेज सकता है और दोनों में से किसी मामले में वह, यदि ऐसा चाहे तो, गवाहों की जाँच करने के लिए अधिकृत होगा ।

54. दुर्घटना की जाँच-

(1) जब कभी जिला मजिस्ट्रेट अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन जाँच आयोजित करे, वह मुख्य नियंत्रक अथवा उसके द्वारा नामित अधिकारी कार्यवाही देखने के लिए उपस्थित न होने तक अथवा ऐसे मजिस्ट्रेट को मुख्य

नियंत्रक से यह सूचना प्राप्त होने तक कि अधिकारी प्रतिनिधि भेजने का इच्छुक नहीं है, ऐसी जाँच स्थगित रखेगा ।

(2) जिला मजिस्ट्रेट स्थगित जाँच आयोजित करने से कम से कम इक्कीस दिन पहले स्थगित जाँच आयोजित करने के समय और स्थान की लिखित में सूचना मुख्य नियंत्रक को भेजेगा ।

(3) जहाँ किसी दुर्घटना में मानव जीवन की हानि हुई है वहाँ जिला मजिस्ट्रेट, स्थगन से पहले, मृतकों की पहचान के लिए साक्ष्य ले सकता है और उनके निपटान का आदेश पारित कर सकता है ।

(4) मुख्य नियंत्रक अथवा उसका प्रतिनिधि विधि के बिन्दुओं पर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अध्वधीन रहते हुए ऐसी जाँच में किसी गवाह की पड़ताल के लिए स्वतंत्र होगा ।

(5) जहाँ जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आयोजित किसी जाँच में मुख्य नियंत्रक उपस्थित नहीं होता या उसका प्रतिनिधित्व नहीं होता, ऐसी जाँच की कार्यवाही रिपोर्ट की एक प्रति उसे भी भेजी जाएगी ।

55. अधिक गंभीर दुर्घटनाओं की जाँच - (1) जब कभी अधिनियम की धारा 9क के अधीन जाँच की गई हो, ऐसी जाँच आयोजित करने वाले व्यक्ति उसका आयोजन खुले न्यायालय में, ऐसे रीति से और ऐसी स्थितियों में जैसे वे दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए और उन्हें इस नियम के अधीन रिपोर्ट बनाने के लिए समर्थ करने के लिए सर्वाधिक प्रभावी समझें, करेंगे:

परन्तु जहाँ केन्द्रीय सरकार ऐसे निर्देश करे जाँच बंद कमरे में आयोजित की जा सकती है ।

(2) जब कभी मुख्य नियंत्रक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उप-नियम (1) के अधीन जाँच आयोजित की जाए, तो ऐसा व्यक्ति ऐसी जाँच और उसकी किसी स्थगित जाँच में मुख्य नियंत्रक के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करेगा ।

(3) जाँच आयोजित करने वाला व्यक्ति जाँच अथवा किसी स्थगित जाँच के आयोजन से कम से कम इक्कीस दिन पहले ऐसी जाँच के आयोजन के समय और स्थान की लिखित में सूचना मुख्य नियंत्रक को भेजेगा ।

(4) मुख्य नियंत्रक व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित हो सकता है अथवा एक प्रतिनिधि भेज सकता है और दोनों में से किसी मामले में वह, ऐसे इच्छुक होने पर, गवाहों की पड़ताल करने के लिए अधिकृत होगा ।

अध्याय— 10

प्रशासनिक और दण्डिक कार्रवाई

56. सदाशय से की गई कार्रवाई का संरक्षण — अधिनियम अथवा इन नियमों अथवा इनके अधीन जारी किए गए आदेशों अथवा निर्देशों के अनुसरण में सदाशय से की गई अथवा किए जाने के लिए आशयित किसी कार्रवाई के संबंध में सरकार अथवा सरकार के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी अथवा अधिनियम अथवा इन नियमों के अधीन गठित किसी प्राधिकारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन अथवा कोई अन्य विधिक कार्यवाही नहीं चलाई जा सकेगा/सकेगी ।

57. उल्लंघन के लिए निरीक्षण के बाद प्रशासनिक कार्रवाई - निरीक्षण प्राधिकारी परिसर का निरीक्षण करके अनुज्ञप्ति धारक और अनुज्ञापन प्राधिकारी को लिखित में अपने प्रेक्षण, विसंगतियों या नियमों के उल्लंघन, यदि कोई हों, या अनुज्ञा-पत्र की शर्तें भंग किए जाने के बारे में सूचित करेगा और निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी को पृष्ठांकित की जाएगी ।

अनुसूची 1

भाग - 1

(नियम 27 देखें)

अनुज्ञप्तियाँ और अनुज्ञापन प्राधिकारी

क्रम संख्या	किस उद्देश्य से जारी किया गया	अनुज्ञप्ति का प्ररूप	अनुज्ञापन प्राधिकारी
1.	अमोनियम नाइट्रेट विनिर्माण या कन्वर्जन प्लान्ट से सम्बद्ध भण्डारण से अमोनियम नाइट्रेट कब्जे में रखने एवं विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति	त - 1	मुख्य नियंत्रक या मुख्य नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत नियंत्रक
2.	(क) अमोनियम नाइट्रेट के स्टेवडोरिंग एवं बैगिंग के लिए अनुज्ञप्ति	त - 2	जिला प्राधिकारी
	(ख) किसी स्टोर हाउस से अमोनियम नाइट्रेट विक्रय एवं प्रयोग हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति	त - 3	जिला प्राधिकारी
	(ग) ट्रक या टैंकर में अमोनियम नाइट्रेट के परिवहन के लिए अनुज्ञप्ति	त - 4	विस्फोटक नियंत्रक
3.	अमोनियम नाइट्रेट के आयात एवं निर्यात के लिए अनुज्ञप्ति	त - 5	मुख्य नियंत्रक

अनुसूची 2

भाग - 1

आवेदन प्रारूप

(अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011 का नियम 32 देखें)

प्रारूप संख्या	उद्देश्य
क-1	अमोनियम नाइट्रेट विनिर्माण या कन्वर्जन प्लान्ट से सम्बद्ध भण्डारण से अमोनियम नाइट्रेट कब्जे में रखने एवं विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति
क-2	अमोनियम नाइट्रेट के स्टेवोडोरिंग एवं बैगिंग के लिए अनुज्ञप्ति
क-3	किसी स्टोर हाउस से अमोनियम नाइट्रेट विक्रय एवं प्रयोग के लिए कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति
क-4	ट्रक या टैंकर में अमोनियम नाइट्रेट के परिवहन के लिए अनुज्ञप्ति
क-5	अमोनियम नाइट्रेट के आयात एवं निर्यात के लिए अनुज्ञप्ति

भाग - 2

अनुज्ञप्ति प्रारूप

(अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011 का नियम 33 देखें)

प्रारूप संख्या	उद्देश्य
त-1	अमोनियम नाइट्रेट विनिर्माण या कन्वर्जन प्लान्ट से सम्बद्ध भण्डारण से अमोनियम नाइट्रेट कब्जे में रखने एवं विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति
त-2	अमोनियम नाइट्रेट के स्टेवोडोरिंग एवं बैगिंग के लिए अनुज्ञप्ति
त-3	किसी स्टोर हाउस से अमोनियम नाइट्रेट विक्रय एवं प्रयोग के लिए कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति
त-4	ट्रक या टैंकर में अमोनियम नाइट्रेट के परिवहन के लिए अनुज्ञप्ति
त-5	अमोनियम नाइट्रेट के आयात एवं निर्यात के लिए अनुज्ञप्ति

भाग - 3

विवरणी प्रारूप

(अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011 का नियम 14, 20, 21 एवं 26 देखें)

प्रारूप संख्या	उद्देश्य
द-1	अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन
द-2	अनुज्ञप्तिधारक द्वारा लेखाजोखा रखे जाने का प्रारूप - विनिर्मित, कन्वर्टेड अमोनियम नाइट्रेट का लेखाजोखा
द-3	आयातकर्ता द्वारा लोडिंग के स्थान या पत्तन से अमोनियम नाइट्रेट का डिस्पैच किए जाने पर मुख्य नियंत्रक को प्रेषित किया जाने वाला घोषणापत्र
द-4	आयात के स्थान या पत्तन से अमोनियम नाइट्रेट के कन्साइनमेन्ट के क्लीयर होते ही यह घोषणापत्र भरकर तीन प्रतियों में श्रीमान मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को प्रेषित किया जाना चाहिए
द-5	जहाज से सामान उतारने / लादने वाले एजेंट द्वारा लेखाजोखा रखे जाने का प्रारूप - अमोनियम नाइट्रेट के जहाज पर लादने / उतारने, बैगिंग एवं डिस्पैच का लेखाजोखा
द-6	अनुज्ञप्तिधारक द्वारा अभिलेख रखे जाने का प्रारूप - अमोनियम नाइट्रेट या मेल्ट के ट्रक या टैंकर द्वारा परिवहन का अभिलेख
द-7	अनुज्ञप्तिधारक द्वारा लेखाजोखा रखे जाने का प्रारूप - अमोनियम नाइट्रेट के विक्रय का लेखाजोखा
द-8	अनुज्ञप्तिधारक द्वारा लेखाजोखा रखे जाने का प्रारूप - अनुज्ञप्तिधारक द्वारा अमोनियम नाइट्रेट के प्रयोग का लेखाजोखा
द-9	अमोनियम नाइट्रेट का विवरणी
द-10	कन्साइनी द्वारा जारी किए जाने वाला अमोनियम नाइट्रेट के इन्डेन्ट का प्रारूप
द-11 (क)	अमोनियम नाइट्रेट के कन्साइमेन्ट की डिलीवरी से पूर्व कन्साइनर द्वारा पुलिस अधीक्षक को सूचना दिए जाने सम्बन्धी प्रारूप
द-11(ख)	अमोनियम नाइट्रेट के कन्साइमेन्ट के परिवहन हेतु कन्साइनर द्वारा जारी किया गया पास

भाग - 4

प्रमाणपत्र

(अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011 का नियम 14, 20, 21 एवं 26 देखें)

प्रारूप संख्या	उद्देश्य
अ-1	पत्तन में प्रवेश करने से पूर्व अमोनियम नाइट्रेट ले जाने वाले जहाज के मास्टर या जहाज के एजेंट द्वारा की जाने वाली घोषणा
अ-2	अनापत्ति प्रमाणपत्र का प्रारूप

प्ररूप क - 1

(अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011 का नियम 34 एवं 36 देखिए)

अमोनियम नाइट्रेट विनिर्माण या कन्वर्जन प्लान्ट से सम्बद्ध भण्डारण से अमोनियम नाइट्रेट कब्जे में रखने एवं
विक्रय हेतु अनुमोदन या अनुदान या संशोधन हेतु आवेदन

में, की ओर से निम्नलिखित प्रयोजन के लिए
अनुज्ञप्ति के अनुमोदन या अनुदान या संशोधन⁽¹⁾ के लिए आवेदन करता हूँ -

1. नाम : मुझे अनुज्ञप्ति निम्नलिखित नाम एवं डाक के पते पर अपेक्षित है -

- (क) नाम, जिसमें अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने की अपेक्षा की गई है (नीचे नोट्स देखें)
- (ख) प्रास्थिति⁽²⁾
- (ग) आयु⁽³⁾
- (घ) डाक पता

शहर जिला राज्य पिन कोड
पुलिस थाना रेल्वे स्टेशन या स्टीमर घाट
फोन ई-मेल फैक्स/

2. प्रस्तावित परिसर निम्नलिखित पते पर स्थित है-

सर्वे नं० शहर जिला राज्य/
..... पिन कोड
पुलिस थाना रेल्वे स्टेशन या स्टीमर घाट
फोन ई-मेल फैक्स/

3. आवेदक और उसके द्वारा नियोजित तकनीकी कर्मियों की अर्हताएं और अनुभव

4. प्रतिदिन विनिर्माण, कन्वर्ट किए जाने के वाले अमोनियम नाइट्रेट की प्रस्तावित मात्रा

(क) विनिर्माण, कन्वर्जन संयंत्र की वार्षिक क्षमता

(ख) कन्वर्जन संयंत्र के प्रत्येक स्टोरहाउस प्रत्येक शेड में किसी एक समय पर उपलब्ध अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा

(ग) किसी एक समय में भण्डारण किए जाने वाली अमोनियम नाइट्रेट की प्रस्तावित मात्रा

(घ) प्रस्तावित संशोधन या अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, के ब्यौरे

5. क्या आवेदक को पिछले 10 वर्षों के दौरान दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय VIII
के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या बंधपत्र निष्पादित करने
का आदेश दिया गया है ? यदि हाँ तो कृपया ब्यौरे दें ।

6. (क) अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011 के अधीन अन्य अनुज्ञप्ति की विशिष्टियाँ,
यदि आवेदक द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान धारित की गई हों। हाँ नहीं
- (ख) क्या किसी अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया था या नवीनीकृत नहीं की गई थी? हाँ नहीं
- (ग) यदि हाँ, ब्यौरे दें

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई विशिष्टियाँ सही हैं ।

तारीख

आवेदक के हस्ताक्षर

(कम्पनी की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति)

पूरा नाम

पता

टिप्पण :

कृपया प्रयोजन और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के लिए नियम देखिए

1. उस दशा में जहाँ आवेदन, किसी व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहाँ नियम 2 के अनुसार अधिभोगी और यथास्थिति, निदेशकों या भागीदारों या सदस्यों के नाम और पते तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न किए जाने चाहिए ।
2. अधिभोगी का पासपोर्ट आकार का फोटो लगाया जाना.
3. उपरोक्त सूचना में किसी परिवर्तन की संसूचना तुरन्त अनुज्ञापन अधिकारी या अनुज्ञप्ति नवीनीकरण प्राधिकारी को दी जाएगी
4. आवेदक के व्यक्ति होने के दशा में आयु दी जानी है

कानूनी चेतावनी :

अमोनियम नाइट्रेट का दुरुपयोग विधि के अधीन गंभीर अपराध होगा ।

प्ररूप क - 2

(अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011 का नियम 34 एवं 36 देखिए)

अमोनियम नाइट्रेट के स्टेवेडोर एवं बैगिंग के लिए अनुमोदन या अनुदान या संशोधन हेतु आवेदन

में, की ओर से निम्नलिखित प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति के अनुमोदन या अनुदान या संशोधन⁽¹⁾ के लिए आवेदन करता हूँ -

2. नाम : मुझे अनुज्ञप्ति निम्नलिखित नाम एवं डाक के पते पर अपेक्षित है -

(ख) नाम, जिसमें अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने की अपेक्षा की गई है (नीचे नोट्स देखें)

(ख) प्रास्थिति⁽²⁾

(ग) आयु⁽³⁾

(घ) डाक पता

शहर जिला राज्य पिन कोड

पुलिस थाना रेल्वे स्टेशन या स्टीमर घाट

फोन ई-मेल फैक्स/

2. प्रस्तावित बैगिंग परिसर निम्नलिखित पते पर स्थित है-

सर्वे नं० शहर जिला राज्य/ पिन कोड

पुलिस थाना रेल्वे स्टेशन या स्टीमर घाट

फोन ई-मेल फैक्स

3. पतन प्राधिकारी द्वारा स्टेवेडोरिंग एजेंट के पंजीकरण का विवरण

4. आवेदक और उसके द्वारा नियोजित तकनीकी कर्मियों की अर्हताएं और अनुभव

5. अमोनियम की बैगिंग क्षमता

(क) वार्षिक बैगिंग क्षमता

(ख) प्रत्येक बैगिंग गोदाम एवं संबद्ध स्टोरहाउस, यदि हो, में किसी एक समय पर उपलब्ध अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा

(ग) किसी एक समय में, दोनों विपुल एवं बैग्ड अवस्था में, भण्डारण किए जाने वाली अमोनियम नाइट्रेट की प्रस्तावित मात्रा

(घ) प्रस्तावित संशोधन या अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, के ब्यौरे

6. क्या आवेदक को पिछले 10 वर्षों के दौरान दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय VIII के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया है ? यदि हाँ तो कृपया ब्यौरा दें ।
6. (क) अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011 के अधीन अन्य अनुज्ञप्ति की विशिष्टियाँ,
यदि आवेदक द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान धारित की गई हों । हाँ नहीं
- (ग) क्या किसी अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया था या नवीनीकृत नहीं की गई थी ? हाँ नहीं
- (ग) यदि हाँ, ब्यौरा दें

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई विशिष्टियाँ सही हैं

आवेदक के हस्ताक्षर
तारीख (कम्पनी की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति)
पूरा नाम
पता

टिप्पण :

कृपया प्रयोजन और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के लिए नियम देखिए

- उस दशा में जहाँ आवेदन, किसी व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहाँ नियम 2 के अनुसार अधिभोगी और यथास्थिति, निदेशकों या भागीदारों या सदस्यों के नाम और पते तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न किए जाने चाहिए ।
- अधिभोगी का पासपोर्ट आकार का फोटो लगाया जाना
- उपरोक्त सूचना में किसी परिवर्तन की संसूचना तुरन्त अनुज्ञापन अधिकारी या अनुज्ञप्ति नवीनीकरण प्राधिकारी को दी जाएगी।
- आवेदक के व्यक्ति होने के दशा में आयु दी जानी है ।

कानूनी चेतावनी :

अमोनियम नाइट्रेट का दुरुपयोग विधि के अधीन गंभीर अपराध होगा ।

प्ररूप क.-3

(अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011 का नियम 34 एवं 36 देखिए)

किसी स्टोर हाउस से अमोनियम नाइट्रेट विक्रय एवं प्रयोग हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति के अनुमोदन,
अनुदान या संशोधन हेतु आवेदन

मैं,..... की ओर से निम्नलिखित प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति के अनुमोदन या अनुदान या संशोधन⁽¹⁾ के लिए आवेदन करता हूँ :

1. प्रयोजन - अमोनियम नाइट्रेट का विक्रय हेतु कब्जा या प्रयोग हेतु कब्जा

2. नाम : मुझे अनुज्ञप्ति निम्नलिखित नाम और डाक पते पर अपेक्षित है -

- (क) नाम, जिसमें अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने की अपेक्षा की गई है
- (ख) प्रास्थिति ⁽²⁾
- (ग) आयु⁽³⁾
- (घ) डाक पता

पुलिस थाना

जिला राज्य पिन कोड

फोन ई-मेल फैक्स

3. प्रस्तावित परिसर निम्नलिखित पते पर स्थित है -

.....

..... पुलिस थाना

जिला राज्य पिन कोड

फोन ई-मेल फैक्स

4. आवेदक और उसके द्वारा नियोजित तकनीकी कार्मिकों की अर्हताएं और अनुभव

5. (क) रखे जाने और विक्रीत किए जाने के लिए प्रस्तावित अमोनियम नाइट्रेट

(1) किसी एक समय में कब्जे में रखे जाने वाले अमोनियम नाइट्रेट की प्रस्तावित मात्रा

(2) किसी एक माह में विक्रय किए जाने वाले अमोनियम नाइट्रेट की प्रस्तावित मात्रा

(ख) क्या अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण एवं कन्वर्जन हेतु परिसर किसी फैक्टरी के साथ सम्बद्ध है ? यदि हाँ तो अनुज्ञप्ति संख्या एवं अन्य विवरण दें

6. (क) कब्जे में रखने और प्रयोग किए जाने वाले प्रस्तावित अमोनियम नाइट्रेट

(1) अमोनियम नाइट्रेट के प्रयोग का प्रयोजन बताएँ

- (2) प्रतिदिन प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम नाइट्रेट की प्रस्तावित मात्रा
- (3) एक माह में प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम नाइट्रेट की प्रस्तावित मात्रा
- (4) प्रयोग हेतु किसी एक समय में कब्जे में रखे जाने वाले अमोनियम नाइट्रेट की प्रस्तावित मात्रा
- (ख) मद संख्या 6 में उल्लिखित भण्डारण परिसर से उस स्थल की दूरी, जहाँ अमोनियम नाइट्रेट प्रयुक्त किए जाएँगे
7. क्या आवेदक को पिछले 10 वर्षों के दौरान दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय VIII
के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है श बंधपत्र निष्पादित करने
का आदेश दिया गया है ? यदि हाँ तो कृपया ब्यौरा दें ।
8. अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011 के अधीन अन्य अनुज्ञप्ति की विशिष्टियाँ,
यदि आवेदक द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान धारित की गई हों । हाँ नहीं
- (घ) क्या किसी अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया था या नवीनीकृत नहीं की गई थी ? हाँ नहीं
- (ङ) (ग) यदि हाँ, ब्यौरे दें

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई विशिष्टियाँ सही हैं

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख

(कम्पनी की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति)

पूरा नाम

पता

+ जो लागू न हो उसे काट दें ।

टिप्पण : कृपया प्रयोजन और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के लिए नियम देखिए ।

1. उस दशा में जहाँ आवेदन, किसी व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहाँ नियम 2 के अनुसार अधिभोबी और यथास्थिति, निदेशकों या भागीदारों या सदस्यों के नाम और पते तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न किए जाने हैं ।
2. अधिभोगी का पासपोर्ट आकार का फोटो लगाया जाना है ।
3. उपरोक्त सूचना में किसी परिवर्तन की संसूचना तुरन्त अनुज्ञापन अधिकारी या अनुज्ञप्ति नवीनीकरण प्राधिकारी को दी जाएगी ।
4. आवेदक के व्यक्ति होने के दशा में आयु दी जानी है ।

कानूनी चेतावनी : अमोनियम नाइट्रेट का दुरुपयोग विधि के अधीन गंभीर अपराध होगा ।

प्ररूप क - 4

(अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011 का नियम 34 एवं 36 देखिए)

ट्रक या टैंकर में अमोनियम नाइट्रेट के परिवहन हेतु अनुज्ञप्ति के अनुमोदन, अनुदान या संशोधन हेतु आवेदन

में,..... की ओर से निम्नलिखित

प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति के अनुमोदन या अनुदान या संशोधन के लिए आवेदन करता हूँ ।

1.. नाम : मुझे अनुज्ञप्ति निम्नलिखित नाम और डाक पते पर अपेक्षित है -

(क) नाम, जिसमें अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने की अपेक्षा की गई है (नीचे नोट्स देखें)

(ख) प्रास्थिति⁽¹⁾(ग) आयु⁽²⁾

(घ) डाक पता

पुलिस थाना

जिला राज्य पिन कोड

फोन ई-मेल फैक्स

2. परिसर का पता जहाँ वाहन सामान्यतः खड़ी रहेगी

3. वहन की जाने वाली अमोनियम नाइट्रेट का प्रकार एवं मात्रा

4. स्थान (राज्य या जिले) जहाँ वैन सामान्यतः चलेगी

5. वाहन का विवरण

मेक एवं मॉडल

पंजीकरण संख्या

इंजिन संख्या

चैसिस संख्या

सकल वाहन भार

अनलेडन भार

6. वाहन के अन्य फिटिंग्स का विवरण

7. संभागीय परिवहन प्राधिकारी द्वारा अनुमत्य वहन क्षमता
8. क्या आवेदक को पिछले 10 वर्षों के दौरान दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 8
के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या बंधपत्र निष्पादित करने
का आदेश दिया गया है ? यदि हाँ, तो कृपया ब्यौरा दें ।
9. (क) विस्फोटक अधिनियम 1884 के अधीन अन्य अनुज्ञप्ति की विशिष्टियाँ
यदि आवेदक द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान धारित की गई हों ।
- (ख) क्या किसी अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया था या नवीनीकृत नहीं की गई थी ? हाँ नहीं
- (ग) यदि हाँ, ब्यौरे दें

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई विशिष्टियाँ सही हैं

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख

(कम्पनी की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति)

पूरा नाम

पता

टिप्पण : कृपया प्रयोजन और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के लिए नियम देखिए ।

1. उस दशा में जहाँ आवेदन, किसी व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहाँ नियम 2 के अनुसार अधिभोगी और यथास्थिति, निदेशकों या भागीदारों या सदस्यों के नाम और पते तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न किए जाने हैं ।
2. अधिभोगी का पासपोर्ट आकार का फोटो लगाया जाना है ।
3. उपरोक्त सूचना में किसी परिवर्तन की संसूचना तुरन्त अनुज्ञापन अधिकारी या अनुज्ञप्ति नवीनीकरण प्राधिकारी को दी जाएगी ।
4. आवेदक के व्यक्ति होने के दशा में आयु दी जानी है ।

कानूनी चेतावनी : अमोनियम नाइट्रेट का दुरुपयोग विधि के अधीन गंभीर अपराध होगा ।

प्ररूप क 5

(अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011 का नियम 34 देखें)

समुद्र द्वारा अमोनियम नाइट्रेट के आयात एवं निर्यात हेतु अनुज्ञप्ति के अनुमोदन या अनुदान के लिए आवेदन

में, की ओर से निम्नलिखित प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति के अनुमोदन या अनुदान या संशोधन के लिए आवेदन करता हूँ:-

1. उद्देश्य :- आयात या निर्यात
2. मुझे अनुज्ञप्ति निम्नलिखित नाम एवं डाक पते पर अपेक्षित है:-
 - (क) नाम जिसमें अनुज्ञप्ति अनुदान करने की अपेक्षा की गई है (नीचे नोट्स देखिए)
 - (ख) प्रास्थिति
 - (ग) आयु
 - (घ) डाक पता
 - शहर जिला राज्य पिन कोड
 - पुलिस स्टेशन रेलवे स्टेशन या स्टीमर घाट
 - फोन ईमेल फैक्स
3. (क) (1) / (आयात के लिए) किसी एक समय में आयात किए जाने वाले अमोनियम नाइट्रेट की प्रस्तावित मात्रा
 - (2) विनिर्माता का नाम एवं पता या अमोनियम नाइट्रेट आयात किए जाने वाले आयातक का देश
 - (3) स्टोरहाउस का विवरण जहाँ आयात के बाद अमोनियम नाइट्रेट का भण्डारण किया जाएगा
 - (4) पत्तन या आयात का स्थान
 - (5) अमोनियम नाइट्रेट का भण्डारण विपुल में है या बैग्ड रूप में है
 - (6) स्टेवडोरिंग एजेंट का विवरण जिसमें उसका नाम, पता एवं अनुज्ञप्ति संख्या हो
3. (ख) (निर्यात के लिए)
 - (1) निर्यात किए जाने वाले अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा
 - (2) कन्साइनी का नाम एवं पता या निर्यात का देश
 - (3) स्थान या पत्तन जहाँ से अमोनियम नाइट्रेट का निर्यात किया जाएगा

4. क्या आवेदक को पिछले 10 वर्षों के दौरान दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय VIII
के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है श बंधपत्र निष्पादित करने
का आदेश दिया गया है ? यदि हाँ तो कृपया ब्यौरा दें ।
5. अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011 के अधीन अन्य अनुज्ञप्ति की विशिष्टियाँ,
यदि आवेदक द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान धारित की गई हों । हाँ नहीं
(च) क्या किसी अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया था या नवीनीकृत नहीं की गई थी ? हाँ नहीं
(छ) यदि हाँ, ब्यौरे दें

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई विशिष्टियाँ सही हैं

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख

(कम्पनी की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति)

पूरा नाम

पता

टिप्पण : कृपया प्रयोजन और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के लिए नियम देखिए ।

1. उस दशा में जहाँ आवेदन, किसी व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहाँ नियम 2 के अनुसार अधिभोबी और यथास्थिति, निदेशकों या भागीदारों या सदस्यों के नाम और पते तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न किए जाने हैं ।
2. अधिभोगी का पासपोर्ट आकार का फोटो लगाया जाना है ।
3. उपरोक्त सूचना में किसी परिवर्तन की संसूचना तुरन्त अनुज्ञापन अधिकारी या अनुज्ञप्ति नवीनीकरण प्राधिकारी को दी जाएगी ।
4. आवेदक के व्यक्ति होने के दशा में आयु दी जानी है ।

कानूनी चेतावनी : अमोनियम नाइट्रेट का दुरुपयोग विधि के अधीन गंभीर अपराध होगा ।

अनुज्ञप्ति

प्ररूप त - 1

(अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011 का नियम 34 देखें)

अमोनियम नाइट्रेट विनिर्माण या कन्वर्जन प्लान्ट से सम्बद्ध भण्डारण से अमोनियम नाइट्रेट कब्जे में रखने एवं विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति संख्या

वार्षिक शुल्क रु0

1. एतद्वारा नाम
डाक पता शहर जिला राज्य पिन कोड
पुलिस स्टेशन रेल्वे स्टेशन या स्टीमर घाट
फोन ईमेल फैक्स को
अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है
2. अनुज्ञप्तिधारी की प्रास्थिति :
3. अनुज्ञप्ति निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए वैध है -
अमोनियम नाइट्रेट का विनिर्माण, कन्वर्जन एवं कब्जा
4. अनुज्ञप्ति, अमोनियम नाइट्रेट के निम्नलिखित मात्रा के विनिर्माण, कन्वर्जन एवं कब्जा के लिए वैध है-
(क) किसी एक समय में अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा।
(ख) प्रतिमाह अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा ।
5. अधिकृत परिसर निम्नलिखित आरेखण (णों) के अनुरूप होगा -
आरेखण संख्या दिनांक
6. अधिकृत परिसर निम्नलिखित पते पर अवस्थित है:
शहर..... जिला राज्य पिन कोड.....
पुलिस स्टेशन रेल्वे स्टेशन या स्टीमर घाट
फोन ईमेल फैक्स
7. अधिकृत परिसर में निम्नलिखित सुविधाएँ हैं -
(क) विनिर्माण, कन्वर्जन सुविधाएँ
(ख) संख्या स्टोर हाउस ।
8. अनुज्ञप्ति, विस्फोटक अधिनियम 1884, समय समय पर यथा संशोधित एवं उसके अधीन बनाए गए अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011, शर्तों, अतिरिक्त शर्तों तथा निम्नलिखित उपाबन्धों के प्रावधान के आधार पर जारी की जाती है
(1) उक्त क्रम संख्या 5 में उल्लिखित आरेखण (जिसमें स्थल, निर्माण एवं अन्य विवरण दर्शाए गए हों)

- 2) मुख्य विस्फोटक नियंत्रक या अनुज्ञप्ति जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अनुज्ञप्ति की शर्तें और अतिरिक्त शर्तें ।
9. यह अनुज्ञप्ति, जारी होने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगी ।

यह अनुज्ञप्ति विस्फोटक अधिनियम 1884 या उसके अधीन बनाए गए अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011 या इस अनुज्ञप्ति की शर्तों को कोई उल्लंघन करने पर या यदि अनुज्ञप्त परिसर आरेखण या उससे संलग्न उपाबद्ध में दर्शित विवरण के अनुरूप नहीं पाए जाने पर निलम्बित या प्रतिसंहत की जा सकती है ।

तारीख 20.....

हस्ताक्षर, पदनाम एवं मुहर

(मुख्य विस्फोटक नियंत्रक या अनुज्ञप्ति जारी करने वाले प्राधिकारी)

नवीनीकरण पृष्ठांकन के लिए स्थान

सांविधिक चेतावनी: विस्फोटकों का दुरुपयोग कानून के अन्तर्गत गम्भीर दण्डिक अपराध है ।

शर्तें

1. अमोनियम नाइट्रेट का विनिर्माण या कन्वर्जन अनुज्ञप्ति के साथ संलग्न अनुमोदित आरेखण में दर्शाए गए प्लान्ट में ही किया जाएगा ।
2. अमोनियम नाइट्रेट का कब्जा या भण्डारण अनुज्ञप्ति के साथ संलग्न अनुमोदित आरेखण में दर्शाए गए अनुमोदित गोदाम या मेल्ड भण्डारण टैंक में ही किया जाएगा ।
3. अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा परिसर पर या उसके किसी भी भाग में, किसी एक समय में, अनुज्ञप्त मात्रा से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
4. फैले हुए या पौछे गए अमोनियम नाइट्रेट का विनष्टीकरण: फैले हुए या पौछे गए अमोनियम नाइट्रेट को एकत्र कर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनष्ट किया जाना चाहिए एवं विनष्ट किए गए अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा का लेखाजोखा रखा जाना चाहिए ।
5. अनुज्ञप्तिधारक एवं विनिर्माण तथा कन्वर्जन के लिए परिसर में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को विनिर्माण तथा कन्वर्जन परिसर में अग्नि या विस्फोट से होने वाली दुर्घटना से बचाव तथा विनिर्माण तथा कन्वर्जन परिसर में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश से बचाव के लिए पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए एवं ऐसे किसी भी कार्य से परहेज करना चाहिए जो अग्नि या विस्फोट का कारण बने एवं जो विनिर्माण तथा कन्वर्जन परिसर में कार्य के उद्देश्य से आवश्यक न हों ।
6. मुख्य विस्फोटक नियंत्रक या अनुज्ञापन प्राधिकारी की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना अधिकृत परिसर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एवं परिवर्धन नहीं किया जाएगा ।
स्वीकृत किए गए इस प्रकार के परिवर्तन एवं परिवर्धन अनुज्ञप्ति के साथ संलग्न संशोधित आरेखण में दर्शाए जाएँगे ।
7. अनुज्ञप्तिधारक द्वारा विनिर्माण तथा कन्वर्जन प्रक्रिया के पर्यवेक्षण एवं कार्यों का संचालन इन नियमों के अनुरूप करने हेतु एक योग्य एवं सक्षम व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा ।
8. स्वयं तथा अधीनस्थों में सुरक्षा एवं बचाव सम्बन्धी जागरूकता एवं जानकारी हेतु अनुज्ञप्तिधारक, ऑक्ज्यूपायर, योग्य एवं सक्षम व्यक्तियों द्वारा नियमित कार्यशाला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए एवं उसका अभिलेख रखा जाना चाहिए ।
9. किसी निरीक्षण अधिकारी को अधिकृत परिसर में सभी युक्तियुक्त समय पर अबाध पहुँच प्रदान की जाएगी और ऐसे अधिकारी को इस सभी सुविधाएँ उपलब्ध की जाएंगी कि वह सुनिश्चित कर सके कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों एवं सुरक्षा सम्बन्धी शर्तों को सम्यक् रूप से पालन किया जा रहा है ।
10. यदि मुख्य विस्फोटक नियंत्रक या अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी को लिखित में अधिकृत परिसर में कोई मरम्मत या कोई परिवर्तन या परिवर्धन या ऐसी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए, जो ऐसे अधिकारी की राय में अस्वीकार्य जोखिम उत्पन्न कर सकती हैं और इस प्रकार वह परिसर के बाहर या भीतर या व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक हैं, सूचित करता है, तो अनुज्ञप्तिधारी उन सिफारिशों को निष्पादित करेगा और ऐसे प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि में अनुपालन की रिपोर्ट देगा ।

11. अग्नि या विस्फोट के कारण होने वाली दुर्घटनाओं और अमोनियम नाइट्रेट की हानि, उसमें कमी या चोरी की रिपोर्ट निकटतम पुलिस स्टेशन, जिला प्राधिकारी एवं जिला प्राधिकारी के स्थानीय कार्यालय, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक या अनुज्ञापन प्राधिकारी को तुरन्त दी जाएगी ।
12. अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011 के नियम 9 के अनुसार विधिवत चिह्नकित करके अमोनियम नाइट्रेट को उचित बैगों में पैक करके सम्बद्ध स्टोर हाउस(सों) में रखा जाएगा ।
13. विनिर्मित, कन्वर्टेड या कब्जे में रखे अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा अनुज्ञप्ति में निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
14. अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, कन्वर्जन, स्टेवेडोरिंग, बैगिंग, कब्जा, विक्रय, प्रयोग, परिवहन, आयात एवं निर्यात में लगे अनुज्ञप्तिधारक अनुसूची II भाग 3 में विनिर्दिष्ट प्रारूप में इनका अभिलेख रखेंगे ताकि अमोनियम नाइट्रेट के लिए जवाबदेही सुनिश्चित कर उनकी पहचान कर खोज की जा सके एवं नियम 49 के अनुसार मांगे जाने पर प्राधिकारी को ऐसे अभिलेख प्रस्तुत करेंगे ।
15. विनिर्मित, कन्वर्टेड, स्टेवेडोर्ड, बैगड, प्राप्त, विक्रीत या परिवहन या प्रयोग या विनष्ट या आयात या निर्यात किए गए अमोनियम नाइट्रेट के सम्बन्ध में अनुज्ञप्तिधारक मासिक विवरणी अनुसूची II भाग 3 में विनिर्दिष्ट प्रारूप - 7 में जिला प्राधिकारी को इस प्रकार प्रेषित करेंगे कि वह प्रत्येक आगामी तिमाही की 10 तारीख तक मुख्य विस्फोटक नियंत्रक या अनुज्ञापन प्राधिकारी या जिला प्राधिकारी को प्राप्त हो जाए ।

मुख्य विस्फोटक नियंत्रक या अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर पदनाम एवं मुहर

अनुज्ञप्ति
प्ररूप त - 2

(अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011 का नियम 34 देखें)
अमोनियम नाइट्रेट के स्टेवेडोरिंग एवं बैगिंग हेतु अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्तिधारक या
ऑक्सीपायर का
फोटोग्राफ मय
हस्ताक्षर

अनुज्ञप्ति संख्या

वार्षिक शुल्क रू०

1. अनुज्ञप्ति एतद्वारा जारी की जाती है -

नाम

डाक पता शहर

जिला राज्य पिन कोड

पुलिस स्टेशन रेल्वे स्टेशन या स्टीमर घाट

फोन ईमेल फैक्स

2. अनुज्ञप्तिधारी की प्रास्थिति :

3. अनुज्ञप्ति निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए वैध है -

स्टेवेडोरिंग एवं बैगिंग जिसमें अमोनियम नाइट्रेट को जहाज से उतारना, अपने अधिकृत गोदाम तक ले जाना और बैगिंग शामिल है ।

4. अनुज्ञप्ति अमोनियम नाइट्रेट की निम्नलिखित मात्रा के स्टेवेडोरिंग एवं बैगिंग के लिए वैध है

(क) अनुज्ञप्ति किसी एक समय में अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा

(ख) किसी कैलेंडर माह में अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा ।

5. अधिकृत परिसर निम्नलिखित आरेखण (णों) के अनुरूप होगा -

आरेखण संख्या दिनांक

6. अधिकृत परिसर निम्नलिखित पते पर अवस्थित है:

शहर..... जिला राज्य पिन कोड.....

पुलिस स्टेशन रेल्वे स्टेशन या स्टीमर घाट

फोन ईमेल फैक्स

7. अधिकृत परिसर में निम्नलिखित सुविधाएँ हैं -

(क) बैगिंग सुविधाएँ

(ख) स्टोरहाउस

8. अनुज्ञप्ति, विस्फोटक अधिनियम 1884, समय समय पर यथा संशोधित एवं उसके अधीन बनाए गए अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011, शर्तों, अतिरिक्त शर्तों तथा निम्नलिखित उपाबन्धों के प्रावधान के आधार पर जारी की जाती है

- (क) उक्त क्रम संख्या 5 में उल्लिखित आरेखण (जिसमें स्थल, निर्माण एवं अन्य विवरण दर्शाए गए हों)
(ख) जिला प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अनुज्ञप्ति की शर्तें एवं अतिरिक्त शर्तें ।

9. यह अनुज्ञप्ति जारी होने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी ।

यह अनुज्ञप्ति विस्फोटक अधिनियम 1884 या उसके अधीन बनाए गए अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011 या इस अनुज्ञप्ति की शर्तों को कोई उल्लंघन करने पर या यदि अनुज्ञप्त परिसर आरेखण या उससे संलग्न उपाबद्ध में दर्शित विवरण के अनुरूप नहीं पाए जाने पर निलम्बित या प्रतिसंहत की जा सकती है ।

तारीख 20.....

हस्ताक्षर, पदनाम एवं मुहर
(जिला प्राधिकारी)

नवीनीकरण पृष्ठांकन के लिए स्थान.

सांविधिक चेतावनी: विस्फोटकों का दुरुपयोग कानून के अन्तर्गत गम्भीर दण्डिक अपराध है ।

शर्तें

1. अमोनियम नाइट्रेट का भण्डारण एवं बैगिंग अनुज्ञप्ति के साथ संलग्न अनुमोदित आरेखण में दर्शाए गए अनुमोदित गोदाम में ही किया जाएगा ।
2. अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा परिसर पर या उसके किसी भी भाग में, किसी एक समय में, अनुज्ञप्त मात्रा से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
3. फैले हुए या पौछे गए अमोनियम नाइट्रेट का विनष्टीकरण: फैले हुए या पौछे गए अमोनियम नाइट्रेट को एकत्र कर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनष्ट किया जाना चाहिए एवं विनष्ट किए गए अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा का लेखाजोखा रखा जाना चाहिए ।
4. अनुज्ञप्तिधारक एवं विनिर्माण तथा कन्वर्जन के लिए परिसर में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को विनिर्माण तथा कन्वर्जन परिसर में अग्नि या विस्फोट से होने वाली दुर्घटना से बचाव तथा विनिर्माण तथा कन्वर्जन परिसर में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश से बचाव के लिए पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए एवं ऐसे किसी भी कार्य से परहेज करना चाहिए जो अग्नि या विस्फोट का कारण बने एवं जो विनिर्माण तथा कन्वर्जन परिसर में कार्य के उद्देश्य से आवश्यक न हों ।
5. मुख्य विस्फोटक नियंत्रक या अनुज्ञापन प्राधिकारी की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना अधिकृत परिसर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एवं परिवर्धन नहीं किया जाएगा । स्वीकृत किए गए इस प्रकार के परिवर्तन एवं परिवर्धन अनुज्ञप्ति के साथ संलग्न संशोधित आरेखण में दर्शाए जाएंगे ।
6. अनुज्ञप्तिधारक द्वारा विनिर्माण तथा कन्वर्जन प्रक्रिया के पर्यवेक्षण एवं कार्यों का संचालन इन नियमों के अनुरूप करने हेतु एक योग्य एवं सक्षम व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा ।
7. स्वयं तथा अधीनस्थों में सुरक्षा एवं बचाव सम्बन्धी जागरूकता एवं जानकारी हेतु अनुज्ञप्तिधारक, ऑक्यूपायर, योग्य एवं सक्षम व्यक्तियों द्वारा नियमित कार्यशाला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए एवं उसका अभिलेख रखा जाना चाहिए ।
8. किसी निरीक्षण अधिकारी या नमूना लेने वाले अधिकारी को अधिकृत परिसर में सभी युक्तियुक्त समय पर अबाध पहुँच प्रदान की जाएगी और ऐसे अधिकारी को इस सभी सुविधाएँ उपलब्ध की जाएंगी कि वह सुनिश्चित कर सके कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों एवं सुरक्षा सम्बन्धी शर्तों को सम्यक् रूप से पालन किया जा रहा है ।
9. यदि जिला प्राधिकारी या निरीक्षण अधिकारी अनुज्ञप्तिधारी को लिखित में अधिकृत परिसर में कोई मरम्मत या कोई परिवर्तन या परिवर्धन या ऐसी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए, जो ऐसे अधिकारी की राय में अस्वीकार्य जोखिम उत्पन्न कर सकती है और इस प्रकार वह परिसर के बाहर या भीतर या व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है, सूचित करता है, तो अनुज्ञप्तिधारी उन सिफारिशों को निष्पादित करेगा और ऐसे प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि में अनुपालन की रिपोर्ट देगा ।

10. अनुज्ञप्तिधारक द्वारा आमोनियम नाइट्रेट का विक्रय नहीं किया जाएगा । बैगों में भरे हुए अमोनियम नाइट्रेट को केवल उस आयातकर्ता के अनुज्ञप्त ट्रक में लादा जाएगा जिसकी अनुज्ञप्ति से अमोनियम नाइट्रेट का आयात किया जा रहा है ।
11. अग्नि या विस्फोट के कारण होने वाली दुर्घटनाओं और अमोनियम नाइट्रेट की हानि, उसमें कमी या चोरी की सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन, जिला प्राधिकारी एवं जिला प्राधिकारी के स्थानीय कार्यालय को तुरन्त दी जाएगी ।
12. अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011 के नियम 9 के अनुसार विधिवत चिह्नकित करके अमोनियम नाइट्रेट को उचित बैगों में पैक करके सम्बद्ध स्टोर हाउस(सों) में रखा जाएगा ।
13. विनिर्मित, कन्वर्टेड या कब्जे में रखे अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा अनुज्ञप्ति में निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
14. अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, कन्वर्जन, स्टेवेडोरिंग, बैगिंग, कब्जा, विक्रय, प्रयोग, परिवहन, आयात एवं निर्यात में लगे अनुज्ञप्तिधारक अनुसूची II भाग 3 में विनिर्दिष्ट प्रारूप में इनका अभिलेख रखेंगे ताकि अमोनियम नाइट्रेट के लिए जवाबदेही सुनिश्चित कर उनकी पहचान कर खोज की जा सके एवं नियम 49 के अनुसार मांगे जाने पर प्राधिकारी को ऐसे अभिलेख प्रस्तुत करेंगे ।
15. विनिर्मित, कन्वर्टेड, स्टेवेडोर्ड, बैगड, प्राप्त, विक्रीत या परिवहन या प्रयोग या विनष्ट या आयात या निर्यात किए गए अमोनियम नाइट्रेट के सम्बन्ध में अनुज्ञप्तिधारक मासिक विवरणी अनुसूची II भाग 3 में विनिर्दिष्ट प्रारूप - 7 में जिला प्राधिकारी को इस प्रकार प्रेषित करेंगे कि वह प्रत्येक आगामी तिमाही की 10 तारीख तक मुख्य विस्फोटक नियंत्रक या अनुज्ञापन प्राधिकारी या जिला प्राधिकारी को प्राप्त हो जाए ।

जिला प्राधिकारी के हस्ताक्षर पदनाम एवं मुहर

अनुज्ञप्ति

प्ररूप त - 3

(अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011 का नियम 34 देखें)

एक स्टोर हाउस से अमोनियम नाइट्रेट के विक्रय या प्रयोग हेतु कब्जे
में रखने के लिए अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्तिधारक	या
ऑन्यूपायर	का
फोटोग्राफ	मय
हस्ताक्षर	

अनुज्ञप्ति संख्या

वार्षिक शुल्क ₹0

1. अनुज्ञप्ति एतद्वारा जारी की जाती है -

नाम

डाक पता शहर

जिला राज्य पिन कोड

पुलिस स्टेशन रेल्वे स्टेशन या स्टीमर घाट

फोन ईमेल फैक्स

2. अनुज्ञप्तिधारी का स्तर: व्यक्तिगत या कम्पनी

3. अनुज्ञप्ति निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए वैध है -

(क) कब्जा एवं विक्रय या

(ख) कब्जा एवं प्रयोग

4 (क) अनुज्ञप्ति किसी एक समय में मात्रा अमोनियम नाइट्रेट के लिए वैध है ।

(ख) किसी कैलेंडर माह में क्रय की जाने वाली अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा ।

5 अधिकृत परिसर निम्नलिखित आरेखण (णों) के अनुरूप होगा -

आरेखण संख्या दिनांक

6 अधिकृत परिसर निम्नलिखित पते पर अवस्थित है:

शहर..... जिला राज्य पिन कोड.....

पुलिस स्टेशन रेल्वे स्टेशन या स्टीमर घाट

फोन ईमेल फैक्स

7. अधिकृत परिसर में निम्नलिखित सुविधाएँ हैं -

.....

8 अनुज्ञप्ति, विस्फोटक अधिनियम 1884, समय समय पर यथा संशोधित एवं उसके अधीन बनाए गए अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011, शर्तों, अतिरिक्त शर्तों तथा निम्नलिखित उपाबन्धों के प्रावधान के आधार पर जारी की जाती है

- (1) उक्त क्रम संख्या 5 में उल्लिखित आरेखण (जिसमें स्थल, निर्माण एवं अन्य विवरण दर्शाए गए हों)
- (2) अनुज्ञप्ति जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अनुज्ञप्ति की शर्तें एवं अतिरिक्त शर्तें ।

यह अनुज्ञप्ति जारी होने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी ।

यह अनुज्ञप्ति विस्फोटक अधिनियम 1884 या उसके अधीन बनाए गए अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011 या इस अनुज्ञप्ति की शर्तों को कोई उल्लंघन करने पर या यदि अनुज्ञप्त परिसर आरेखण या उससे संलग्न उपाबद्ध में दर्शित विवरण के अनुरूप नहीं पाए जाने पर निलम्बित या प्रतिसंहत की जा सकती है ।

तारीख 20.....

हस्ताक्षर, पदनाम एवं मुहर
(जिला प्राधिकारी)

नवीनीकरण पृष्ठांकन के लिए स्थान

सांविधिक चेतावनी: विस्फोटकों का दुरुपयोग कानून के अन्तर्गत गम्भीर दण्डित अपराध है ।

शर्तें

1. अमोनियम नाइट्रेट का कब्जा या भण्डारण अनुज्ञप्ति के साथ संलग्न अनुमोदित आरेखण में दर्शाए गए अनुमोदित गोदाम या मेल्ट भण्डारण टैंक में ही किया जाएगा ।
2. अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा परिसर पर या उसके किसी भी भाग में, किसी एक समय में, अनुज्ञप्त मात्रा से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
3. फैले हुए या पौछे गए अमोनियम नाइट्रेट का विनष्टीकरण: फैले हुए या पौछे गए अमोनियम नाइट्रेट को एकत्र कर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनष्ट किया जाना चाहिए एवं विनष्ट किए गए अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा का लेखाजोखा रखा जाना चाहिए ।
4. अनुज्ञप्तिधारक एवं विनिर्माण तथा कन्वर्जन के लिए परिसर में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को विनिर्माण तथा कन्वर्जन परिसर में अग्नि या विस्फोट से होने वाली दुर्घटना से बचाव तथा विनिर्माण तथा कन्वर्जन परिसर में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश से बचाव के लिए पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए एवं ऐसे किसी भी कार्य से परहेज करना चाहिए जो अग्नि या विस्फोट का कारण बने एवं जो विनिर्माण तथा कन्वर्जन परिसर में कार्य के उद्देश्य से आवश्यक न हों ।
5. मुख्य विस्फोटक नियंत्रक या अनुज्ञापन प्राधिकारी की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना अधिकृत परिसर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एवं परिवर्धन नहीं किया जाएगा । स्वीकृत किए गए इस प्रकार के परिवर्तन एवं परिवर्धन अनुज्ञप्ति के साथ संलग्न संशोधित आरेखण में दर्शाए जाएंगे ।
6. अनुज्ञप्तिधारक द्वारा विनिर्माण तथा कन्वर्जन प्रक्रिया के पर्यवेक्षण एवं कार्यों का संचालन इन नियमों के अनुरूप करने हेतु एक योग्य एवं सक्षम व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा ।
7. स्वयं तथा अधीनस्थों में सुरक्षा एवं बचाव सम्बन्धी जागरूकता एवं जानकारी हेतु अनुज्ञप्तिधारक, ऑक्यूपायर, योग्य एवं सक्षम व्यक्तियों द्वारा नियमित कार्यशाला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए एवं उसका अभिलेख रखा जाना चाहिए ।
8. किसी निरीक्षण अधिकारी या नमूना लेने वाले अधिकारी को अधिकृत परिसर में सभी युक्तियुक्त समय पर अबाध पहुँच प्रदान की जाएगी और ऐसे अधिकारी को इस सभी सुविधाएँ उपलब्ध की जाएंगी कि वह सुनिश्चित कर सके कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों एवं सुरक्षा सम्बन्धी शर्तों को सम्यक् रूप से पालन किया जा रहा है ।
9. यदि जिला प्राधिकारी या निरीक्षण अधिकारी अनुज्ञप्तिधारी को लिखित में अधिकृत परिसर में कोई मरम्मत या कोई परिवर्तन या परिवर्धन या ऐसी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए, जो ऐसे अधिकारी की राय में अस्वीकार्य जोखिम उत्पन्न कर सकती है और इस प्रकार वह परिसर के बाहर या भीतर या व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है, सूचित करता है, तो अनुज्ञप्तिधारी उन सिफारिशों को निष्पादित करेगा और ऐसे प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि में अनुपालन की रिपोर्ट देगा ।

10. अग्नि या विस्फोट के कारण होने वाली दुर्घटनाओं और अमोनियम नाइट्रेट की हानि, उसमें कमी या चोरी की सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन, जिला प्राधिकारी एवं जिला प्राधिकारी के स्थानीय कार्यालय को तुरन्त दी जाएगी ।
11. अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011 के नियम 9 के अनुसार विधिवत चिह्नांकित करके अमोनियम नाइट्रेट को उचित बैगों में पैक करके सम्बद्ध स्टोर हाउस(सों) में रखा जाएगा ।
12. विनिर्मित, कन्वर्टेड या कब्जे में रखे अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा अनुज्ञप्ति में निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
13. अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, कन्वर्जन, स्टेवेडोरिंग, बैगिंग, कब्जा, विक्रय, प्रयोग, परिवहन, आयात एवं निर्यात का कार्य करने वाले अनुज्ञप्तिधारक अनुसूची II भाग 3 में विनिर्दिष्ट प्रारूप में इनका अभिलेख रखेंगे ताकि अमोनियम नाइट्रेट के लिए जवाबदेही सुनिश्चित कर उनकी पहचान कर खोज की जा सके एवं नियम 49 के अनुसार मांगे जाने पर प्राधिकारी को ऐसे अभिलेख प्रस्तुत करेंगे ।
14. विनिर्मित, कन्वर्टेड, स्टेवेडोर्ड, बैगड, प्राप्त, विक्रीत या परिवहन या प्रयोग या विनष्ट या आयात या निर्यात किए गए अमोनियम नाइट्रेट के सम्बन्ध में अनुज्ञप्तिधारक मासिक विवरणी अनुसूची II भाग 3 में विनिर्दिष्ट प्रारूप - 7 में जिला प्राधिकारी को इस प्रकार प्रेषित करेंगे कि वह प्रत्येक आगामी तिमाही की 10 तारीख तक मुख्य विस्फोटक नियंत्रक या अनुज्ञापन प्राधिकारी या जिला प्राधिकारी को प्राप्त हो जाए ।

जिला प्राधिकारी के हस्ताक्षर पदनाम एवं मुहर

अनुज्ञप्ति

प्ररूप त - 4

(अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011 का नियम 34 देखें)
ट्रक या मेल्ट टैंकर में अमोनियम नाइट्रेट का परिवहन
करने के लिए अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्तिधारक	या
ऑफिसपायर	का
फोटोग्राफ	मय
हस्ताक्षर	

अनुज्ञप्ति संख्या

वार्षिक शुल्क रू0

1. अनुज्ञप्ति एतद्वारा जााी की जाती है -

नाम

डाक पता शहर

जिला राज्य पिन कोड

पुलिस स्टेशन रेलवे स्टेशन या स्टीमर घाट

फोन ईमेल फैक्स

2. अनुज्ञप्तिधारी का स्तर: व्यक्तिगत या कम्पनी

3. ट्रक या मेल्ट टैंकर का विवरण -

(क) पंजीकरण संख्या पंजीकृत ओनर का नाम

इंजिन संख्या चैसिस संख्या

4. मेक एवं मॉडल

(ग) अनलेडन भार

5. अधिकतम लेडन भार

6. परिवहन हेतु अनुज्ञप्ति अमोनियम नाइट्रेट की अधिकतम मात्रा (मी0 टन0)

7. चालक का नाम एवं ड्राइविंग अनुज्ञप्ति संख्या

8. अनुज्ञप्ति, विस्फोटक अधिनियम 1884, समय समय पर यथा संशोधित एवं उसके अधीन बनाए गए अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011, शर्तों, अतिरिक्त शर्तों तथा निम्नलिखित उपाबन्धों के प्रावधान के आधार पर जारी की जाती है

9. यह अनुज्ञप्ति जारी होने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी ।

यह अनुज्ञप्ति विस्फोटक अधिनियम 1884 या उसके अधीन बनाए गए अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011 या इस अनुज्ञप्ति की शर्तों को कोई उल्लंघन करने पर या यदि अनुज्ञप्ति परिसर आरेखण या उससे संलग्न उपाबद्ध में दर्शित विवरण के अनुरूप नहीं पाए जाने पर निलम्बित या प्रतिसंहत की जा सकती है ।

तारीख 20.....

जिला प्राधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम एवं मुहर

सांविधिक चेतावनी: विस्फोटकों का दुरुपयोग कानून के अन्तर्गत गम्भीर दण्डिक अपराध है ।

नवीनीकरण पृष्ठांकन के लिए स्थान.

शर्तें

1. यह अनुज्ञप्ति अंतरणीय नहीं है ।
2. अनुज्ञप्ति या उसकी प्राधिकृत प्रति सदैव यान में उपलब्ध रखी जाएगी एवं मांगे जाने पर निरीक्षण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी ।
3. किसी विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ, तेल, कार्बोनेशियस सामग्री आदि के साथ अमोनियम नाइट्रेट का परिवहन नहीं किया जाएगा ।
4. अमोनियम नाइट्रेट का वहन करने वाले ट्रक या मेल्ट टैंकर का वाहन चालक यथापेक्षित समय के अतिरिक्त या अनावश्यक रूप से लम्बी अवधि के लिए वाहन को नहीं रोकेगा एवं ऐसे स्थानों पर रुकने से बचेगा जहाँ जनसुरक्षा खतरे में हो
परन्तु जहाँ अमोनियम नाइट्रेट का वहन करने वाला ट्रक या मेल्ट टैंकर उसमें हुए किसी ब्रेकडाउन या चालक के नियंत्रण से बाहर किसी अन्य कारण से रातभर खड़ी रहती है तो जिस परिसर में ट्रक पार्क है, वह—
(क) किसी ऐसे उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा जिसमें खुली आग, माचिस या कोई ऐसी अन्य वस्तु या पदार्थ मौजूद हो जो विस्फोट या आग का कारण बन सकता है ।
(ख) किसी रिहायश या ज्वलनशील प्रकृति की वस्तु या अन्य परिसंकटमय सामग्री युक्त किसी गोदाम से दूर होना चाहिए ।
5. अमोनियम नाइट्रेट का वहन करने वाला ट्रक या मेल्ट टैंकर अनुज्ञप्तिधारक के खर्च पर पर्याप्त सुरक्षित होना चाहिए । यदि अमोनियम नाइट्रेट के कन्साइनमेन्ट के किसी ऐसे क्षेत्र से गुजरने की संभावना है जिसे गृह मंत्रालय द्वारा संवेदनशील अधिसूचित किया गया है, उसके साथ जिला प्राधिकारी द्वारा प्रावधान किए गए सशस्त्र पुलिस बल या गार्ड होने चाहिए ।
6. अमोनियम नाइट्रेट मेल्ट का परिवहन खासतौर पर उसके लिए डिजाइन किए गए डिस्चार्ज फॉसेट युक्त टैंकर द्वारा किया जाना चाहिए जिनके डिस्चार्ज फॉसेट मेल्ट आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा विधिवत सील्ड हों । मेल्ट आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा मेल्ट के सान्द्रता कारक को स्पष्टतः इंगित करते हुए गुणवत्ता नियंत्रण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा । कन्वर्टर यह सत्यापित करेगा कि डिस्चार्ज फॉसेट का सील इन्टेक्ट है एवं अमोनियम नाइट्रेट के सान्द्रता कारक को सत्यापित करेगा ।
7. गृह मंत्रालय द्वारा संवेदनशील अधिसूचित किए गए क्षेत्रों से सूर्यास्त से सूर्योदय के मध्य की अवधि में अमोनियम नाइट्रेट के परिवहन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।
8. अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट मेल्ट का वहन करने वाले ट्रक पर धूम्रपान, अग्नि, कृत्रिम रोशनी या अन्य किसी ऐसी वस्तु की अनुमति नहीं होगी जो आग उत्पन्न करने का कारण बन सकती हो ।

9. ट्रक या मेल्ट टैंकर का प्रयोग किसी यात्री को ले जाने के लिए नहीं किया जाएगा ।
10. अमोनियम नाइट्रेट की लदाई, उतराई या परिवहन के दौरान ट्रक या मेल्ट टैंकर सदैव किसी ऐसे सक्षम व्यक्ति के प्रभार में होना चाहिए जो अमोनियम नाइट्रेट की धराउठाई में अनुभवी हो तथा इसके बारे में पूर्ण जानकारी हो । जहाँ ट्रक अनुज्ञसिधारी द्वारा नहीं चलाया जा रहा है, अनुज्ञसिधारक द्वारा हस्ताक्षरित, ट्रक चलाने एवं ट्रक के साथ रहने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम सम्बन्धी दस्तावेज ट्रक में रखना चाहिए एवं मांगे जाने पर निरीक्षण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।
11. ट्रक या मेल्ट ट्रक में अमोनियम नाइट्रेट की लदाई केवल कन्साइनर के अधिकृत परिसर में किया जाना चाहिए एवं कन्साइनी के अनुज्ञ परिसर में ही उतारा जाना चाहिए ।
12. अनुज्ञसिधारक द्वारा प्ररूप आर - 4 में परिवहन किए गए अमोनियम नाइट्रेट का लेखाजोखा रखा जाना चाहिए एवं मांगे जाने पर निरीक्षण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।
13. किसी निरीक्षण अधिकारी या नमूना लेने वाले अधिकारी को अधिकृत परिसर में सभी युक्तियुक्त समय पर अबाध पहुँच प्रदान की जाएगी और ऐसे अधिकारी को इस सभी सुविधाएँ उपलब्ध की जाएंगी कि वह सुनिश्चित कर सके कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों एवं सुरक्षा सम्बन्धी शर्तों को सम्यक् रूप से पालन किया जा रहा है ।
14. अग्नि या विस्फोट के कारण होने वाली दुर्घटनाओं और अमोनियम नाइट्रेट की हानि, उसमें कमी या चोरी की सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन, जिला प्राधिकारी एवं जिला प्राधिकारी के स्थानीय कार्यालय को तुरन्त दी जाएगी ।
15. अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, कन्वर्जन, स्टेवेडोरिंग, बैगिंग, कब्जा, विक्रय, प्रयोग, परिवहन, आयात एवं निर्यात का कार्य करने वाले अनुज्ञसिधारक अनुसूची II भाग 3 में विनिर्दिष्ट प्रारूप में इनका अभिलेख रखेंगे ताकि अमोनियम नाइट्रेट के लिए जवाबदेही सुनिश्चित कर उनकी पहचान कर खोज की जा सके एवं नियम 49 के अनुसार मांगे जाने पर प्राधिकारी को ऐसे अभिलेख प्रस्तुत करेंगे ।
16. विनिर्मित, कन्वर्टेड, स्टेवेडोर्ड, बैग्ड, प्राप्त, विक्रीत या परिवहन या प्रयोग या विनष्ट या आयात या निर्यात किए गए अमोनियम नाइट्रेट के सम्बन्ध में अनुज्ञसिधारक मासिक विवरणी अनुसूची II भाग 3 में विनिर्दिष्ट प्रारूप - 7 में जिला प्राधिकारी को इस प्रकार प्रेषित करेंगे कि वह प्रत्येक आगामी तिमाही की 10 तारीख तक मुख्य विस्फोटक नियंत्रक या अनुज्ञापन प्राधिकारी या जिला प्राधिकारी को प्राप्त हो जाए ।

जिला प्राधिकारी के हस्ताक्षर पदनाम एवं मुहर

अनुज्ञप्ति
प्ररूप त - 5
(अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011 का नियम 34 देखें)
अमोनियम नाइट्रेट के आयात या निर्यात हेतु अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्तिधारक	या
ऑक्कूपायर	का
फोटोग्राफ	मय
हस्ताक्षर	

अनुज्ञप्ति संख्या

वार्षिक शुल्क रु०

1. अनुज्ञप्ति एतद्वारा जारी की जाती है -

नाम

डाक पता शहर

जिला राज्य पिन कोड

पुलिस स्टेशन रेल्वे स्टेशन या स्टीमर घाट

फोन ईमेल फैक्स

2. अनुज्ञप्तिधारी का स्तर:

3. अनुज्ञप्ति निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए वैध है -

.....

4. अनुज्ञप्ति अमोनियम नाइट्रेट के निम्नलिखित प्रकार एवं मात्रा के लिए वैध है -

(क) आयात हेतु

आयात किए गए अमोनियम नाइट्रेट का मी० टन में भार	क्या विपुल में है या बैगों में	कन्साइनर का नाम एवं पता	कन्साइनी के स्टोर हाउस या हाउसों की अनुज्ञप्ति संख्या	आयात का पत्तन	आयात का तरीका	अमोनियम नाइट्रेट विनियम 2010 के अन्तर्गत जहाज से सामान उतारने एवं लादने वाले एजेंट की अनुज्ञप्ति संख्या का विवरण
--	--------------------------------	-------------------------	---	---------------	---------------	--

(ख) निर्यात हेतु

निर्यात किए जाने वाले अमोनियम नाइट्रेट का मी० टन में भार	बैगों की संख्या	कन्साइनी का नाम और पता अथवा देश का विवरण	कन्साइनर के स्टोर हाउस की अनुज्ञप्ति संख्या	निर्यात का पत्तन	निर्यात का तरीका
--	-----------------	--	---	------------------	------------------

5. अनुज्ञप्ति, विस्फोटक अधिनियम 1884, समय समय पर यथा संशोधित एवं उसके अधीन बनाए गए अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011, शर्तों, अतिरिक्त शर्तों तथा निम्नलिखित उपाबन्धों के प्रावधान के आधार पर जारी की जाती है ।

6. यह अनुज्ञप्ति तक वैध रहेगी । (जारी होने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष) ।

यह अनुज्ञप्ति विस्फोटक अधिनियम 1884 या उसके अधीन बनाए गए अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011 या इस अनुज्ञप्ति की शर्तों को कोई उल्लंघन करने पर निलम्बित या प्रतिसंहत की जा सकती है ।

तारीख 20.....

मुख्य विस्फोटक नियंत्रक या अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम एवं मुहर

शर्तें

1. आयात किए गए अमोनियम नाइट्रेट को अनुज्ञप्त स्टेवेडोर के गोदाम में हटा दिया जाएगा और वाटरप्रूफ बैगों में रखा जाएगा ।
2. प्रत्येक अमोनियम नाइट्रेट बैग को आयातकर्ता एवं स्टेवेडोर के आइडेन्टिफिकेशन लोगो या एम्बलम के साथ क्रम संख्यांकित किया जाएगा ।
3. आयात अनुज्ञप्तिधारक बैग्ड अमोनियम नाइट्रेट की डिलीवरी लेगा एवं एवं विक्रेता या प्रयोगकर्ता के अनुज्ञप्त स्थान में डिलीवर करेगा ।
4. अमोनियम नाइट्रेट के लिए जवाबदेही सुनिश्चित कर उनकी पहचान कर खोज करने एवं रिटर्न फाइल करने के लिए स्टेवेडोरिंग एजेंट अमोनियम नाइट्रेट की प्राप्ति एवं प्रत्येक आयातकर्ता को किए गए प्रेषण का अभिलेख रखेगा । अमोनियम नाइट्रेट का प्रत्येक बैग नियम 9 के अनुसार स्टेवेडोरिंग एजेंट द्वारा विधिवत चिह्नांकित किया जाएगा ।
5. इस अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत अनुज्ञप्त के अतिरिक्त किसी अमोनियम नाइट्रेट का आयात नहीं किया जाएगा ।
6. आयात किए गए अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा इस अनुज्ञप्ति द्वारा अधिकृत किए गए मात्रा से अधिक नहीं होगा ।
7. इस अनुज्ञप्ति द्वारा अधिकृत पत्तन के अतिरिक्त इस अनुज्ञप्ति के आधार पर आयातित अमोनियम नाइट्रेट का वहन करने वाला कोई भी जहाज या नौका एवं किसी भी जहाज या नौका से किसी भी ऐसे अमोनियम नाइट्रेट की अनलोडिंग या ट्रांसशिपमेन्ट नहीं की जाएगी ।
8. अनुज्ञप्तिधारी इस अनुज्ञप्ति में उल्लिखित आयात के पत्तन पर लागू सभी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करेगा ।
9. जहाज या नौका का मालिक, जिसमें इस अनुज्ञप्ति के आधार पर अमोनियम नाइट्रेट का आयात किया जा रहा है, यदि एवं जब भी आयात के स्थान पर क्षेत्राधिकार रखने वाले निरीक्षण प्राधिकारी या कस्टम प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, को, आयात किए जाने वाले अमोनियम नाइट्रेट की जाँच हेतु नमूने लेने की अनुमति देंगे ।
10. किसी निरीक्षण अधिकारी या नमूना लेने वाले अधिकारी को अधिकृत परिसर में सभी युक्तियुक्त समय पर अबाध पहुँच प्रदान की जाएगी और ऐसे अधिकारी को इस सभी सुविधाएँ उपलब्ध की जाएंगी कि वह सुनिश्चित कर सकें कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों एवं सुरक्षा सम्बन्धी शर्तों को सम्यक् रूप से पालन किया जा रहा है ।

11. अग्नि या विस्फोट के कारण होने वाली दुर्घटनाओं और अमोनियम नाइट्रेट की हानि, उसमें कमी या चोरी की सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन, जिला प्राधिकारी एवं जिला प्राधिकारी के स्थानीय कार्यालय एवं मुख्य विस्फोटक नियंत्रक या अनुज्ञापन प्राधिकारी को तुरन्त दी जाएगी ।
12. निर्यात या आयात या कब्जे में रखे गए अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा अनुज्ञप्ति में निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
13. अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, कन्वर्जन, स्टेवोडोरिंग, बैगिंग, कब्जा, विक्रय, प्रयोग, परिवहन, आयात एवं निर्यात का कार्य करने वाले अनुज्ञप्तिधारक अनुसूची II भाग 3 में विनिर्दिष्ट प्रारूप में इनका अभिलेख रखेंगे ताकि अमोनियम नाइट्रेट के लिए जवाबदेही सुनिश्चित कर उनकी पहचान कर खोज की जा सके एवं नियम 49 के अनुसार मांगे जाने पर प्राधिकारी को ऐसे अभिलेख प्रस्तुत करेंगे ।
14. विनिर्मित, कन्वर्टेड, स्टेवोडोर्ड, बैग्ड, प्राप्त, विक्रीत या परिवहन या प्रयोग या विनष्ट या आयात या निर्यात किए गए अमोनियम नाइट्रेट के सम्बन्ध में अनुज्ञप्तिधारक मासिक विवरणी अनुसूची II भाग 3 में विनिर्दिष्ट प्रारूप - 7 में मुख्य विस्फोटक नियंत्रक या अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं जिला प्राधिकारी को इस प्रकार प्रेषित करेंगे कि वह प्रत्येक आगामी तिमाही की 10 तारीख तक जिला प्राधिकारी को प्राप्त हो जाए ।

मुख्य विस्फोटक नियंत्रक या अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर पदनाम एवं मुहर

विवरणियाँ

प्ररूप द - 1

(अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011 का नियम 35 देखें)

अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण या पुनर्वैधानीकरण हेतु आवेदन

प्रेषक

.....

सेवा में

.....

.....

महोदय

1. मैं, की ओर से प्ररूप में जारी अनुज्ञप्ति संख्या के से की अवधि के नवीनीकरण हेतु आवेदन करता हूँ एवं निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करता हूँ -

पिछले पाँच वर्षों के दौरान -

(i) मैं या हम -

क. सिद्धदोष नहीं ठहराया गया हूँ / ठहराए गए हैं/ निम्नलिखित अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हूँ / ठहराए गए हैं और दंडादिष्ट किया गया हूँ / किए गए हैं ।

ख. मुझे /हमें परिशांति कायम करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय VIII के अधीन बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश नहीं दिया गया है ।

ग. मुझे/हमें न्यायालय द्वारा उपर्युक्त अनुज्ञप्ति या प्रमाणपत्र के सम्बन्ध में कोई निदेश जारी नहीं किए गए हैं। (यदि उत्तर हाँ में हैं तो विवरण दें)

(ii) अनुज्ञापन प्राधिकारी ने मुझे / हमें अधिनियम और इन नियमों के अन्तर्गत प्ररूप में अनुदत्त अनुज्ञप्ति संख्या रद्द कर दी थी / नवीनीकृत नहीं की थी ।

2. मैं / हम निम्नलिखित दस्तावेज भी संलग्न कर रहा हूँ / कर रहे हैं :-

(i) अनुमोदित आरेखण एवं अनुसूचियाँ सहित प्ररूप में अनुज्ञप्ति या प्रमाणपत्र संख्या

(ii) नवीनीकरण फीस के लिए में आहरित बैंक का रु० का ड्राफ्ट ।

3. मैं / हम यह पुष्टि करते हैं कि उस अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में, जिसके नवीकरण के लिए आवेदन किया है, के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश या निदेश, अंतरिम या अन्यथा के विषय में आपको सूचित करेंगे, जिसके न हो सकने पर मैं / हम दण्डनीय अपराध करूँगा / करेंगे ।

4. मैं / हम यह प्रमाणित करते हैं कि

(i) हमारे द्वारा ऊपर दी गई विशिष्टियाँ सही हैं ।

(ii) मुझे / हमें इसका ज्ञान है कि यदि मेरे द्वारा अमोनियम नाइट्रेट अवैध रूप से किसी अप्राधिकृत व्यक्ति को अंतरित किया जाता है तो मैं / हम दण्डनीय अपराध करूँगा / करेंगे ।

- (iii) मुझे / हमें इसका ज्ञान है कि यदि मैं / हम इस आवेदन से सुसंगत कोई सूचना छिपाता हूँ / छिपाते हैं तो मैं / हम दण्डनीय अपराध करूँगा / करेंगे और इसके अतिरिक्त मेरे / हमारे विरुद्ध कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
- (iv)

अनुज्ञसिधारी के हस्ताक्षर
(कम्पनी के मामले में प्राधिकृत व्यक्ति)

स्थान आवेदन की तिथि

नोट्स

- पूर्ण नवीनीकरण या पुनर्वैधानीकरण आवेदन पत्र नवीनीकरण प्राधिकारी के पास अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तिथि से पूर्व पहुँच जाना चाहिए ताकि विलम्ब शुल्क से बचा जा सके।
- जो लागू न हो, उसे काट दें।

प्ररूप द - 2

(अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011 का नियम 14 देखें)
अनुज्ञसिधारक द्वारा लेखाजोखा रखे जाने का प्ररूप

विनिर्मित, कन्वर्टेड अमोनियम नाइट्रेट का लेखाजोखा

नोट - यह लेखाजोखा अद्यतन रखा जाए

अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011 के प्ररूप में अनुज्ञप्ति संख्या दिनांक	बैच नम्बर्स	बैगों की संख्या
01	02	03

विनिर्मित, कन्वर्ट की गई अमोनियम नाइट्रेट की कुल मात्रा	अभ्युक्तियाँ	प्रभारी व्यक्ति या अनुज्ञसिधारक के हस्ताक्षर	मेल्ट आपूर्तिकर्ता का नाम एवं पता	क्या फुल यील्ड प्राप्त हुआ ?
04	05	06	07	08

प्रभारी व्यक्ति या अनुज्ञसिधारक के हस्ताक्षर

प्ररूप द - 3

(अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011 का नियम 18 (1) (क) देखें)

आयातकर्ता द्वारा लोडिंग के स्थान या पत्तन से अमोनियम नाइट्रेट का डिस्पैच किए जाने पर मुख्य नियंत्रक को प्रेषित किया जाने वाला घोषणापत्र

आयातकर्ता का नाम एवं पता	केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आयात अनुज्ञप्ति संख्या एवं आयात हेतु अनुमत्य अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा तथा अनुज्ञप्ति समाप्त होने की तिथि	मुख्य नियंत्रक द्वारा जारी आयात अनुज्ञप्ति संख्या एवं अनुज्ञप्ति समाप्त होने की तिथि	अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माता का नाम एवं पता

स्लिप पर अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा

कन्साइनर का नाम एवं पता	प्रेषण का स्थान या पत्तन	जहाज का नाम एवं चलने की तिथि	आयात का स्थान या पत्तन	आगमन की सम्भावित तिथि

विनिर्माण की तिथि	बैच संख्या	मात्रा	पैकेजेस की संख्या

स्थान

आवेदन की तारीख

.....

आयातकर्ता के हस्ताक्षर

(कम्पनी के मामले में प्राधिकृत व्यक्ति)

पूरा नाम

पता

प्ररूप द - 4

(अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011 का नियम 18(1)(ख) देखें)

आयातकर्ता का प्रेषण शेड्यूल

आयात के स्थान या पत्तन से अमोनियम नाइट्रेट के कन्साइनमेंट के क्लीयर होते ही यह घोषणापत्र भरकर तीन प्रतियों में मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को प्रेषित किया जाना चाहिए

आयातकर्ता का नाम एवं पता	मुख्य नियंत्रक द्वारा अमोनियम नाइट्रेट नियम के अन्तर्गत जारी आयात अनुज्ञप्ति संख्या एवं अनुज्ञप्ति समाप्त होने की तिथि	अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माता का नाम एवं पता

आयात के स्थान या पत्तन से प्रेषण का विवरण

अनुज्ञप्तिधारक का नाम एवं पता जिसको अमोनियम नाइट्रेट का प्रेषण किया गया था	अनुज्ञप्ति संख्या एवं प्ररूप	प्रेषित किए गए अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा	
		मात्रा	पैकेजों की संख्या

कन्साइनर का नाम एवं पता	आयात किए गए अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा	स्थान या पत्तन जहाँ से अमोनियम नाइट्रेट भेजा गया था	जहाज का नाम	आगमन की तिथि एवं आयात का स्थान या पत्तन

बैच संख्या एवं तारीख	प्रेषण की तारीख	प्रेषण का तरीका

आयातकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान

आवेदन की तारीख

.....

(कम्पनी के मामले में प्राधिकृत व्यक्ति)

पूरा नाम

पता

प्ररूप द - 5

(अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011 का नियम 14 देखें)
स्टेवेडोरिंग एजेंट द्वारा लेखाजोखा रखे जाने का प्ररूप

अमोनियम नाइट्रेट के स्टेवेडोरिंग, बैगिंग एवं डिस्पैच का लेखाजोखा

नोट - यह लेखाजोखा अद्यतन रखा जाए

अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011 के प्ररूप में अनुज्ञप्ति संख्या	जहाज का नाम जहाँ से आयातकर्ता की ओर से विपुल अमोनियम नाइट्रेट उतारा गया	आयातकर्ता का नाम एवं पता मय आयात अनुज्ञप्ति संख्या
01	02	03

जहाज से उतारे गए अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा चाहे विपुल में हो या बड़े आकार के कैंगसर पात्रों में हो	बैगों की संख्या जिनमें अमोनियम नाइट्रेट को पुनः पैक किया गया है	बैगों में पुनः भरे गए अमोनियम नाइट्रेट की कुल मात्रा	बैगों की संख्या या अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा जो आयातकर्ता को प्रेषित की गई	पैकड अमोनियम नाइट्रेट आयातकर्ता को प्रेषित करने की तिथि
04	05	06	07	08

ट्रान्सपोर्टर का नाम एवं पता तथा उसकी अनुज्ञप्ति संख्या	ट्रक का पंजीकरण संख्या जिसके द्वारा अमोनियम नाइट्रेट प्रेषित किया गया	फैले, एकत्र किए गए एवं रीप्रोसेसिंग के लिए कन्वर्टर के पास भेजे गए अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा	पास संख्या
09	10	11	12

अनुज्ञप्तिधारी या प्रभारी व्यक्ति के हस्ताक्षर

प्ररूप द - 6

(अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011 का नियम 14 देखें)

अनुज्ञसिधारक द्वारा अभिलेख रखे जाने का प्ररूप

अमोनियम नाइट्रेट या मेल्ट के ट्रक या टैंकर द्वारा परिवहन का अभिलेख

नोट - यह लेखाजोखा अद्यतन रखा जाए

अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011 के प्ररूप में अनुज्ञसि संख्या दिनांक	कन्साइनर का नाम पता एवं अनुज्ञसि संख्या	लदाई का स्थान	परिवहन की गई मात्रा		ट्रक या टैंकर पंजीकरण संख्या	वाहन चालक का नाम, पता एवं अनुज्ञसि संख्या
			बैगों में अमोनियम नाइट्रेट	अमोनियम नाइट्रेट मेल्ट		
01	02	03	04		05	06

पास संख्या	कन्साइनी का नाम पता एवं अनुज्ञसि संख्या	उतारने का स्थान	अमोनियम नाइट्रेट या मेल्ट उतारने की तिथि	अभ्युक्तियाँ
07	08	09	10	11

अनुज्ञसिधारी या प्रभारी व्यक्ति के हस्ताक्षर

प्ररूप द - 7

(अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011 का नियम 14 देखें)

अनुज्ञसिधारक द्वारा लेखाजोखा रखे जाने का प्ररूप

अमोनियम नाइट्रेट के विक्रय का लेखाजोखा

नोट - यह लेखाजोखा अद्यतन रखा जाए । प्रविष्टियाँ प्रतिदिन एवं जब भी अमोनियम नाइट्रेट बेचा जाए, की जानी चाहिए ।

अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011 के प्ररूप में अनुज्ञसि संख्या दिनांक	ओपनिंग बैलेन्स	अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा	बैच संख्या	जिसको अमोनियम नाइट्रेट बेचा गया, उसका नाम, पता एवं अनुज्ञसि संख्या	परिवहन का तरीका, ट्रक संख्या एवं ट्रान्सपोर्टर की अनुज्ञसि संख्या	पास संख्या
01	02	03	04	05	06	07

क्लोजिंग बैलेन्स	अभ्युक्तियाँ	अनुज्ञसिधारी या प्रभारी व्यक्ति के हस्ताक्षर
08	09	10

प्ररूप द - 8

(अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011 का नियम 14 देखें)

अनुज्ञसिधारक द्वारा लेखाजोखा रखे जाने का प्ररूप

अनुज्ञसिधारक द्वारा अमोनियम नाइट्रेट के प्रयोग का लेखाजोखा

नोट - यह लेखाजोखा अद्यतन रखा जाए । प्रविष्टियाँ प्रतिदिन एवं जैसे ही प्रयोग हेतु अमोनियम नाइट्रेट जारी किया जाता है या अप्रयोज्य अमोनियम नाइट्रेट वापस किया जाता है, की जानी चाहिए ।

अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011 के प्ररूप में अनुज्ञसि संख्या दिनांक	प्रयोग की गई मात्रा	अनुज्ञसिधारी या प्रभारी व्यक्ति के हस्ताक्षर
01	02	03

प्ररूप द - 9

(अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011 का नियम 14 देखें)

अमोनियम नाइट्रेट का रिटर्न

स्थान जिला राज्य में स्थित अमोनियम नाइट्रेट स्टोर हाउस या के स्टोर हाउस के लिए अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011 के प्ररूप में जारी अनुज्ञप्ति संख्या के सम्बन्ध में माह के दौरान प्राप्त, प्रयोग, विक्रय, नष्ट या चोरी हुए

1. तिमाही के प्रथम दिन ओपनिंग बैलेन्स
2. अमोनियम नाइट्रेट का एकाउण्ट

प्राप्त अमोनियम नाइट्रेट का विवरण

तिथि	मात्रा	आपूर्तिकर्ताओं का नाम, पता एवं अनुज्ञप्ति संख्या जिनसे अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त हुआ था	पास नम्बर
01	02	03	04
1.			
2.			
3.			

3. तिमाही के दौरान प्रयोग या विक्रय किए गए अमोनियम नाइट्रेट की कुल मात्रा

तिथि	मात्रा	आपूर्तिकर्ताओं का नाम, पता एवं अनुज्ञप्ति संख्या जिनसे अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त हुआ था	पास नम्बर
01	02	03	04
1.			
2.			
3.			

4. तिमाही के दौरान विनष्ट किए गए अमोनियम नाइट्रेट का विवरण

तारीख	मात्रा	विनष्टीकरण का कारण
01	02	03

4. चोरी हुए या कम प्राप्त हुए अमोनियम नाइट्रेट का विवरण

तारीख	मात्रा
01	02
1.	
2.	
3.	
4.	

मात्रा	क्या चोरी या हानि की रिपोर्ट पुलिस एवं जिला प्राधिकारी को की गई, यदि हाँ तो सन्दर्भ दें	अभ्युक्तियाँ
03	04	05
1.		
2.		
3.		
4.		

प्ररूप द - 10

(अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011 का नियम 26 (2) (क) देखें)

अमोनियम नाइट्रेट के इन्डेन्ट का प्ररूप

स्थान

दिनांक

सेवा में

.....
.....
.....

महोदय

कृपया अमोनियम नाइट्रेट की निम्नलिखित मात्रा मुझे या हमें आपूर्ति करने की कृपा करें ।

मात्रा :

मुझे या हमें विक्रय या प्रयोग हेतु अमोनियम नाइट्रेट की निम्नलिखित प्रकार एवं मात्रा कब्जे में रखने के लिए अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011 के अन्तर्गत प्ररूप में अनुज्ञप्ति संख्या प्राप्त है :

मात्रा :

उक्त उल्लिखित अनुज्ञप्ति दिनांक तक वैध है ।

अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011 के नियम के अन्तर्गत आवश्यक पृष्ठांकन हेतु अनुज्ञप्ति प्रेषित की जा रही है । कृपया पृष्ठांकन के पश्चात् अनुज्ञप्ति वापस करने की कृपा करें ।

मैं या हम विधिवत घोषणा करता हूँ / करते हैं कि

(क) माँगा गया अमोनियम नाइट्रेट अनुज्ञप्ति मात्रा से अधिक नहीं होगा : एवं

(ख) इसी प्रकार का दूसरा माँग पत्र किसी अन्य आपूर्तिकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

अमोनियम नाइट्रेट कृपया मेरे या हमारे अधिकृत प्रतिनिधि जिसके हस्ताक्षर नीचे प्रमाणित किए गए हैं, को हस्तगत करने की कृपा करें -

प्रमाणित

अनुज्ञप्तिधारक के हस्ताक्षर

अनुज्ञप्तिधारक के हस्ताक्षर

(कन्साइनी)

* जो लागू न हो उसे काट दें ।

प्ररूप आर - 11 (क)

(अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011 का नियम 20 (3) देखें)

अमोनियम नाइट्रेट के कन्साइमेन्ट की डिलीवरी से पूर्व कन्साइनर द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक को सूचना दिए जाने सम्बन्धी प्ररूप

1. प्रेषण की जाने वाली अमोनियम नाइट्रेट की प्रस्तावित मात्रा
2. पैकेजेस या बैगों की संख्या
3. जिस वाहन के द्वारा अमोनियम नाइट्रेट का परिवहन प्रस्तावित है, उसका पंजीकरण संख्या
4. कन्साइनी का नाम एवं पता
5. अमोनियम नाइट्रेट स्टोर करने हेतु कन्साइनी के अनुज्ञप्ति की संख्या एवं वैधता
6. कन्साइनी के माँग पत्र की संख्या एवं तिथि
7. कन्साइनमेन्ट प्राप्त करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति का नाम एवं पता
8. कन्साइनमेन्ट के प्रेषण की तिथि

कन्साइनर के हस्ताक्षर

अनुज्ञप्ति संख्या

अनुज्ञप्ति प्ररूप

प्ररूप द - 11 (ख)

(अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011 का नियम 21 (3) (ख) देखें)

अमोनियम नाइट्रेट के कन्साइमेन्ट के परिवहन हेतु कन्साइनर द्वारा जारी किया गया पास

1. संख्या
2. इस पास के अन्तर्गत बैग आते हैं जिनमें अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट मेल्ट हैं :
 (क) बैगों की संख्या
 (ख) मात्रा
 (ग) बैच संख्या एवं तिथि
 (घ) विनिर्माता, कन्वर्टर का नाम
 (ङ) स्टीवडोरिंग एजेंट की यूनीक संख्या
3. अमोनियम नाइट्रेट का परिवहन, अनुज्ञप्ति संख्या धारक ट्रांसपोर्टर में के ट्रक / टैंकर संख्या द्वारा किया जा रहा है ।
4. कन्साइनी का नाम एवं पता
5. कन्साइनी के अनुज्ञप्ति की संख्या एवं प्ररूप
6. कन्साइनी के माँग पत्र की संख्या एवं तिथि एवं अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा
7. अमोनियम नाइट्रेट की प्राप्ति हेतु तैयारी की सूचना देते हुए कन्साइनी के पत्र की संख्या एवं तिथि
8. कन्साइनमेन्ट के प्रेषण की तिथि
9. कन्साइनमेन्ट गन्तव्य तक पहुँचने की संभावित तिथि

कन्साइनर के हस्ताक्षर

अनुज्ञप्ति संख्या

अनुज्ञप्ति प्ररूप

प्रमाणपत्र

प्ररूप ग - 1

(अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011 का नियम 18 (2) (ख) देखें)

पतन में प्रवेश करने से पूर्व अमोनियम नाइट्रेट ले जाने वाले जहाज के मास्टर या जहाज के एजेन्ट
द्वारा की जाने वाली घोषणा

1. जहाज का नाम
2. पतन में आगमन की तिथि

अमोनियम नाइट्रेट का विवरण	विनिर्माण की तिथि, बैच संख्या एवं अन्य पहचान चिह्न कैसेज	ले जाई जाने वाली कुल मात्रा किलोग्राम या कैसेज	पतन पर उतारे जाने वाली कुल मात्रा किलोग्राम या कैसेज	अभ्युक्तियाँ

तारीख

जहाज के मास्टर या एजेन्ट के हस्ताक्षर

.....

प्ररूप ग - 2

अनापत्ति प्रमाणपत्र का प्ररूप

(नियम 33 देखें)

विषय ' अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाणपत्र

संख्या

तिथि

..... द्वारा किए गए आवेदन पत्र संख्या दिनांक के सन्दर्भ
में एवं अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011 के नियम 33 के अनुसरण में विधिवत पृष्ठांकित एवं संलग्न स्थल आरेखण में सर्वे
नं० या गाटा सं० या खसरा सं० , ग्राम तालुक
जिला राज्य स्थित परिसर में श्री या मै० पता
..... को निम्नलिखित उद्देश्य, प्रकार एवं मात्रा के अमोनियम नाइट्रेट हेतु अमोनियम नाइट्रेट
नियम 2011 के नियम के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति जारी किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है ।

1. उद्देश्य
2. अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा :
(क) किसी एक समय में
(ख) एक माह में

अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर मय कार्यालयीन मुहर
(जिला मजिस्ट्रेट या खान सुरक्षा महानिदेशक)

अनुसूची 3

सारणी - 1

अमोनियम नाइट्रेट भण्डारण हेतु सुरक्षा दूरी (मीटर में) सारणी

धारणा - जेडजेड श्रेणी का आधा

किलोग्राम में मात्रा	भण्डारण तक एवं के मध्य	प्रोसेज बिल्डिंग्स तक एवं के मध्य	रेल्वे या सड़क तक	रिहायशी मकानों, कार्यालयों, फैक्ट्रियों आदि तक
50	5	9	11	23
100	6	11	17	23
150	7	12	20	23
200	7	12	20	23
300	7	12	20	23
400	7	12	20	23
500	5	12	20	23
600	7	12	20	27
700	7	12	20	30
800	7	12	20	33
1000	7	14	20	37
1250	7	16	22	43
1500	7	18	24	48
1750	8	21	27	53
2000	8	22	28	57
2500	9	26	28	65
3000	9	27	28	71
3500	9	28	31	76
4000	10	31	41	82
4500	10	33	43	86
5000	11	34	45	90
6000	11	37	48	98
7000	12	39	52	103
8000	12	41	55	109
10000	13	45	59	118
12500	14	48	64	128
15000	15	52	70	140
17500	16	54	73	145
20000	17	57	76	151
25000	18	61	82	163
30000	19	65	87	172
35000	20	69	92	182
40000	21	72	95	190

45000	21	74	99	197
50000	22	77	103	205

60000	24	82	109	217
70000	25	86	115	229
80000	26	94	120	249
90000	27	94	125	249
100000	28	97	129	258
112500	29	101	135	269
125000	30	105	139	277
136000	31	107	144	287
150000	32	112	147	295
175000	34	117	157	312
200000	36	122	163	325

[फा. सं. 17(12)/2007-विस्फोटक]

चैतन्य प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2011

G.S.R. 694(E).— The following draft of Ammonium Nitrate Rules, 2011, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884) is hereby published as required by sub-section (1) of section 18 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration forty five days after the Gazette containing this notification is made available to the public;

The objections or suggestions may be sent to the Joint Secretary, Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion, Room No. 135, Udyog Bhavan, New Delhi-110107. Email: prasad.chaitanya@nic.in;

Any objection or suggestion received from any person with respect to the said draft rules before the date so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES**CHAPTER I****PRELIMINARY****1. Short title and commencement.-**

- (1) These rules may be called the Ammonium Nitrate Rules, 2011.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - In these rules, unless the context otherwise requires, -

- (a) "Act" means the Explosives Act, 1884(4 of 1884);
- (b) "Ammonium Nitrate" means the compound having the chemical formula NH_4NO_3 and includes any mixture or compound having more than 45 per cent. Ammonium Nitrate by weight including emulsions, suspensions, melts or gels (with or without inorganic nitrates) but excluding emulsion or slurry explosives and non-explosives emulsion matrix and fertilizers from which Ammonium Nitrate cannot be extracted by any physical or chemical process;
- (c) "Chief Controller" means the Chief Controller of Explosives;
- (d) "competent person" means a person recognised by the Chief Controller, who is adequately experienced and well conversant in safe manufacture, conversion, storage, transportation and handling of Ammonium Nitrate, as the case may be;
- (e) "Controller" includes Joint Chief Controller of Explosives, Deputy Chief Controller of Explosives, Controller of Explosives and Deputy Controller of Explosives;
- (f) "converter" means a person or an agency which undertakes conversion of solid form of Ammonium Nitrate into melt form or melt form of Ammonium Nitrate into solid form;
- (g) "Conservator" includes any person or agency or firm acting under the authority of the officer or body of persons appointed to be conservator of a port under section 7 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908);

(h) **“District Authority” means,-**

(i) in towns having a Commissioner of Police, the Commissioner or a Deputy Commissioner of Police;

(ii) in any other place, the District Magistrate or Additional District Magistrate;

(i) **“Departmental Testing Station”** means the testing station of the Petroleum and Explosives Safety organisation ;

(j) **“explosive”** means the explosives as defined under clause (d) of section 4 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884).

(k) **“emulsion explosive”** and **“non-explosives emulsion matrix”** shall have the same meaning as defined under the Explosives Rules, 2008.

(l) **“Form”** means a Form specified in the Schedules annexed to these rules;

(m) **“licence”** means pre-requisite document to manufacture, convert, import, export, stevedoring, bagging, transport, possess, sale and use of Ammonium Nitrate.

(n) **“licensing authority”** means authority empowered to issue the licence specified in Schedule I.

(o) **“Occupier”**, in relation to a premises means a person who has the control and is responsible for managing the affairs of the premises, and includes, in relation to Ammonium Nitrate, the person in possession of the Ammonium Nitrate:

Provided that in relation to a-

(i) proprietary firm, the proprietor; or

(ii) partnership firm, the partner nominated in writing by all other partners; or

(iii) company, the director or any other person nominated in writing by the Board of Directors; or

(iv) society or association, the office bearer nominated in writing by the governing body,

shall be deemed to be the occupier;

(p) **“slurry explosive”** and **“Site mixed explosives”** shall have the same meaning as defined under Explosives Rules, 2008;

(q) “store house” means independent building meant to possess or store Ammonium Nitrate other than Ammonium Nitrate melt;

(r) “stevedore” includes any person or agency or firm which undertakes loading and unloading of bulk Ammonium Nitrate from the ship, its transport to the transit store at the port site for its bagging;

(s) “Safety and Security Management Plan” means the comprehensive plan for ensuring and managing safety and security in Ammonium Nitrate manufacturing factory, stevedoring, transport, storage and usage premises;

3. Scope of applicability of rules and exemptions. -

(1) These rules are applicable all over India for regulating the manufacturing, conversion, import, export, stevedoring, bagging, transport, and possession for sale or use of Ammonium Nitrate for bonafide purposes.

(2) Nothing in these rules shall apply to possess, use, transport or import or export of Ammonium Nitrate by -

(a) any of the Armed Forces of the Union and Ordnance Factories or other establishments of such Forces for own use in accordance with the rules or regulations made by the Central Government;

(b) Indian Railways while acting as a carrier;

(c) Port authority;

(d) any person employed under the Central or State Government in exercise of any power under the Act or these rules.

(3) established laboratories, educational institutions, medical institutions, hospital and health clinics may possess and use for scientific and educational purpose the Ammonium Nitrate of quantity not exceeding five kilograms under intimation to the local Police Station.

CHAPTER II GENERAL PROVISIONS

4. **Control over manufacture, conversion, stevedoring and bagging, import, export, transport, possession for sale or use of Ammonium Nitrate-** No person shall undertake manufacture, conversion, stevedoring, import, export, transport or possess for sale or use Ammonium Nitrate except as authorised or licensed under these rules:

Provided that any person carrying on the business of manufacture, conversion, sale, transport, possession, use, stevedoring, bagging, import and export shall be entitled to continue to carry on such business without licence in respect of Ammonium Nitrate for a period of six months from the date of publication of these rules;

5. **Pre-requisite for grant of licence -** No licence shall be granted unless all the relevant provisions laid down under these rules and all conditions contained in the license forms under Part-2 of Schedule II annexed to these rules are complied with:

Provided that all the existing manufacturers, converters, users, transporters, stevedores, baggers, sellers, storehouses, possessors, importers and exporters shall make application for grant of licence under these rules within a period of six months from the date of publication of these rules.

6. **General Restrictions. -**

- (1) **Restriction on manufacture -**

The Ammonium Nitrate shall not be manufactured at any place other than the place indicated in the licence.

- (2) **Restriction on storage and conversion -** (a) The Ammonium Nitrate storehouse should not be located in thickly populated areas.

(b) No Ammonium Nitrate shall be converted at any place except at converter's premises duly licensed.

Note: Conversion means converting melt Ammonium Nitrate into solid form such as prill or crystalline or vice-versa.

(c) No person shall extract Ammonium Nitrate from any fertilizer including Calcium Ammonium Nitrate (CAN), having

the chemical formula $\text{CaNO}_3\text{NH}_4\text{NO}_3$ by any chemical or physical process.

(3) Restriction on stevedoring, bagging and possession for sale or use-

- (a) No person shall undertake stevedoring, bagging and possession for sale or use Ammonium Nitrate except under conditions of a licence granted under these rules at an authorised store house as specified therein;
- (b) No person shall store, process, deliver, receive, handle or transport any Ammonium Nitrate contaminated fully or partially with any organic material, metal powder or scraps, or sulphur, phosphorous etc.

(4) Restriction on import or export-

(a) No person shall import or export any Ammonium Nitrate except under and in accordance with the conditions of licence granted under these Rules;

(b) No Ammonium Nitrate shall be imported or exported except at its ports notified by the Central Government.

(c) The Ammonium Nitrate shall not be imported into India by Sea except through the ports which are duly approved for this purpose by the Ministry of Shipping and Transport, Government of India, in consultation with the Chief Controller and declared as Custom's Ports by the Commissioner of Customs.

(5) Restriction on transport and storage -

(a) Ammonium Nitrate shall not be transported with any other explosives, inflammable substances, oil, gases, carbonaceous matter, etc.

(b) No Ammonium Nitrate shall be transported in any carriage vessel or aircraft plying for or carrying passengers on hire.

(6) Restriction on delivery or dispatch-

(a) No person shall deliver or despatch any Ammonium Nitrate to anyone other than a person who-

- (i) is the holder of a licence to possess the Ammonium Nitrate or the agent of a holder of such a licence duly authorised by him in writing on his behalf; or
- (ii) is entitled under these rules to possess the Ammonium Nitrate without a licence.

- (b) The Ammonium Nitrate so delivered or despatched shall in no case exceed the quantity at any point of time for which the person is holding a licence under these rules.
- (c) No person shall receive Ammonium Nitrate from any person other than the holder of a licence granted under these rules.
- (d) No person shall receive from or transfer Ammonium Nitrate to any person for a temporary storage or safe custody in a licensed premises unless prior approval is obtained from the licensing authority having jurisdiction.

(7) **Restriction on handling Ammonium Nitrate** - No person shall handle or cause to be handled any ammonium Nitrate between the hours of sunset and sunrise:

Provided that nothing in this rule shall apply to handling of Ammonium Nitrate during the dark hours if proper illumination is provided in the area and the place is guarded.

(8) **Restriction on employment of children, intoxicated persons and certain other persons** -

No person shall employ, allow or engage a person -

- (a) who is below the age of eighteen years; or
- (b) who is in a state of intoxication; or
- (c) who is mentally or physically challenged,

for manufacture, conversion, bagging, storage, sale, loading, unloading or transport of Ammonium Nitrate or to enter any premises permitted under these rules.

(9) **Restriction on toxic, corrosive, dangerous or flammable substances** - No toxic, corrosive or flammable or otherwise dangerous substances such as carbonaceous matter reducing agents, petroleum, carbide of calcium, compressed gases or

any other chemical which may react with Ammonium Nitrate in a manner that may result in an explosion shall be allowed in the premises meant for manufacture, conversion, bagging, storage, import, export, transport or handling of Ammonium Nitrate.

(10) The Ammonium Nitrate shall not be used for blasting either alone or in combination with other ingredients unless permitted under the Explosives Rules, 2008.

7. Employment of competent person. —

(1) No Ammonium Nitrate shall be manufactured or converted except under supervision of a competent person.

Explanation. - The competent person referred to in sub rule (1) shall be a person with degree or diploma in engineering or graduate in science having minimum five years experience in chemical or explosives industry as an essential qualifications and diploma in industrial safety as an optional qualification and shall be employed by the licensee to ensure compliance of safety norms for manufacture and conversion of Ammonium Nitrate.

(2) All operations associated with stevedoring, bagging, handling, transport and use of Ammonium Nitrate in any building or part thereof should be carried out under the supervision of a person employed by the licence holder who is fully conversant with the process thereof and hazards connected therewith and the provisions of these rules.

8. Packing of Ammonium Nitrate. - No person shall import, export, transport, possess or sell Ammonium Nitrate unless -

- (a) it is duly packed in a suitable waterproof bag or container or is suitably bagged by stevedore or converter;
- (b) the container or package is marked in accordance with provisions of rule 9;
- (c) the packages conform to the relevant standard of Bureau of Indian Standards or other standards accepted and approved by the Chief Controller;

- (d) the packages of Ammonium Nitrate for export or import conform to the requirements of the tests as specified under International Maritime Dangerous Goods Code (hereinafter referred to as the IMDG Code in these rules) or United Nations recommendations on the transport of Dangerous Goods.

9. Marking on Ammonium Nitrate packages.-

- (1) **Marking on packages** - Each bag or container containing Ammonium Nitrate shall be marked in conspicuous indelible character, by means of stamping or painting with -

- (a) the words "AMMONIUM NITRATE";
- (b) purity in percentage;
- (c) the name, address and licence number of manufacturer or converter or importer;
- (d) identification number of the package;
- (e) the net weight of Ammonium Nitrate;
- (f) gross weight of the package;
- (g) date of manufacture or conversion and batch number;
- (h) name, address, licence number and unique identification number of stevedoring agent, if any.
- (i) a paper slip, properly protected against moisture, containing the above details shall be kept inside the packets.

- (2) In order to appropriately maintain an audit trail of all the bags produced or imported, an electronic bar-coding shall be done by the manufacturer or importer failing which all consignments, save such inscription, shall be deemed as not validly produced or imported and invite punishment or penalties applicable to and commensurate with any illegal production or import of Ammonium Nitrate under the Act.

- 10. Recovery of Spillage during handling-** If any spillage occurs during the process of handling of Ammonium Nitrate at any stage, it should be carefully collected and bagged and accounted for. The spillage, if not contaminated, may be transferred expeditiously only to a licensed converter after proper accounting and the shortfall accounted shall not exceed 0.2 per cent. at the manufacturer's godown and one per cent. for the converters and stevedores.

11. Special precautions against accident. -

- (1) No person shall commit or attempt to commit any act which may tend to cause a fire or explosion in or about any place where Ammonium Nitrate is manufactured, converted, bagged, stored or transported.
- (2) Every person possessing Ammonium Nitrate and every person in charge of or engaged in the import, export, manufacture, conversion, bagging, sale, transport or handling of Ammonium Nitrate shall at all times comply with the provisions of these rules and the conditions of the licence relating thereto and observe all due precautions for the prevention of thefts or accidents by fire or explosion.
- (3) Every person shall prevent any other person from committing any such act as is prohibited under sub-rule (1).

12. Restriction on unauthorised persons and provision of guards.—

- (1) The licence holder shall at his own expense provide security guards for safe custody of Ammonium Nitrate stored in a storehouse.
- (2) For the purposes of sub-rule (1), the security guards shall be of such strength as the District Authority may consider it to be sufficient.
- (3) The premises used for manufacture of Ammonium Nitrate or conversion of the melt into solid form of Ammonium Nitrate or vice versa and storehouse shall be surrounded by a wall of at least two metres height with security fencing on top and of such strength and construction as to effectively prevent entry of unauthorised persons.
- (4) The wall and fence referred to in sub-rule (3) shall maintain clearance of at least the safety distances required under Table 1 from any of the process buildings or sheds.
- (5) The storehouse shall be constructed as follows:
 - (a) the storehouse shall be single storied building, well ventilated with at least 23 centimetres thick walls built of brick or stone mortar, or concrete and roof of RCC or Asbestos sheet or fibre sheet;

- (b) the storehouse shall maintain clearance of the safety distances required under Table 1 on all sides and shall be duly protected by two metres high boundary wall and security fencing.

Provided that store houses forming part of Ammonium Nitrate manufacturing plant or Nitrous oxide gas manufacturing plant or explosives manufacturing plant or slurry or emulsion matrix manufacturing plant need not be provided with independent boundary wall and security fencing, if such plants are provided with common boundary wall and security fencing.

- (c) the floor level of storehouse shall be not less than forty five centimetres from the ground level and the interior of the storehouse shall be kept clean;
- (d) the door of storehouse shall be made of steel of minimum three millimetres thick with non-ferrous hinges and shall open outwards;
- (e) **safety distances to be maintained-** the factory licensed for manufacture or store house licensed for possession, sale or use of Ammonium Nitrate shall maintain the safety distances required under Table 1 from any such premises or any other premises used for storage of similar Ammonium Nitrate, flammable or hazardous materials;
- (f) the Storage tank meant for storage of Ammonium Nitrate melt shall be constructed of stainless steel according to sound engineering practice conforming to a national or international code and adequately insulated and supported so as to ensure safety and stability during loading and unloading of Ammonium Nitrate melt into or from such storage tank;
- (g) a secondary containment in the form of dyked enclosure made of cement concrete shall be provided and its holding capacity shall not be less than capacity of the largest tank situated within such enclosure;
- (h) such storage tanks shall be located not nearer than the distance as specified under safety distance table I of Schedule-III;
- (i) a suitable hard stand maintaining a clear safety distance all-round of 4.5m from its centre near such Ammonium Nitrate melt storage tank shall be provided for loading or unloading of Ammonium Nitrate melt road tanker;

- (j) **Maximum storage capacity-** Any storehouse used for possession, sell or use of Ammonium Nitrate shall have the floor area of one square metre per tonne of Ammonium Nitrate and the storehouse total holding capacity shall not exceed two hundred tonnes.

Note: The existing storehouses of existing Ammonium Nitrate manufacturing plants shall be exempted from the operation of sub-rules (e) and (j) for a period of one year and the existing storehouses are of the capacity more than 1200 to 1800 MT and attached with the plant, without segregation.

13. Prohibition of certain acts. - No person shall -

- (1) provide false or misleading information or declaration in any application made or statement submitted under these rules; or
- (2) falsify, erase or fraudulently alter any entry in any log book, document or other record required to be kept or maintained under these rules; or
- (3) change or alter any licence, or other documents issued under these rules.

14. Maintenance of records and submission of returns. -

- (1) Every person holding a licence granted under these rules for manufacture, conversion, stevedoring, possession, sale, use, transport, import or export of Ammonium Nitrate shall maintain records in the forms specified in **Part 3 of Schedule II** to ensure accountability, identification and traceability of Ammonium Nitrate and shall produce such records on demand to an authority specified in rule 49.
- (2) Stock books in the forms specified in **Part 3 of Schedule II** shall be page numbered and certified by any officer authorised under these rules and such records shall be retained for a period of three years, unless otherwise directed by an authority.
- (3) The licence holder shall submit monthly returns of Ammonium Nitrate manufactured, converted, stevedored,

received, sold or transported or used or destroyed or imported or exported to the licence issuing Authority, District Magistrate and Superintendent of Police in the form specified in Part 3 of Schedule II so as to reach the above authority within tenth day of every succeeding month.

- (4) The licence holder shall maintain record and make transaction and file returns by electronic means when directed by the licence issuing authority or the Central Government.

CHAPTER III

PROVISIONS FOR MANUFACTURE, CONVERSION, POSSESSION, SALE AND USE OF AMMONIUM NITRATE

15. Safety and Security Management Plan.-

- (1) A person intending to manufacture, convert, stevedore, bag, possess for sale or use, transport, import and export Ammonium Nitrate shall submit Safety and Security Management Plan to the licensing authority and to the District Authority with the security aspect duly vetted by the police authorities for approval.
- (2) The Plan as referred to in sub-rule (1) shall include the following safety and security aspects, namely:-
- (a) assigned responsibility and organisational structure;
 - (b) hazard identification, risk assessment and control;
 - (c) provision of information, education and training to the work force, contractors and visitors;
 - (d) accident reporting and investigation;
 - (e) emergency response planning and preparedness such as first aid, testing of emergency plan once in a year;
 - (f) Disaster Management Plan and provision of escape routes, identifying and assessing security risk associated with the activities; evacuation plan, appropriate fire fighting controls;
 - (g) set of process adopted by the holder of the licence to carry out authorized activities and keeping of Ammonium Nitrate secure;
 - (h) maintenance of schedules for plant and equipment;
 - (i) standard operating procedure;
 - (j) competence of personnel for tasks;
 - (k) nature of the surveillance.

- (l) documentation and record keeping so as to ensure accountability, identification and traceability of Ammonium Nitrate;
- (m) security arrangement for storehouse, tankers containing Ammonium Nitrate melt, transport of Ammonium Nitrate by truck, security during transport of Ammonium Nitrate including its loading or unloading;
- (n) mechanism for controlling and restricting access of unauthorized person to Ammonium Nitrate Storage;
- (o) assigning of responsibility for ensuring compliance with plan or task.

(3) Every person engaged in the manufacturing factory shall be imparted training in safety and security aspects by competent persons periodically during manufacture, handling, transportation and storage of ammonium Nitrate and records of such trainings shall be maintained.

CHAPTER IV

PROVISIONS FOR IMPORT AND EXPORT OF AMMONIUM NITRATE

General

16. Import or export.- No licence for import or export of Ammonium Nitrate by land shall be granted without the previous sanction of the Central Government in each case, wherein the Central Government may impose conditions and restrictions in consultation with the Chief Controller.

17. Compliance of Port Rules.- The provision of rules regulating handling of Ammonium Nitrate at the notified ports issued under the Act and respective Port Rules and byelaws shall be observed.

18. Import of Ammonium Nitrate.-

- (1) Ammonium Nitrate shall preferably be imported in the bagged form and whenever Ammonium Nitrate is imported in bulk, it shall be bagged or packed suitably by stevedoring agency duly authorized in writing by importer and having valid licence for clearing Ammonium Nitrate from the ship and for its transport in loose form to transit store at the port for further bagging.
- (2) The stevedoring agent shall maintain records of Ammonium Nitrate received and dispatched to each importer to ensure accountability, identification and traceability and file returns.

(3) Imported Ammonium Nitrate shall not be dispatched from ports except in bagged form and each bag of Ammonium Nitrate shall be marked by stevedoring agent in accordance with rule 9.

(2) Declaration by importer - A person holding an import licence granted under these rules shall furnish a declaration to the Chief Controller—

- (a) in Form R-3 under Part 3 of Schedule II as soon as ship carrying Ammonium Nitrate sails from the port of loading;
- (b) in Form R-4 under Part 3 of Schedule II as soon as any shipment of Ammonium Nitrate is cleared from the port of import.

(3) Declaration by master of ship or by the ship's agent-

- (a) the master of every ship carrying Ammonium Nitrate or the agent for such ship shall give the Conservator of the port not less than forty eight hours' notice of its intended arrival at the port;
- (b) the master of every ship carrying Ammonium Nitrate shall deliver to the pilot before entering any port, a written declaration in Form C-1, under Part 4 of Schedule II, provided that if in anticipation of a ship's arrival, the agent for such ship delivers to the Conservator of the port a written declaration as aforesaid under his signature, no such declaration need to be made by master of the ship;
- (c) every declaration delivered to a pilot under clause (b) of sub-rule (3) shall be made over by him without delay to the Conservator of the port and all declarations received by the Conservator of the port shall be forwarded by him, with all convenient despatch to the Commissioner of Customs.

(4) Restrictions on import by air-the Ammonium Nitrate shall not be imported by air.

19. Export of Ammonium Nitrate.-

(1) Restrictions on export by air—the Ammonium Nitrate shall not be exported by air.

(2) Declaration by exporter or his agent - the exporter or his authorised agent shall give notice to the conservator of the port before forty eight hours that he intends to bring Ammonium Nitrate to port for export and shall not bring the

Ammonium Nitrate to any part of the port without the prior permission in writing from the said officer.

- (3) Export of Ammonium Nitrate shall only be in the bagged form and marked in accordance with rule 9.
- (4) Transport in passenger carriages and vessels —Save as otherwise expressly provided in these rules, no explosive shall be transported in any carriage vessel or aircraft plying for or carrying passengers on hire.

CHAPTER V PROVISION FOR TRANSPORT OF AMMONIUM NITRATE

General

20. Procedure to be followed during transportation. -

- (1) Every consignment of Ammonium Nitrate or Ammonium Nitrate melt transported under licence shall be accompanied by a pass issued by the consignor in **Form R-11(b) of Part-3 of Schedule II**.
- (2) The pass referred in sub-rule (1) shall be attached to the way-bill, invoice or bill of entry or despatch note as the case may be.
- (3) An intimation in **Form R-11(a) of Part-3 of Schedule II** shall be sent by the consignor at least forty eight hours in advance to the District Superintendent of Police of place of dispatch as well as to District Superintendent of Police of place of receipt.
- (4) A copy of every pass issued under sub-rule (2) shall forthwith be sent by the consignor to—
 - (a) the District Authority who issued the licence of the consignor;
 - (b) the District Superintendent of Police in whose jurisdiction the place from which the consignment is sent is situated;

(c) the District Superintendent of Police in whose jurisdiction the place to which the consignment is sent is situated.

(5) The consignor should send a route map to destination to the enroute District Superintendents of Police.

21. Documents to be available during transport-

- (1) The Ammonium Nitrate or Ammonium Nitrate melt shall be transported only by transporters holding valid licence issued by the District Authority.
- (2) (i) The tanker for transportation of Ammonium Nitrate melt shall be constructed of stainless steel, properly and adequately insulated according to sound engineering practice conforming to national or international code and secured or mounted over a vehicle chassis ensuring total safety and stability during transportation and shall be of design duly approved by Chief Controller of Explosives;
(ii) The gross carrying capacity of such Ammonium Nitrate melt tanker shall not exceed the load limit prescribed by the Road Transport Authority for such vehicle;
(iii) The inlet and outlet valves of such Ammonium Nitrate melt tanker shall be of such construction and design so as to permit its secured locking and sealing.
- (3) The truck carrying Ammonium Nitrate shall be properly and securely tied from all sides by providing three layers of tarpaulin for covering and rope for tying and sealing and shall ensure that the driver or any attendant thereof has in his possession the following documents during transport, namely:-
 - (a) copy of indent in Form R-10 under Part 3 of Schedule II, issued by the consignee;
 - (b) the copy of transport pass in Form R-11(b) under Part 3 of Schedule II issued by the consignor;
 - (c) the original copy of bill or bill of entry of Ammonium Nitrate being transported.
 - (d) the route map from the point of origin to the destination point.

(4) The documents mentioned in sub-rule (1) shall be produced by the transporter on demand by the authority empowered under rule 49.

(5) The consignor shall ensure delivery of consignment of Ammonium Nitrate to storehouse of the consignee at the declared destination and the Form R-11(b) duly acknowledged by the Consignee should be retained as record by the Consignor.

(6) Despatch of Ammonium Nitrate to carriers for transport.—

(a) No person shall despatch any Ammonium Nitrate to a carrier other than the Indian Railways for the purpose of transport.

(b) No person shall despatch any Ammonium Nitrate to the Indian Railways for the purpose of transport unless he has given the Station Master a notice in writing—

(i) of his intention to tender such Ammonium Nitrate;

(ii) certifying that the Ammonium Nitrate has been packed and marked in accordance with rules 8 and 9;

(iii) stating the quantity of Ammonium Nitrate to be transported;

(iv) that he has received a reply and intimation in writing from the Station Master that he is prepared to receive the Ammonium Nitrate for immediate despatch;

(v) that he has received a confirmation from the consignee regarding readiness to receive Ammonium Nitrate as authorised under these rules.

(c) No person shall bring, send or forward to, or upon any railway any Ammonium Nitrate which the Indian Railways have by any notice of regulation for the time being in force notified.

22. Loading, unloading, maintenance and operation of a truck or tanker engaged in transport of Ammonium Nitrate.—

(1) The truck or tanker engaged in transport of Ammonium Nitrate, should appoint only such drivers or cleaners, whose antecedents are verified by the local police and a list of such drivers or cleaners along with all personal particulars should be made available to the local police in advance to carry out the verification and the re-verification of such staff should be carried out at regular intervals, preferably once in a year.

(2) The truck or tanker carrying Ammonium Nitrate is accompanied by at least two able bodied guards.

(3) The driver or operator of a truck or tanker carrying or containing Ammonium Nitrate shall not stop for a longer period than is reasonably required, and shall avoid stops at places where public safety is likely to be in danger:

Provided that where a truck or tanker transporting or containing Ammonium Nitrate is parked over night due to any reasons beyond the control of the driver, the premises in which the truck or tanker is parked-

(a) shall not be used for any purpose that might give rise to the presence therein of an open flame, matches or any substance or article likely to cause explosion or fire;

(b) shall be away from any habitation or any godown containing articles of a flammable nature or other hazardous goods:

Provided that the nearest police station shall be informed about the location and temporary parking of the truck or tanker.

(4) A truck or tanker while transporting Ammonium Nitrate shall be adequately secured at the expense of the licence holder and if the consignment of Ammonium Nitrate is likely to pass through sensitive areas notified by the Ministry of Home Affairs, it should be escorted by armed police escort or guard, provided by the District Police Administration.

23. Procedure on accidents.-

(1) Where a vehicle transporting Ammonium Nitrate is involved in an accident, fire or any other occurrence that causes a significant delay in the delivery of Ammonium Nitrate or damage to the vehicle or Ammonium Nitrate, the driver or any other authorised person accompanying the vehicle shall—

(a) comply with all requirements of law relating to road accidents;

(b) inform the nearest police station;

(c) inform the licensee who shall—

(i) inform the Chief Controller and the Controller in whose jurisdiction the accident has taken place

- giving the full details of Ammonium Nitrate carried and accident;
- (ii) arrange for safe storage and custody of Ammonium Nitrate till examination by the Controller if required, and then arrange for transport to the destination or place designated by the Controller.
- (2) In case of a breakdown of a truck or tanker carrying Ammonium Nitrate, the driver or the person in charge of the vehicle shall inform the licensee who shall in turn inform the Chief Controller and the controller in whose jurisdiction the vehicle is broken down giving full details of the Ammonium Nitrate and the circumstances attending the breakdown.
- (3) Ammonium Nitrate melt shall be transported in the melt tanker with discharge faucets duly sealed by the melt supplying firm and the melt supplying firm shall issue quality control certificate indicating clearly the concentration factor of the melt.
- (4) The converter or user shall verify that the seal on discharge faucet is intact and verify concentration factor of Ammonium Nitrate.
- (5) The transport of Ammonium Nitrate in sensitive areas notified by Ministry of Home Affairs shall not be allowed during the period of sunset to sunrise. The movement of Ammonium Nitrate should be informed to the concerned police authorities regarding the origin of the consignment and its destination in writing.
- (6) Fire extinguishers to be provided. —**
- (a) Every truck or tanker shall be provided with two fire extinguishers of minimum five kilograms capacity and one of the extinguishers shall be capable of dealing with fire involving electric circuits and the other, with other inflammable components.
- (b) The fire extinguishers shall always be kept in good working condition.
- (c) The fire extinguishers shall be located where they will be convenient and ready for immediate use.
- (d) The fire extinguishers shall be examined and recharged according to the manufacturers' recommendations.

CHAPTER VI

PROVISION FOR POSSESSION SALE AND USE OF AMMONIUM NITRATE

24. Possession in authorised premises.-

(1) A person holding licence for possession of Ammonium Nitrate granted under these rules shall store the Ammonium Nitrate only in premises specified in the licence.

(2) The premises in which Ammonium Nitrate is kept shall be used only for possession and sale or use of such Ammonium Nitrate and for no other purposes.

(3) No person shall sell Ammonium Nitrate from any premises other than those licensed under these rules.

(4) The authorized storehouse shall be kept securely closed or locked except when goods are being placed in or taken out from it or when it must be kept open for some other bonafide purpose.

(5) The keys of the authorized storehouse shall be kept secured in licence holder's custody or with his authorised agent and shall be produced for inspection by the inspecting officer.

(6) The name and address of the person along with passport size photograph with whom the keys will be kept shall be furnished to the licensing authority and the District authority having jurisdiction.

25. Quantity of Ammonium Nitrate to be purchased in a given period of time. —A licence holder for possession, sale or use of Ammonium Nitrate in and from a storehouse shall purchase only such quantity of Ammonium Nitrate in a given period as may be specified in the licence.**26. Accountability and transaction of Ammonium Nitrate -**

(1) All licences granted under these rules shall bear the photograph of the licence holder or the occupier.

(2) For purchase and transaction of Ammonium Nitrate, following procedures shall be observed, namely: -

- (a) indent for supply of Ammonium Nitrate in Form R-10 under Part 3 of Schedule II shall be signed by the licence holder or his authorised representative;

- (b) photograph and specimen signature of the licence holder or occupier shall be filed with the supplier of Ammonium Nitrate;
 - (c) photograph, specimen signature and address of the licence holder's authorised representative duly attested by the licence holder or occupier shall be filed with the supplier of Ammonium Nitrate.
- (3) The licensee should engage only such authorised representative, whose antecedents are verified by the local police and a list of such authorised representative along with all personal particulars should be made available to the local police in advance to carry out the verification and re-verification of such staff should be carried out at regular intervals, preferably once in a year.
- (a) the supplier of Ammonium Nitrate shall verify the photograph and signature before affecting the delivery;
 - (b) the authorised representative mentioned in clause (c), shall represent one licence holder only for receiving Ammonium Nitrate on his behalf.

CHAPTER VII

GRANT OR REFUSAL OF APPROVAL, LICENCE, AMENDMENT, TRANSFER AND RENEWAL

27. Authority issuing Licences.-

The licences for specific purposes may be granted by the authorities specified in Part 1 of Schedule I.

28. Payment of Fees. - (1) The following annual fee shall be payable for issuance of licences for different activities, namely:-

- | | |
|---|------------|
| (a) Scrutiny fee for approval | Rs. 1000 |
| (b) Licence to possess and sale Ammonium Nitrate, from a storage attached to Ammonium Nitrate manufacturing or conversion plant | Rs. 20,000 |

(c) Licence for Possession and sale	-	Rs. 2000
(d) Licence for Possession and use	-	Rs. 1000
(e) Licence for Import	-	Rs. 5000
(f) Licence for Export	-	Rs. 5000
(g) Licence for Stevedoring or bagging	-	Rs.20,000
(h) Licence for Transport vehicle	-	Rs. 2000
(i) Amendment of licence	-	Rs. 1000
(j) Duplicate copy of any licence	-	Rs. 100

(2) When licence issuing authority is Chief Controller, the fees payable shall be paid by a crossed bank draft and when issuing authority is District Authority, the fees payable shall be paid in such manner as may be specified by him.

(3) When licence is sought for more than one financial year, the fees for desired number of financial years at the rate specified in sub-rule (1) above shall be payable.

29 Prior approval before construction. -

(1) A person desiring to obtain a licence for manufacture, possession for sale, use, transport of Ammonium Nitrate, under these rules, shall obtain prior approval from the authority empowered to grant such licence, by submitting documents mentioned in rule 32.

(2) The District Magistrate while granting the prior approval, shall return to the applicant one set of approval together with plans showing distances required to be kept clear in and around the premises.

(3) The Chief Controller or Controller while granting the prior approval, shall return to the applicant one set of approval together with plans showing distances required to be kept clear in and around the premises and an additional set of the said documents to enable the applicant to submit the same to the authority authorised to issue no objection certificate.

30. Application for grant of licence. - After the construction of premises is completed, the applicant shall apply for grant of licence along with documents stated in rule 32 to the authority empowered to grant such licence.

31. Period of validity of licence. - The licensing authority may grant a licence for the period deemed necessary but not

exceeding- five financial years or part thereof for all purposes except for one year for import and export.

32. Documents to be submitted for seeking approval or licence.

The following documents shall be submitted for approval or licence, namely:-

- (1) Application in appropriate Form as per Part-1 of Schedule II.
- (2) Safety and Security Management Plan prepared as required under rule 15.
- (3) The plan of the proposed buildings or storehouse and the site showing approach road to the storehouse or stevedore's transit store or manufacturing or conversion premises, all buildings in and around.
- (4) The particulars of person employed for handling of Ammonium Nitrate their qualification and experience. The applicant shall file an affidavit regarding their character and antecedents.
- (5) Passport size photographs of the occupier along with documentary evidence of nomination as occupier.
- (6) The scrutiny or Licence fee as per sub rule (1) of rule 28.
- (7) The certificate of completion duly endorsed by Chartered Engineer.
- (8) No Objection Certificate from the concerned District Authority, where the District Authority is not the licence issuing authority.

33. Procedure to be observed for issue of no objection certificate and grant of licence by the District Authority. -

(1) The applicant desiring to obtain a licence from the Chief Controller or Controller shall apply to the District Authority with copies of the site plan showing the location of the premises for issue of a certificate to the effect that there is no objection to the applicant receiving licence for the site proposed.

(2) (a) On receipt of the application for issue of no objection certificate or grant of licence, the District Authority shall verify the antecedents of the applicant, lawful possession of the site, genuineness of the purpose, interest of public and any other verifications or enquiries as may be specifically required by the licence issuing authority to be carried out, if any, and on any

other matter as deemed necessary if the area of the proposed site does not fall within the purview of Indian Mines Act, 1952.

(b) The Director General of Mines Safety shall be the authority to grant no objection certificate if the area of the proposed site comes under the Indian Mines Act, 1952.

(c) For verification of the interest of public, the District Authority shall forthwith cause a notice to be published calling upon the public to submit objections, if any, with reasons thereof, within a period of one month from the date of publication of the notice and specifying the date, time and place for consideration of objections by him.

(d) Where the site of the proposed premises lies within 1.5 kilometres of the limits of the jurisdiction of any town planning, municipal authority or port or air port or satellite or space craft launching station or similar establishments of national importance, the District Authority shall cause the notice to be served to such authority or establishment.

(e) The day of hearing for consideration of objections shall be fixed as early as possible, after the expiration of the period of one month from the date of publication of notice.

(f) On receipt of objection, the District Authority shall call the person or persons raising objection and also the applicant, giving not less than seven clear days before the day fixed for hearing for consideration of the objection.

(g) On the day fixed for the hearing or any day to which such hearing may be adjourned from time to time, the District Authority shall hear any objection relating to the issue of either no objection certificate or grant of licence and upon further enquiry as deemed necessary; the District Authority shall assess justification of such objection.

(3) The District Authority or the Director General of Mines Safety, as the case may be, shall make verification of lawful possession of the site, genuineness of the purpose, any other verifications or enquiries as may be specifically required by the licence issuing authority to be carried out, if any, and on any other matter as deemed necessary.

Provided that no No Objection Certificate from Director General of Mines Safety is required for storage of Ammonium Nitrate within mines area for the purpose of manufacture of Ammonium Nitrate Fuel Oil explosives at site having valid licence in Licence Form LE-1 granted under the Explosives Rules, 2008.

(4) The District Authority shall complete the enquiry within a period of three months or as expeditiously as possible and such authority shall after being satisfied, grant no objection certificate in Form C-2 of Part-4 of Schedule-II or grant of the licence, as the case may be, along with site plan duly signed and sealed by such authority.

(5) If the District Authority or the Director General of Mines Safety, as the case may be, objects to the grant of the no objection certificate on any of the grounds relating to the purpose of no objection certificate, no licence shall be granted by the licence issuing authority except with the sanction of the Central Government.

(6) The District Authority or the Director General of Mines Safety, as the case may be, shall grant no objection certificate or licence or convey his refusal for granting no objection certificate or licence, as the case may be, with reasons thereof in writing to the applicant as expeditiously as possible but not later than a period of six months from the date of receipt of application from the applicant.

34. Grant of a Licence.—

(1) The Licence issuing Authority, on being satisfied with the documents received for grant of licence, in the Form specified in Schedule II and after making such inquiry, if any, as it may consider necessary, shall, subject to the other provisions of the Act and these rules, by order in writing either grant the licence or refuse to grant the same.

(2) The licensing authority may verify the facilities of the licence and on satisfaction shall endorse the licence.

(3) The licensing authority, if necessary, may impose additional conditions to the license.

(4) The District Authority may refer the case to the Chief Controller for seeking any expert opinion.

35. Renewal of licence.

(1) Every licence except the licences granted for a specific period not exceeding one year, shall be renewable for a maximum period of five financial years ending on the 31st March

(2) Every application under sub-rule (1) for renewal of the licence shall be accompanied by the following documents, namely:—

- (a) application in Form R - 1;
- (b) the original licence;
- (c) the required renewal fee as specified in the schedule.

(3) A licence may be renewed by the authority empowered to grant such licence :

Provided that a licence which has been granted by the Chief Controller may be renewed without any alteration by a Controller duly authorised by the Chief Controller in this behalf:

Provided further that a licence, which has been granted by the District Magistrate, may be renewed without any alteration by a Sub-Divisional Magistrate or an Executive Magistrate duly authorised by the District Magistrate in this behalf.

(4) Every application for the renewal of a licence shall be made so as to reach the licensing authority or the authority empowered to renew the licence on or before three months (i.e. 31st December) of the date on which the licence expires together with the licencefees.

Provided that the application received after the 31st December till the date of expiry of the licence shall be treated as late application and the licences shall be renewed with the late fees equivalent to one year's licence fee.

(5) If the application for renewal reaches the renewing or licensing authority on or before the date of expiry, the licence shall be deemed to be in force until such date as the licensing authority renews the licence or until an intimation that the renewal of the licence is refused has been communicated to the applicant and if no application is received till the date of validity of the licence, the licence shall stand expired.

(6) The same fee shall be charged for the renewal of a licence for each year as for grant thereof.

(7) Where a licence renewed for more than one financial year is surrendered before its expiry, the renewal fee paid for the unexpired portion of the licence shall be refunded to the licensee:

Provided that no refund of renewal fee shall be made for any financial year during which the licensing authority received the renewed licence for surrender.

- (8) When a licence is renewed by the Chief Controller or a Controller, an intimation to that effect shall be sent to the District Magistrate concerned and when a licence is renewed by the District Magistrate, intimation to that effect shall be sent to the Controller having jurisdiction.

36. Amendment of licence in respect of alteration or change in the premises or licenses capacity, but not involving change of name of licensee or partners or directors or members. -

(1) A licence granted under these rules may be amended by the authority empowered to grant the licence if the amendment is consistent with the provisions of these rules.

(2) A licensee who desires to have his licence amended shall submit the following particulars to the licensing authority, namely:-

- (a) an application in the form stating nature of the amendment and the reasons there for;
- (b) the original licence together with enclosures to it;
- (c) plans showing the details of the proposed amendment if such plans are required by the licensing authority for the purpose of amendment;
- (d) the required amendment fee as specified in the rule 28.

(3) The licensing authority after scrutiny of the documents submitted under sub-rule (2), and after making such further inquiries and taking such action as deemed necessary, may take suitable action to amend the licence.

37. Procedure for change of partners or directors or members or occupier. - Whenever any new partner or member or director is inducted in the partnership firm or society or association or company, as the case may be, without any change in the name of the licence holder firm or society or association or company, the licence holder shall submit application to the licence issuing authority for accepting the newly inducted partners or members or directors,-

- (a) the names and addresses of newly inducted partners or directors or members, as the case may be, and in case the occupier is changed, photographs of the new occupier;
- (b) the requisite scrutiny fee as specified in the rule 28;
- (c) a Certificate of verification of antecedents from the District Authority of the newly inducted partners or members or directors or occupier, as the case may be where the District Authority is not the licence issuing authority ;and
- (d) any other document as may be called for by the licensing authority.

38. Refusal to grant licence. —

The licensing authority refusing to accord approval or grant licence including amendment shall record in writing the reasons for such refusal and communicate the same to the applicant and before refusal, the applicant shall be given an opportunity of being heard.

39. Refusal to renew a licence. —

- (1) The licensing authority refusing to amend or renew a licence shall record the reasons for such refusal in writing.
- (2) The licensing authority shall refuse to renew a licence if such licence can be revoked in accordance with the Act or these rules.
- (3) A brief statement of reasons for refusal to renew a licence shall be given to the holder of the licence on demand unless in any case the licensing authority is of the opinion that it will not be in public interest to furnish such statement.
- (4) Where the renewal of the licence is refused, the fee paid for the renewal shall be refunded to the licence holder after deducting the proportionate fee for the period beginning from the date from which the licence was to be renewed up to the date from which renewal thereof is refused.

- (5) Before refusing the renewal of a licence under the rule, the holder of the licence shall be given an opportunity of being heard.

40. Cancellation of No Objection Certificate.—

(1) No objection certificate granted under rule 33, may be cancelled by the authority issuing the same or authority superior to it, if such authority is satisfied, that—

- (a) the licence holder has ceased to have any right for the lawful possession over the premises;
- (b) the licence holder is convicted and sentenced for any criminal offence or ordered to execute under Chapter VIII of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), a bond for keeping peace for good behaviour;
- (c) the cancellation of no objection certificate is absolutely necessary for public peace and safety:

Provided that before cancellation of the no objection certificate, the licence holder shall be given an opportunity of being heard.

- (2) The authority issuing the no objection certificate or the State Government cancelling no objection certificate shall record, in writing, the reasons for such cancellation and shall immediately furnish to the licence holder and the licensing authority concerned, copy of the order cancelling the no objection certificate and the reason for such cancellation.
- (3) In case an appeal is made against the cancellation of no objection certificate, such appeal shall be preferred within a period of sixty days, before the authority superior to the District Authority or the Director General of Mines Safety, as the case may be, and the appellate authority may consult the Chief Controller, if so desired.

41. Suspension and revocation or cancellation of licence-

(1) Every licence granted under these rules shall -

- (I) stand cancelled, if -

- (a) the licence holder has ceased to have any right for the lawful possession over the authorised premises;
- (b) the licence holder is convicted and sentenced under any criminal offences or ordered to execute under Chapter VIII of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), a bond for keeping peace for good behaviour;
- (II) stand cancelled, if the No Objection Certificate is cancelled by the District Authority or the State Government.
- (III) be liable to be suspended or cancelled by an order of the licensing authority for any contravention of the Act or these rules or of any condition contained in such licence, or by order of the Central Government, if it is satisfied that there are sufficient grounds for doing so:

Provided that before suspending or cancelling a licence under this rule, the holder of the licence shall be given an opportunity of being heard.

- (2) The suspension or cancellation shall take effect from the date specified therein.
- (3) An order of suspension or revocation of a licence shall be deemed to have been served if sent by post to the address of the licence holder entered in the licence.
- (4) The suspension of a licence shall not debar the holder of the licence from applying for the renewal.
- (5) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), an opportunity of being heard may not be given to the holder of the licence before his licence is suspended or cancelled in cases -
 - (i) where the licence is suspended by a licensing authority as an interim measure for violation of any of the provisions of the Act or these rules or of any conditions contained in such licence and in his opinion such violation is likely to cause imminent danger to the public:

Provided that where a licence is so suspended, the licensing authority shall give the holder of the licence an opportunity of being heard before the order of suspension is confirmed; or

(ii) where the licence is suspended or cancelled by the Central Government, in the public interest or in the interest of the security of the State, such opportunity should not be given.

(6) A licensing authority or the Central Government suspending or cancelling a licence shall record its reason for so doing in writing.

42. Procedure on expiry, suspension or revocation or cancellation of licence.—

- (1) A licence holder on the expiry, suspension or revocation or cancellation of the licence shall forthwith give notice to the licensing authority, of the description and quantity of Ammonium Nitrate in his possession and shall comply with the directions which the licence issuing authority may give in regard to their disposal.
- (2) In case the licence is revoked or cancelled by the licensing authority, fee for unexpired portion shall be reimbursed to the applicant by the licensing authority.

43. Provision for appeal. -

- (1) An appeal against an order of the licensing authority refusing to grant or renew a licence or suspending or revoking a licence shall lie, if the order is passed by the-
 - (a) Chief Controller, to the Central Government
 - (b) District Authority, to the immediate superior to such Authority.

(2) Every appeal referred in sub-rule (1) shall be preferred within a period of sixty days of the date of the communication of such order.

44. Procedure to be followed by the appellate authority. -

- (1) On receipt of the appeal and if such appeal can be admitted in accordance with the Act the appellate authority may call for records of the case from the authority who passed the order

appealed against and may make such further enquiries as it may deem necessary and after giving the appellant an opportunity of being heard, pass final orders.

(2) The action taken by the appellate authority shall conform to the provisions of section 6F of the Act.

45. Procedure on death or disability of licence holder.-

(1) If a licence holder dies or becomes insolvent or becomes mentally incapable or otherwise disabled, the licence granted to him under these rules shall stand cancelled on the date of the licence holder's death or mental incapacity or insolvency or disability, as the case may be.

(2) The legal heirs or representatives of the licence holder shall as soon as may be, inform the licensing authority-

(a) the date of death, insolvency, mental incapacity or other disability as the case may be, of the licence holder; and

(b) shall await the directions of the licensing authority with regard to the disposal of the Ammonium Nitrate kept at the authorized premises.

46. Loss of licence— Where a licence granted under these rules or an authenticated copy granted thereof, is lost or accidentally destroyed, a duplicate may be granted on payment of fees, as given under rule 28.

Chapter- VIII

Powers vested with Authorities

47. Power of officers to demand licence or pass.—

(1) Every person holding a licence granted under these rules shall, when called upon to do so by any authority specified in rule 49, produce it, or an authenticated copy of it, at such time and place as may be directed by such officer.

(2) Every person in charge of a consignment of Ammonium Nitrate or Ammonium Nitrate melt in transit having a valid pass issued under these rules shall produce it when called upon to do so by any authority specified in rule 49.

(3) Copies of any licence may, for the purposes of these rules, be authenticated free of charge by the authority, which granted the licence.

48. Executive control over authorities. — Every authority other than the Central Government acting under these rules shall be subject to the directions and control of the Central Government:

Provided that nothing in these rules shall be deemed to affect the powers of executive control of the Chief Controller over the Officers sub-ordinate to him.

49. Powers of search and seizure. -

(1) Any authority specified in column (1) of the Table below may within the jurisdiction specified in the corresponding entry in column (2) of that Table -

(a) enter, inspect and examine any place, aircraft, train, carriage, vessel or any mode of transport in which an Ammonium Nitrate is being manufactured, converted, possessed, used, sold, transported, exported or imported under a licence granted under these rules, or in which he has reason to believe that an Ammonium Nitrate has been or is being manufactured, converted, possessed, used, sold, transported, exported or imported in contravention of the Act or these rules;

(b) search for Ammonium Nitrate or ingredients thereof;

(c) take samples of any Ammonium Nitrate or ingredients found therein;

(d) seize, detain and remove any Ammonium Nitrate or ingredients thereof found therein together with connected documents thereof in respect of which he has reason to believe that any of the provisions of the Act or these rules have been contravened.

Table

Serial Number	Authority	Jurisdiction
1	All District Magistrates.	Their respective jurisdiction
2	All Executive Magistrates subordinate to the District Magistrate.	Their respective jurisdiction
3	All Commissioners of Police or Police Officers of rank not below that of a Sub-Inspector of Police.	Their respective jurisdiction
4	The Director General of Mines Safety or officers subordinate to him.	Their respective jurisdiction
5	The Chief Controller or Controller of Explosives	All parts of India

50. Procedure on reports of infringement—

(1) Whenever any report is made to the District Magistrate by the Chief Controller or Controller of an infringement of the Act or of these rules, the District Magistrate shall take immediate action and shall inform the Chief Controller or the Controller, as the case may be, of the action taken by him on such report.

(2) The Chief Controller or a Controller— shall destroy any Ammonium Nitrate whenever found—in respect of which the Chief Controller or Controller, as the case may be has reasons to believe that any of the provisions of these rules have been contravened or which in his opinion are no longer fit for storage, transport or use and the matter appears to be urgent to such Controller and fraught with serious danger to public, place or owner of Ammonium nitrate.

(3) Nothing in this rule shall apply to improvised explosives device containing Ammonium Nitrate or mixture thereof.

CHAPTER- IX
ACCIDENTS, INQUIRIES AND REPORTS

51. Notice of any loss or theft - The licence holder shall give a notice of any loss or theft involving Ammonium Nitrate or Ammonium Nitrate melts in his jurisdiction where the loss deviates from the amount of loss that typically occurs during routine production, storage, transportation, or use of Ammonium Nitrate to the licensing authority and concerned District Authority giving details of circumstances leading to accident, loss or theft and the notice of loss or theft shall also be reported to the nearest local police station.

52. Notice of accident.—

(1) The notice of an accident required to be given under section 8 of the Act shall be given within a period of twenty four hours of the happening of the accident by telephone, telegram, E-mail, fax or in any other electronic mode or by special messenger followed by a written report signed by the occupier or authorized person to the same authorities giving particulars of circumstances leading to accident, loss of human life, injury to persons, damage to property, emergency action taken etc, to the—

- (a) Chief Controller;
- (b) Controller in whose jurisdiction accident has taken place;
- (c) District Magistrate; and
- (d) Officer-in-charge of the nearest police station.

(2) Pending the visit of the Chief Controller, or his authorized representative or instruction received from the Chief Controller or his representative that he does not wish any further investigation or inquiry to be made, all wreckage and debris shall be left untouched except in so far as its removal may be necessary for the rescue of

persons injured and recovery of the bodies of any persons killed, by the accident or in the case of aerodromes or railways, for the restoration of thorough communication.

(3) The Chief Controller or his authorized representative, if so required by them, shall be provided with all assistance by the officer in charge of the nearest police station.

53. Procedure at courts of inquiry.—(1) The Chief Controller shall arrange with the heads of the Armed Forces or Ordnance Factories or other establishments of such forces to be represented at Courts of Inquiry where he so desires.

(2) The Chief Controller shall be provided with copies of the proceedings of Court where he is not represented.

(3) The heads of Armed Forces or Ordnance Factories or other establishments of such forces, as the case may be, shall co-operate with the Chief Controller by informing him immediately of occurrences, liable to lead to the summoning of Courts of Inquiry on matters of interest to the Chief Controller as indicated by him.

(4) The Chief Controller may attend in person or send a representative and in either case he shall have power to examine witnesses, where he so desires.

54. Inquiry into accident.—

(1) Whenever a District Magistrate, holds an inquiry under sub-section (1) of section 9 of the Act, he shall adjourn such an inquiry unless the Chief Controller or an officer nominated by him is present to watch the proceedings or such Magistrate has received information from the Chief Controller that officer does not wish to send a representative.

(2) The District Magistrate shall, at least twenty one days before holding the adjourned inquiry, send to the Chief Controller notice in writing of the time and place of holding the adjourned inquiry.

(3) Where an accident has been attended with loss of human life, the District Magistrate, before the adjournment, may, take evidence to identify the dead bodies and may order the disposal thereof.

(4) The Chief Controller or his representative shall be at liberty at any such inquiry to examine any witness subject to the order of the District Magistrate on points of law.

(5) Where the Chief Controller is not present or represented at any inquiry held by a District Magistrate, a copy of the report of the proceedings thereof shall be sent to him.

55. Inquiry into more serious accidents.—(1) Whenever an inquiry is held under section 9A of the Act, the persons holding such inquiry shall hold the same in open court in such manner and under such conditions as they may think most effectual for ascertaining the causes and circumstances of the accidents and enabling them to make the report under this rule:

Provided that where the Central Government so directs the inquiry may be held in-camera.

(2) Whenever an inquiry under sub-rule (1) is held by a person other than the Chief Controller, such person shall arrange for the Chief Controller to be represented at such inquiry including any adjournment thereof.

(3) The person holding the inquiry shall, at least twenty one days before holding the inquiry or any adjourned inquiry, send to the Chief Controller a notice in writing of the time and place of holding such inquiry.

(4) The Chief Controller may attend in person or send a representative and in either case, he shall have power to examine witnesses where he so desires.

CHAPTER- X

ADMINISTRATIVE AND PENAL ACTION

56. Protection of action taken in good faith. - No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Government or any officer or other employee of the Government or any authority constituted under the Act and these rules in respect of anything which is done or intended to be done in good faith in pursuance of the Act and these rules made or orders or directions issued there under.

57. Administrative action after inspection for violation. - The inspecting authority on inspection of the premises, shall communicate to the licence holder and licensing authority in writing, his observations, discrepancies or the violations, if any of the rules or contravention of conditions of the licence; and a copy of the inspection report shall be endorsed to the licensing authority for taking further necessary action.

SCHEDULE I

PART -1

(See Rule 27)

LICENCES AND LICENSING AUTHORITY

Serial Number	Purpose for which granted	Form of Licence	Licensing Authority
1	Licence to possess and sale Ammonium Nitrate, from a storage attached to Ammonium Nitrate manufacturing or conversion plant	P-1	Chief Controller or Controller authorised by Chief Controller
2	(a) Licence to stevedore and bagging of Ammonium Nitrate	P-2	District Authority
	(b) Licence to Possess for sale or use of Ammonium Nitrate from a store house	P-3	District Authority
	(c) Licence to transport Ammonium Nitrate in a Truck or Tanker	P-4	Controller of Explosives
3	Licence to Import or Export Ammonium Nitrate	P-5	Chief Controller

SCHEDULE II**PART -1****Application Forms**

(See Rule 32 of Ammonium Nitrate Rules, 2011)

Form No.	Purpose
A-1	Application to possess and sale Ammonium Nitrate, from a storage attached to Ammonium Nitrate manufacturing or conversion plant
A-2	Application to stevedore and bagging of Ammonium Nitrate
A-3	Application to Possess for sale or use of Ammonium Nitrate from a storehouse
A-4	Application to transport Ammonium Nitrate in a Truck or Tanker
A-5	Application to Import or Export Ammonium Nitrate

Part -2**Licence Forms**

(See Rule 33 of Ammonium Nitrate Rules, 2011)

Form No.	Purpose
P-1	Licence to possess and sale Ammonium Nitrate, from a storage attached to Ammonium Nitrate manufacturing or conversion plant
P-2	Licence to stevedore and bagging of Ammonium Nitrate
P-3	Licence to Possess for sale or use of Ammonium Nitrate from a store house
P-4	Licence to transport Ammonium Nitrate in a Truck or Tanker
P-5	Licence to Import or Export Ammonium Nitrate

Part -3 Return Forms

(See Rules 14, 20, 21 and 26 of Ammonium Nitrate Rules, 2011)

Form No.	Purpose
R-1	Application for renewal of licence
R-2	Form of Account to be maintained by Licence holder - Account of Ammonium Nitrate manufactured, converted.
R-3	Declaration to be submitted to the Chief Controller by an importer on despatch of Ammonium Nitrate from the place or port of loading
R-4	This declaration should be filled up and forwarded in triplicate to Chief Controller as soon as any consignment of Ammonium Nitrate is cleared from the place or port of import.
R-5	Form of Account to be maintained by Stevedoring Agent - Account of Ammonium Nitrate stevedored, bagged and dispatched.
R-6	Form of records to be maintained by a Licence Holder Records of Ammonium Nitrate or Melt transported by truck or tanker.
R-7	Form of Account to be maintained by Licence holder - Account of Ammonium Nitrate Sold.
R-8	Form of Account to be maintained by Licence holder - Account of Ammonium Nitrate Used.
R-9	Returns of Ammonium Nitrate
R-10	Form of Indent for Ammonium Nitrate to be issued by consignee
R-11(a)	Form of intimation to be submitted to the Superintendent of Police by the Consignor before dispatch of consignment.
R-11(b)	Pass issued by the Consignor for transport of Consignment of Ammonium Nitrate

Part - 4 Certificates

Form No	Purpose
C-1	Declaration to be made by the master of a ship carrying Ammonium Nitrate before entering a port or by the ship's agent
C-2	Format of No objection certificate

Form A-1

(See Rule 34 and 36 of Ammonium Nitrate Rules 2011)

Application for approval or grant or amendment of licence to possess and sale Ammonium Nitrate, from storage attached to Ammonium Nitrate manufacturing or conversion plant

I, on behalf
of apply for approval or grant or amendment
(1) of licence for the following purpose.

1. Name: I require licence in the following name and postal address:

(a) Name in which licence is required
to be granted (see notes below)

(b) Status⁽¹⁾

(c) Age⁽²⁾

(d) Postal address:

.....
..... City
District..... State..... Pin code.....
Police Station..... Railway Station or Steamer
Ghat.....
Phone..... E-mail..... Fax.....

2. The proposed premises are situated at the following address:

.....
..... Survey number City
District..... State..... Pin code.....
Police Station..... Railway Station or Steamer
Ghat.....
Phone..... E-mail..... Fax.....

3. Qualifications and experience of applicant
and the technical personnel employed by him.

4. Quantity of Ammonium Nitrate proposed to be manufactured,
converted per day

a) Annual capacity of the manufacturing, conversion plant
.....

b) Quantity of Ammonium Nitrate present
at any one time in each storehouse
each shed of the conversion plant

c) Total Quantity of Ammonium Nitrate proposed
to be stored at any one time

d) Details of amendment proposed or additional
.....
information, if any

5 Has the applicant been convicted under any offence
.....

or ordered to execute bond under Chapter VIII of
Code of Criminal Procedure, 1973, during the last
10 years. If yes, please give details.

6 (a) particulars of other licences under
Ammonium Nitrate Rules, 2011, if any held by
the applicant during the last 10 yearsYes.....No....

(b) was any licence cancelled or not renewed?

(c) If yes, give details

I hereby certify that the above particulars given by me are correct.

Date..... Signature of applicant.....

(Authorised person in case of a Company)

Full Name

Address

Notes:

Please see the rule for the purpose and documents to be enclosed.

(1) In case where application is made by a person other than an individual, the names and addresses of the occupier as per rule 2 and directors or partners or members, as the case may be, and specimen signatures of authorised person to be attached.

(2) Passport size photographs of the occupier to be attached.

(3) Any change in the above information should be immediately communicated to the Chief Controller of Explosives, District Authority and authority renewing the licence.

(4) Age to be given in case the applicant is an individual.

Statutory Warning: Misuse of Ammonium Nitrate shall constitute serious criminal offence under the law.

Form A-2

(See Rule 34 and 36 of Ammonium Nitrate Rules, 2011)

Application for approval or grant or amendment of Licence to stevedore and bagging of Ammonium Nitrate

I,.....onbehalf
of.....apply for approval or grant or amendment
(1) of licence for the following purpose.

1. Name: I require licence in the following name and postal address:

(a) Name in which licence is required
to be granted (see notes below)

(b) Status⁽¹⁾

(c) Age⁽²⁾

(d) Postal address:

.....
City
 District.....State.....Pin code.....
 Police Station..... Railway Station or Steamer
 Ghat.....
 Phone.....E-mail.....Fax.....

2. The proposed bagging premises is situated at the following address:

.....
Survey numberCity
 District.....State.....Pin code.....
 Police Station..... Railway StationPort of
 import.....
 Phone.....E-mail.....Fax.....

3. Details of the registration of Stevedoring agent by

 Port Authority

4. Qualifications and experience of applicant
 and the technical personnel employed by him.

5. Bagging capacity of Ammonium

a) Annual bagging capacity

b) Quantity of Ammonium Nitrate present
 at any one time in each bagging go down

And attached storehouse (if any)

c) Total Quantity of Ammonium Nitrate proposed
 to be stored at any one time both in bulk
 and bagged condition

d) Details of amendment proposed or additional

.....
 information, if any

6 Has the applicant been convicted under any offence

.....
 or ordered to execute bond under Chapter VIII of
 Code of Criminal Procedure, 1973, during the last
 10 years. If yes, please give details.

7 (a) particulars of other licences under
 Ammonium Nitrate Rules, 2011, if any held by
 the applicant during the last 10 yearsYes.....No....

(b) was any licence cancelled or not renewed?

(c) If yes, give details

I hereby certify that the above particulars given by me are correct.

Date..... Signature of applicant.....

(Authorised person in case of a Company)

Full Name

Address

Notes:

Please see the rule for the purpose and documents to be enclosed

(1) In case where application is made by a person other than an individual, the names and addresses of the occupier as per rule 2 and directors or partners or members, as the case may be, and specimen signatures of authorised person to be attached.

(2) Passport size photographs of the occupier to be attached.

(3) Any change in the above information should be immediately communicated to the District Authority and authority renewing the licence.

(4) Age to be given in case the applicant is an individual.

Statutory Warning: Misuse of Ammonium Nitrate shall constitute serious criminal offence under the law.

Form A-3

(See Rule 34 and 36 of Ammonium Nitrate Rules, 2011)

Application for approval or grant or amendment of Licence to possess for sale or use of Ammonium Nitrate from a Storehouse

I,.....onbehalf
of.....apply for approval or grant or amendment⁽¹⁾
of licence for the following purpose.

1. Purpose:

Possession and Sale or Possession and Use of Ammonium Nitrate

2. Name: I require licence in the following name and postal address:

(a) Name in which licence is required
to be granted (see notes below)

(b) Status⁽¹⁾

(c) Age⁽²⁾

(d) Postal address:

.....City

District.....State.....Pin code.....

Police Station..... Railway Station or Steamer
Ghat.....

Phone.....E-mail.....Fax.....

3. The proposed premises are situated at the following address:

.....Survey numberCity

District.....State.....Pin code.....

Police Station..... Railway Station or Steamer
Ghat.....

Phone.....E-mail.....Fax.....

4. Qualifications and experience of applicant
 And the technical personnel employed by him.
5. (a) Ammonium Nitrate proposed to be possessed and sold:*
- (i) Quantity of Ammonium Nitrate proposed to be possessed

 at any one time
- (ii) Quantity of Ammonium Nitrate proposed to be sold
 in one month
- (b) Are the premises attached to a factory
 to manufacture, conversion of Ammonium Nitrate?
 If so, please give the licence number or other details

6. (a) Ammonium Nitrate proposed to be possessed and used* -
- (i) State the purpose of Ammonium Nitrate usage

- (ii) Quantity of Ammonium Nitrate proposed to be used
 per day
- (iii) Quantity of Ammonium Nitrate proposed to be used
 one month
- (iv) Quantity of Ammonium Nitrate proposed to be possessed
for use at any one time
- (b) Distance of site where the Ammonium Nitrate will be used
 from the storage premises mentioned in item 6

7. Has the applicant been convicted under any offence

 or ordered to execute bond under Chapter VIII of
 Code of Criminal Procedure, 1973, during the last
 10 years. If yes, please give details.
8. (a) particulars of other licences under
 Ammonium Nitrate Rules, 2011, if any held by
 the applicant during the last 10 yearsYes.....No.....
- (b) was any licence cancelled or not renewed?
- (c) If yes, give details

I hereby certify that the above particulars given by me are correct.

Date..... Signature of applicant.....

(Authorised person in case of a Company)

Full Name

Address

***strikeout inapplicable portion**

Notes:

Please see the rule for the purpose and documents to be enclosed

(1) In case where application is made by a person other than an individual, the names and addresses of the occupier as per rule 2 and directors or partners or members, as the case may be, and specimen signatures of authorised person to be attached.

- (2) Passport size photographs of the occupier to be attached.
 (3) Any change in the above information should be immediately communicated to the Licence Issuing authority and authority renewing the licence.
 (4) Age to be given in case the applicant is an individual.

Statutory Warning: Misuse of Ammonium Nitrate shall constitute serious criminal offence under the law.

Form A-4

(See rule 34 and 36 of the Ammonium Nitrate Rules, 2011)

Application for approval or grant or amendment of Licence to transport Ammonium Nitrate in a Truck or Tanker

I,.....on behalf of.....apply for approval or grant or Amendment of licence for the following purpose.

1. Name: I require licence in the following name and postal address:

(a) Name in which licence is required

to be granted (see notes below)

(b) Status(1)

(c) Age(2)

(d) Postal address:

.....

.....City

District.....State.....Pin code.....

Police Station..... Railway Station or Steamer Ghat.....

Phone.....E-mail.....Fax.....

2. Address of the premises where the vehicle is to be

.....
 normally stationed

3. Type and Quantities of Ammonium Nitrate to be carried

.....

4. Places (states or districts) where the van will normally ply

.....

5. Description of vehicle

Make and Model

Registration No.

Engine No.

Chassis No.

Gross vehicle weightkilogrammes

Unladen weightkilogrammes

6. Description of other fittings on the vehicle

7. Carrying capacity permitted by Regional Transport
.....
Authority

8. Has the applicant been convicted under any offence
.....

Or ordered to execute bond under Chapter VIII of

Code of Criminal Procedure, 1973, during the last

10 years. If yes, please give details.

9. (a) Particulars of other licenses under

Explosives Act, 1884, if any held by

the applicant during the last 10 yearsYes.....No.....

(b) was any licence cancelled or not renewed?

(c) If yes, give details

I hereby certify that the above particulars given by me are correct.

Date.....

Signature of

applicant.....

(Authorised person in case of a Company)

Full Name

Address

Notes:

Please see the rule for the purpose and documents to be enclosed

(1) In case where application is made by a person other than an individual, the names and addresses of the occupier as per rule 2 and directors or partners or members, as the case may be, and specimen signatures of authorised person to be attached.

(2) Passport size photographs of the occupier to be attached.

(3) Any change in the above information should be immediately communicated to the licensing authority and authority renewing the licence.

(4) Age to be given in case the applicant is an individual.

Statutory Warning: Misuse of Ammonium Nitrate shall constitute serious criminal offence under the law.

Form A-5

(See Rule 34 of Ammonium Nitrate Rules, 2011)

Application for approval or grant of licence for Import or Export of Ammonium Nitrate by Sea

I, on behalf
 of apply for approval or grant or amendment⁽¹⁾
 of licence for the following purpose.

1. Purpose : Import or Export

.....

2. Name: I require licence in the following name and postal address:

(a) Name in which licence is required
 to be granted (see notes below)(b) Status⁽¹⁾(c) Age⁽²⁾

(d) Postal address:

.....

..... City
 District State Pin codePolice Station Railway Station or Steamer
 Ghat

Phone E-mail Fax

3(a). (i) (for Import) Quantity of Ammonium Nitrate proposed to be
 imported at a time(ii) Name and address of the manufacturer or country of importer of
 Ammonium Nitrate to be
 imported(iii) particulars of the storehouse where Ammonium Nitrate will

 be stored after import :

(iv) Port or place of import

(v) Whether import of Ammonium Nitrate is in bulk or bagged form.

.....
 (vi) Particulars of Stevedoring agent giving his name addressed and
 licence No

3(b) (for Export)

(i) Quantity of Ammonium Nitrate to be exported

(ii) Name and address of consignee or country of Export

.....
 (iii) Place or port from which Ammonium Nitrate will be
 exported

4 Has the applicant been convicted under any offence or

.....

ordered to execute bond under Chapter VIII of Code of

Criminal Procedure, 1973, during the last 10 years

If yes, please give details.

5 (a) particulars of other licences under

Ammonium Nitrate Rules, 2011, if any held by

the applicant during the last 10 yearsYes.....No.....

(b) was any licence cancelled or not renewed?

(c) If yes, give details

I hereby certify that the above particulars given by me are correct.

Date..... Signature of applicant.....

(Authorised person in case of a Company)

Full Name

Address

Notes:

Please see the rule for the purpose and documents to be enclosed

(1) In case where application is made by a person other than an individual, the names and addresses of the occupier as per rule 2 and directors or partners or members, as the case may be, and specimen signatures of authorised person to be attached.

(2) Passport size photographs of the occupier to be attached.

(3) Any change in the above information should be immediately communicated to the Licence Issuing authority and authority renewing the licence.

(4) Age to be given in case the applicant is an individual.

Statutory Warning: Misuse of Ammonium Nitrate shall constitute serious criminal offence under the law.

LICENCE FORM P-1

(See Rule 34 of Ammonium Nitrate Rules, 2011)

Licence to possess and sale Ammonium Nitrate, from a storage attached to Ammonium Nitrate manufacturing or conversion plant

Photograph
of the licence
holder or occupier
with signature

Licence No.....

Annual Fees Rs.....

1. Licence is hereby granted to:

Name:

Postal address:.....

.....City

District.....State.....Pin code.....

Police Station..... Railway Station or Steamer

Ghat.....

- Phone.....E-mail.....Fax.....
2. Status of licence holder:
3. Licence is valid for the following purpose: Manufacture, Conversion and Possession of Ammonium Nitrate
4. Licence is valid for the manufacture, conversion and possession of following quantity of Ammonium Nitrate:
- (a) Quantity of Ammonium Nitrate at any one time
- (b) Quantity of Ammonium Nitrate per month
5. The authorised premises shall conform to the following drawing(s):
Drawing No.dated.....
6. The authorised premises are situated at following address:
..... Survey No
..... City District.....
State.....Pin code.....
Police Station..... Railway Station or Steamer
Ghat.....
Phone.....E-mail.....Fax.....
7. The premises consist of following facilities:
(i) Manufacture, Conversion facilities
(ii)No. of storehouses
8. The licence is granted subject to the provision of Explosives Act 1884 as amended from time to time and the Ammonium Nitrate Rules, 2011 framed there under and the conditions, additional conditions and annexure.
- (1) Drawings (showing site, constructional and other details) as stated in serial no. 5 above.
- (2) Conditions and Additional Conditions of this licence signed by the Chief Controller of Explosives or Licence Issuing authority.
9. This licence shall remain valid for a period of five years from the date of issuance.
This licence is liable to be suspended or revoked for any violation of the Explosives Act 1884 or Ammonium Nitrate Rules, 2011 framed there under or the conditions of this licence, if the authorized premises are not found conforming to the description shown in the plans and annexure attached hereto.
The20....
Signature,
Designation and seal [Chief Controller of Explosives or Licence issuing Authority.

SPACE FOR ENDORSEMENT OF RENEWALS

Statutory Warning: Misuse of Ammonium Nitrate shall constitute serious criminal offence under the law.

CONDITIONS

1. The manufacture or conversion of Ammonium Nitrate shall be done from the plant shown on approved plan attached with licence.
2. The possession or storage of Ammonium Nitrate shall be done in the approved godown or melt storage tank shown on the approved plan attached with the licence.
3. The quantity of Ammonium Nitrate on the premises or any part thereof shall not exceed at any one time the quantity for which licence has been issued.
4. Destruction of spilled or sweeping of Ammonium Nitrate : The waste Ammonium Nitrate collected from sweeping or spilled shall be destroyed by the licence holder and account thereof shall be maintained indicating the quantity of the Ammonium Nitrate destroyed.
5. The licence holder and every person employed in or about the manufacture, conversion premises shall take all due precautions for the prevention of accidents by fire or explosion in the manufacture, conversion premises and for preventing unauthorised person from having access to the manufacture, conversion premises or to the Ammonium Nitrate therein and shall abstain from any act whatsoever which tends to cause fire or explosion and is not reasonably necessary for the purposes of work in the manufacturing, conversion premises.
6. No additions and alterations shall be carried out in the authorized premises without a previous sanction in writing of the Chief Controller of Explosives or Licence Issuing authority.
Such additions and alterations so sanctioned shall be shown in the amended plan attached to the licence.
7. The licence holder shall appoint a qualified and competent person to supervise the manufacturing, conversion process and to conduct the operations in accordance with these rules.
8. The licence holder, occupier, qualified and competent persons shall undergo and also organise workshops and training programmes regularly for safety and security awareness and for knowledge for their own as well as their sub-ordinates and shall record the same.
9. Free access to the authorized premises shall be given at all reasonable times to any inspecting officer and all facilities shall be offered to the officer for ascertaining that the provisions of the Act and these rules and the safety conditions are duly observed.
10. If the Chief Controller of Explosives or Licence Issuing authority or the inspecting officer informs in writing, the holder of the licence

to execute any repairs or to make any additions or alterations to the authorized premises or carry out recommendations, which are in the opinion of such authority may pose unacceptable risk and therefore the same is necessary for the safety or security of either on-site or off-site of the premises or persons, the holder of the licence shall execute the recommendations and report compliance within the period specified by such authority.

11. Accidents by fire or explosion and losses, shortage or theft of Ammonium Nitrate shall be immediately reported to the nearest police station, the District Authority and local office of the District Authority, Chief Controller of Explosives or Licence Issuing Authority.
12. Ammonium Nitrate shall be stored in attached storehouse(s) packed in suitable bags and duly marked as per Rule 9 of Ammonium Nitrate Rules, 2011.
13. The quantity of ammonium Nitrate manufactured or converted or possessed shall not exceed the limit prescribed in the licence.
14. Licence holder engaged in manufacture, conversion, stevedoring, bagging, possession, sale, use, transport, import and export of Ammonium Nitrate shall maintain records in the prescribed formats specified in Schedule II Part 3 to ensure accountability, identification and traceability of Ammonium Nitrate and shall produce such records on demand to authority specified in Rule 49.
15. The licence holder shall submit monthly returns of Ammonium Nitrate manufactured or converted, stevedored, bagged, received, sold or transported or used or destroyed or imported or exported to the District Authority in the form prescribed in Form R-7 Part 3 of Schedule II so as to reach the Chief Controller of Explosives or Licence issuing Authority and District Authority within tenth day of every succeeding quarter.

Signature,

Designation and seal of Chief Controller of Explosives or
Licence Issuing authority.

**LICENCE
FORM P-2**

(See Rule 34 of Ammonium Nitrate Rules, 2011)
Licence for Stevedore and bagging of
Ammonium Nitrate

Photograph
of the licence
holder or occupier
with signature

Licence No.....

Annual Fees Rs.....

1. Licence is hereby granted to:

Name:

Postal address:.....

.....City

District.....State.....Pin code.....

Police Station..... Railway Station or Steamer

Ghat.....

Phone.....E-mail.....Fax.....

2. Status of licence holder:

3. Licence is valid for the following purpose: Stevedoring, bagging
involving unloading Ammonium Nitrate from ship, transport to his
authorized godown and bagging.

4. Licence is valid for the stevedoring, bagging of following quantity
of Ammonium Nitrate:

(a) Quantity of Ammonium Nitrate at any one time

(b) Quantity of Ammonium Nitrate per month

5. The authorised premises shall conform to the following drawing(s):

Drawing No.dated.....

6. The authorised premises are situated at following address:

.....Survey

No..... City

District.....State.....Pin code.....

Police Station..... Railway StationPort of

import.....

Phone.....E-mail.....Fax.....

7. The premises consist of following facilities:

(i) Bagging facilities

(ii) Storehouse

8. The licence is granted subject to the provision of Explosives Act
1884 as amended from time to time and the Ammonium Nitrate
Rules, 2011 framed there under and the conditions, additional
conditions and annexure.

(a) Drawings (showing site, constructional and other details) as stated in serial no. 5 above.

(b) Conditions and Additional Conditions of this licence signed by the District authority.

9. This licence shall remain valid for a period of five years from the date of issuance.

This licence is liable to be suspended or revoked for any violation of the Explosives Act 1884 or Ammonium Nitrate Rules, 2011 framed there under or the conditions of this licence, if the authorized premises are not found conforming to the description shown in the plans and annexure attached hereto.

The20 Signature, Designation and seal [District Authority]

SPACE FOR ENDORSEMENT OF RENEWALS

Statutory Warning: Misuse of Ammonium Nitrate shall constitute serious criminal offence under the law.

.....

CONDITIONS

- (1) The storage and bagging of Ammonium Nitrate shall be done in approved godown shown on approved plan attached with the licence
- (2) The quantity of Ammonium Nitrate on the premises or any part thereof shall not exceed at any one time the quantity for which licence has been issued.
- (3) Destruction of spilled or sweeping of Ammonium Nitrate: The waste Ammonium Nitrate collected from sweeping or spilled shall be destroyed by the licence holder and account thereof shall be maintained indicating the quantity of the Ammonium Nitrate destroyed.
- (4) The licence holder and every person employed in or about the manufacture, conversion premises shall take all due precautions for the prevention of accidents by fire or explosion in the manufacturing , conversion premises and for preventing unauthorised person from having access to the manufacture, conversion premises or to the Ammonium Nitrate therein and shall abstain from any act whatsoever which tends to cause fire or explosion and is not reasonably necessary for the purposes of work in the manufacturing conversion premises.
- (5) No additions and alterations shall be carried out in the authorized premises without a previous sanction in writing of the Licensing Authority. Such additions and alterations so sanctioned shall be shown in the amended plan attached to the licence.
- (6) The licence holder shall appoint a qualified and competent person to supervise the manufacturing, conversion process and to conduct the operations in accordance with these rules.

- (7) The licence holder, occupier, qualified and competent persons shall undergo and also organise workshops and training programmes regularly for safety and security awareness and for knowledge for their own as well as their sub-ordinates and shall record the same.
- (8) Free access to the authorized premises shall be given at all reasonable times to any inspecting or sampling officer and all facilities shall be offered to the officer for ascertaining that the provisions of the Act and these rules and the safety conditions are duly observed.
- (9) If the District authority or the inspecting officer informs in writing, the holder of the licence to execute any repairs or to make any additions or alterations to the authorized premises or carry out recommendations, which are in the opinion of such authority may pose unacceptable risk and therefore the same is necessary for the safety or security of either on-site or off-site of the premises or persons, the holder of the licence shall execute the recommendations and report compliance within the period specified by such authority.
- (10) Ammonium Nitrate shall not be sold by the licensee. The bagged Ammonium Nitrate shall be loaded only into licensed trucks of the importer under whose licence the Ammonium Nitrate is imported.
- (11) Accidents by fire or explosion and losses, shortage or theft of Ammonium Nitrate shall be immediately reported to the nearest police station and the District Authority and local office of the District Authority.
- (12) Ammonium Nitrate shall be stored in attached storehouse(s) packed in suitable bags and duly marked as per Rule 9 of Ammonium Nitrate Rules, 2011.
- (13) The quantity of ammonium Nitrate manufactured or converted or possessed shall not exceed the limit prescribed in the licence.
- (14) Licence holder engaged in manufacture, conversion, stevedoring, bagging possession, sale, use, transport, import and export of Ammonium Nitrate shall maintain records in the prescribed formats specified in Schedule I Part 3 to ensure accountability, identification and traceability of Ammonium Nitrate and shall produce such records on demand to authority specified in Rule 49.
- (15) The licence holder shall submit monthly returns of Ammonium Nitrate manufactured converted, stevedored, bagged, received, sold or transported or used or destroyed or imported or exported to the District Authority in the form prescribed in Form R-7 Part 3 of Schedule II so as to reach the District Authority within tenth day of every succeeding quarter.

Signature, Designation and seal of District Authority

LICENCE FORM P-3

(See Rule 34 of Ammonium Nitrate Rules, 2011)
Licence to Possess for sale or use of Ammonium Nitrate from a storehouse

Photograph
of the licence
holder or occupier
with signature

Licence No.....

Annual Fees Rs.....

1. Licence is hereby granted to:

Name:

Postal Address:..... City

District.....State.....Pin code.....

Police Station..... Railway Station or Steamer
Ghat.....

Phone.....E-mail.....Fax.....

2. Status of licence holder: Individual or company

3. Licence is valid for the following purpose:

(a) Possession and Sale or

(b) Possession and Use

4. (a) Licence is valid forquantity of Ammonium Nitrate
at any one time

(b)Quantity of Ammonium Nitrate to be purchased in a calendar
month

5. The authorised premises shall conform to the following drawing(s):

Drawing No.dated.....

6. The authorised premises are situated at following address:

.....
.....City

District.....State.....Pin code.....

Police Station..... Railway Station or Steamer
Ghat.....

Phone.....E-mail.....Fax.....

7. The authorized premises consist of following facilities:

.....
.....

8. The licence is granted subject to the provision of Explosives Act
1884 as amended from time to time and Ammonium Nitrate Rules,
2011 framed there under and the conditions, additional conditions
and the following annexure

- (1) Drawings (showing site, constructional and other details) as stated in serial no. 5 above.
- (2) Conditions and additional conditions of this licence signed by the Licence Issuing authority.

This licence shall remain valid for a period of five years from the date of issuance.

This licence is liable to be suspended or revoked for any violation of the Explosives Act, 1884 Act or rules framed there under or the conditions of this licence wherever applicable, referred to in if the licensed premises are not found conforming to the description shown in the plans and annexure attached hereto.

The20.... Signature, Designation and seal
[District Authority]

SPACE FOR ENDORSEMENT OF RENEWALS

Statutory Warning: Misuse of explosives shall constitute serious criminal offence under the law.

CONDITIONS 1. The Ammonium Nitrate shall be possessed or stored only in the approved godown or melt storage tank shown on the approved plan attached with the licence.

- (2) The quantity of Ammonium Nitrate on the premises or any part thereof shall not exceed at any one time the quantity for which licence has been issued.
- (3) Destruction of spilled or sweeping of Ammonium Nitrate: The waste Ammonium Nitrate collected from sweeping or spilled shall be destroyed by the licence holder and account thereof shall be maintained indicating the quantity of the Ammonium Nitrate destroyed.
- (4) The licence holder and every person employed in or about the manufacturing, conversion premises shall take all due precautions for the prevention of accidents by fire or explosion in the manufacturing, conversion premises and for preventing unauthorised person from having access to the manufacturing, conversion premises or to the Ammonium Nitrate therein and shall abstain from any act whatsoever which tends to cause fire or explosion and is not reasonably necessary for the purposes of work in the manufacturing, conversion premises.
- (5) No additions and alterations shall be carried out in the authorized premises without a previous sanction in writing of the District Authority. Such additions and alterations so sanctioned shall be shown in the amended plan attached to the licence.
- (6) The licence holder shall appoint a qualified and competent person to supervise the manufacturing, conversion process and to conduct the operations in accordance with these rules.

- (7) The licence holder, occupier, qualified and competent persons shall undergo and also organise workshops and training programmes regularly for safety and security awareness and for knowledge for their own as well as their sub-ordinates and shall record the same.
- (8) Free access to the authorized premises shall be given at all reasonable times to any inspecting or sampling officer and all facilities shall be offered to the officer for ascertaining that the provisions of the Act and these rules and the safety conditions are duly observed.
- (9) If the District authority or the inspecting officer informs in writing, the holder of the licence to execute any repairs or to make any additions or alterations to the authorized premises or carry out recommendations, which are in the opinion of such authority may pose unacceptable risk and therefore the same is necessary for the safety or security of either on-site or off-site of the premises or persons, the holder of the licence shall execute the recommendations and report compliance within the period specified by such authority.
- (10) Accidents by fire or explosion and losses, shortage or theft of Ammonium Nitrate shall be immediately reported to the nearest police station and the District Authority and local office of the District Authority.
- (11) Ammonium Nitrate shall be stored in attached storehouse(s) packed in suitable bags and duly marked as per rule 9 of Ammonium Nitrate Rules, 2011.
- (12) The quantity of ammonium Nitrate manufactured or converted or possessed shall not exceed the limit prescribed in the licence.
- (13) Licence holder engaged in manufacture, conversion, stevedoring, bagging, possession, sale, use, transport, import and export of Ammonium Nitrate shall maintain records in the prescribed formats specified in Schedule I Part 3 to ensure accountability, identification and traceability of Ammonium Nitrate and shall produce such records on demand to authority specified in Rule 49.
- (14) The licence holder shall submit monthly returns of Ammonium Nitrate manufactured, converted, stevedored, bagged, received, sold or transported or used or destroyed to the District Authority in the form prescribed in Form R-7 Part 3 of Schedule II so as to reach the District Authority within tenth day of every succeeding quarter.

Signature, Designation and seal of District
Authority

LICENCE
Form P-4

(See Rule 34 of Ammonium Nitrate Rules, 2011)
Licence to transport Ammonium Nitrate In a Truck or Melt tanker

Photograph
of the licence
holder or occupier
with signature

Licence No.....

Annual Fees Rs.....

1. Licence is hereby granted to:

Name:

Address:.....

..... City District.....

State..... Pin code.....

Police Station..... Railway Station or Steamer
Ghat.....

Phone.....E-mail.....Fax.....

2. Status of licence holder:

3. Particulars of truck or melt tanker:

(a) Registration No..... Name of registered
owner..... Engine No..... Chassis
No.....

4. Make and model.....

© Unladen weight.....

5. Maximum laden weight.....

6. Maximum quantity of Ammonium Nitrate licenced for
transport..... (MT)

7. Name and Driving license no. of the driver.....

8. The licence is granted subject to the provision of Explosives Act 1884
as amended from time to time and the Ammonium Nitrate Rules, 2011
framed there under and the conditions annexed

9. This licence shall remain valid for a period of five years from the
date of issuance.

This licence is liable to be suspended or revoked for any violation of
the Act or rules framed there under or the conditions of this licence or
if the authorized premises are not found conforming to the description
shown in the plans and annexure attached hereto.

The20.... Signature, Designation and seal of District
Authority

Statutory Warning: Misuse of explosives shall constitute serious
criminal offence under the law.

SPACE FOR ENDORSING RENEWALS

Conditions

- (1) This licence is not transferable.
- (2) This licence or its authenticated copy shall at all times be kept in the van and produced on demand by an inspecting officer.
- (3) Ammonium Nitrate shall not be transported with any explosives, inflammable substances, oil, carboneous matter etc.
- (4) The driver or operator of a truck or melt tanker carrying or containing an Ammonium Nitrate shall not stop unnecessarily or for a longer period than is reasonably required, and shall avoid stops or places where public safety is in danger:

Provided that where a truck or melt tanker transporting or containing Ammonium Nitrate is parked over night due to breakdown of truck or melt tanker or any reasons beyond the control of the driver, the premises in which the truck is parked-

- (a) shall not be used for any purpose that might give rise to the presence therein of an open flame, matches or any substance or article likely to cause explosion or fire;
- (b) shall be away from any habitation of any go down containing articles of a flammable nature or other hazardous goods:

Provided further that the nearest police station shall be informed about the location and temporary parking of the truck.

- (5) A truck or melt tanker while transporting Ammonium Nitrate shall be adequately secured at the expense of the licence holder. If the consignment of Ammonium Nitrate is likely to pass through sensitive areas notified by the Ministry of Home Affairs, it should be escorted by armed police escort or guard, provided by the District Police Administration.
- (6) Ammonium Nitrate melt shall be transported in specially designed tankers with discharge faucets duly sealed by the melt supplying firm. The melt supplying firm shall issue quality control certificate indicating clearly the concentration factor of the melt. The converter shall verify that the seal on discharge faucet is intact and verify concentration factor of Ammonium Nitrate.
- (7) Transport of Ammonium Nitrate in sensitive area notified by Ministry of Home Affairs shall not be allowed during the period of Sunset to Sunrise.
- (8) No smoking and no fire or artificial light or any article capable of causing fire shall be allowed on the truck carrying Ammonium Nitrate or Ammonium Nitrate melt.

- (9) The truck or melt tanker shall not be used for carrying passenger.
- (10) The Truck or melt tanker, while Ammonium Nitrate are being loaded or unloaded or transported shall always be under the charge of competent person who shall be experienced in handling of Ammonium Nitrate and fully conversant there under. Where the truck is not driven by the licence holder, a document signed by the licence holder naming persons authorised to drive and accompany the truck shall be carried in the truck and produced on demand to an inspecting officer.
- (11) The Ammonium Nitrate shall be loaded into the truck or melt tanker only at the authorized premises of consignor and unloaded from the truck at the licenced premises of the consignee.
- (12) The licence holder shall maintain account of Ammonium Nitrate transported in Form R- 4 and present the same on demand by an inspecting officer.
- (13) Free access shall be given at all reasonable times to any inspecting or sampling officer and every facility shall be afforded to the officer for ascertaining that the provisions of the Act or these rules and these conditions are duly observed.
- (14) Accidents by fire or explosion and losses, shortage or theft of Ammonium Nitrate shall be immediately reported to the nearest police station and the District authority and local office of the District authority.
- (15) Licence holder engaged in manufacture, conversion, stevedoring, bagging, possession, sale, use, transport, import and export of Ammonium Nitrate shall maintain records in the prescribed formats specified in Schedule I Part 3 to ensure accountability, identification and traceability of Ammonium Nitrate and shall produce such records on demand to authority specified in Rule 49.
- (16) The licence holder shall submit monthly returns of Ammonium Nitrate manufactured, converted, stevedored, bagged, received, sold or transported or used or destroyed or imported or exported to the District Authority in the form prescribed in Form R-7 Part 3 of Schedule II so as to reach the District Authority within tenth day of every succeeding quarter.

Signature, Designation and seal of District Authority

.....

LICENCE
Form P-5

(See Rule 34 of Ammonium Nitrate Rules, 2011)
Licence to import or export Ammonium Nitrate

Photograph
of the licence
holder or occupier
with signature

Licence No.....

Fees Rs.....

1. Licence is hereby granted to

Name:

Postal

Address:.....

.....City

.....District.....State.....Pin

code..... Police Station..... Railway Station or

Steamer Ghat.....Phone.....E-

mail.....Fax.....

2. Status of Licence Holder :

3. Licence is valid for the following purpose:

4. Licence is valid for the following kinds and quantity of Ammonium Nitrate:

(a) For import

Weight in Metric Tonnes of Ammonium Nitrate imported	Whether in bulk or in bagged form	Consignor's name and address	Licence number of the store house or houses of the consignee	Port of import	Mode of import	Particulars of Stevedoring Agent licence No. under Ammonium Nitrate Regulation 2010

(b) For export

Weight in Metric Tonnes of Ammonium Nitrate to be exported	No. of the bags	Consignee's name and address or Country's details	Licence number of the store house of the consignor	Port of export	Mode of export

5. The licence is granted subject to the provision of Explosives Act 1884 as amended from time to time and the Ammonium Nitrate Rules, 2011 framed thereunder and the conditions annexed.

6. This licence shall remain valid till(maximum one year from the date of issue).

This licence is liable to be suspended or revoked for any violation of the Act or rules framed there under or the conditions of this licence. The20....

Signature, Designation and seal of Chief Controller of Explosives or Licence Issuing Authority.

Conditions

- 1) The Ammonium Nitrate imported shall be removed to the licensed stevedore's godown and bagged in water proof bags.
- 2) Each Ammonium Nitrate bag shall be serially numbered with the identification logos or emblem of the importer and the stevedorer.
- 3) The import licence holder shall take delivery of the bagged Ammonium Nitrate and shall deliver at the licensed place of the seller or user.
- 4) The stevedoring agent shall maintain records of Ammonium Nitrate received and dispatched to each importer to ensure accountability, identification and traceability and file returns. Each bag of Ammonium Nitrate shall be marked by stevedoring agent in accordance with Rule 9.
- (5) No Ammonium Nitrate other than those licenced under this licence shall be imported.
- (6) The quantity of Ammonium Nitrate imported shall not exceed that authorised by this licence.
- (7) No ship or boat containing Ammonium Nitrate imported on the strength of this licence shall bring to and no such Ammonium Nitrate shall be unloaded or trans-shipped from any ship or boat except at the port authorised by this licence.
- (8) The licence holder shall comply with all the rules and regulations in force at the port of import mentioned in this licence.
- (9) The owner and master of the ship or boat in which Ammonium Nitrate are imported on the strength of this licence, shall, if and when required by an inspecting authority or the custom's authority having jurisdiction over the place of importation, allow such inspector or officer to take for examination samples of any Ammonium Nitrate so imported.
- (10) Free access shall be given at all reasonable times to any inspecting or sampling officer and every facility shall be afforded to the officer for ascertaining that the provisions of the Act or these rules and these conditions are duly observed.
- (11) Accidents by fire or explosion and losses, shortage or theft of Ammonium Nitrate shall be immediately reported to the nearest police station and the District Authority and local office of the

District authority and Chief Controller of Explosives or Licence Issuing Authority.

- (12) The quantity of ammonium Nitrate exported or imported or possessed shall not exceed the limit prescribed in the licence.
- (13) Licence holder engaged in manufacture, conversion, stevedoring, bagging, possession, sale, use, transport, import and export of Ammonium Nitrate shall maintain records in the prescribed formats specified in Schedule II Part 3 to ensure accountability, identification and traceability of Ammonium Nitrate and shall produce such records on demand to authority specified in Rule 49.
- (14) The licence holder shall submit monthly returns of Ammonium Nitrate manufactured, converted, stevedored, received, sold or transported or used or destroyed or imported or exported to the Chief Controller of Explosives or Licence Issuing Authority and District Authority in the form prescribed in Form R-7 Part 3 of Schedule II so as to reach the District Authority within tenth day of every succeeding quarter.

Signature, Designation and seal of Chief Controller of Explosives or Licence Issuing Authority.

RETURNS

FORM R-1

(See Rule 35 of Ammonium Nitrate Rules, 2011)

Application for Renewal or revalidation of licence

(See also note below before filling up the form)

From :-----

To

Dear Sir,

1. I,..... on behalf of apply for renewal of licence number.....in form.....for the period from..... to... ..and furnish the following information :

During the last five years—

(i) I was or we were—

(a) not convicted or convicted and sentenced for.....for following offences.....

(b) not ordered or ordered to execute under Chapter VIII of Code of Criminal Procedure, 1973, a bond for keeping peace or for good behaviour.

- (c) Not issued any direction from the Court in connection with the above said licence or certificate. (Give details if answer in affirmative)
- (ii) Licence or certificate No.....in Form.....granted under the Act and these rules to me or us were cancelled or not renewed by the Licence Issuing authority.
2. I or We also enclose the following documents:
- (i) Licence or certificate No.....in Form.....together with approved plans and schedules.
- (ii) Renewal fee of Rs.....by bank draft of.....(name of issuing bank) bearing numberdatepayable in favour of.....
3. I or We confirm that I or we shall inform you about the court's order or direction, interim or otherwise, if any issued in connection to the licence for which renewal is being applied, failing which I or we shall commit a punishable offence.
4. I or We hereby certify that
- (i) the above particulars given by me or us are correct.
- (ii) I am or we are aware that if Ammonium Nitrate is illegally transferred by me or us to any unauthorised person(s), I or we shall commit a punishable offence.
- (iii) I am or we are aware that if I or we conceal any material information relevant to this application, I or we shall commit a punishable offence and in addition, any administrative action can be taken against me or us.

Signature of Licence holder

(Authorised person in case of company)

Place..... Date of application

Notes.— (1) The complete renewal or revalidation application should reach the renewal authority before the expiry date of licence or certificate, to avoid payment of late fees.

(2) Strike out the inapplicable portion.

FORM R-2

(See Rule 14 of Ammonium Nitrate Rules, 2011)

Form of account to be maintained by a licence holder**Accounts of Ammonium Nitrate manufactured, converted**

Note. - This record should be kept up to-date.

Licence number..... in Form of Ammonium Nitrate Rules, 2011 Date	Batch numbers	No. of bags.
1	2	3

Total quantity of Ammonium Nitrate manufactured , converted	Remarks	Signature of person in-charge or licence holder	Name and address of melt supplier	Whether full yield achieved
4	5	6	7	8

person in charge

Signature of Licence Holder or

FORM R-3

(See rule 18(1)(a) of the Ammonium Nitrate Rules, 2011)

Declaration to be submitted to the Chief Controller by an importer on despatch of Ammonium Nitrate from the place or port of loading

Name and address of the importer	Import licence number granted by Central Government and quantities of Ammonium Nitrate permitted to be imported and date of expiry of the licence.	Import licence number granted by Chief Controller and date of expiry of licence	Name and address of the manufacturer of Ammonium Nitrate

Quantities of Ammonium Nitrate on the ship.

Name and address of consignor	Place or port of despatch	Name of ship and date of sailing.	Place or port of import	Likely date of arrival

Date of manufacture	Batch number	Quantity	Number of packages

Signature of Importer

Date :
Place:
Company)

(Authorised person in case of a

.....
Name in full.....
Address.....
.....

.....

FORM R-4

(See rule 18(1)(b) of the Ammonium Nitrate Rules, 2011)

Importer's despatch Schedule

This declaration should be filled up and forwarded in triplicate to Chief Controller as soon as any consignment of Ammonium Nitrate is cleared from the place or port of import.

Name and address of importer	Import licence number granted by Chief Controller under Ammonium Nitrate Rules and date of expiry of licence	Name and address of the manufacturer of Ammonium Nitrate

Particulars of despatch from place or port of import.

Name and address of licensee to whom Ammonium Nitrate were despatched	Licence number and Form	Quantity of Ammonium Nitrate despatched	
		Quantity	Number of packages

Name and address of consignor	Quantity of Ammonium Nitrate imported	Place or port from which Ammonium Nitrate were forwarded	Name of ship	Date of arrival and place or port of import

Batch number and date	Date of despatch	Mode of despatch
-----------------------	------------------	------------------

Date:..... Signature of importer.....
(Authorised agent in case of company)

..... Name in full

..... Address

FORM R-5

(See Rule 14 of Ammonium Nitrate Rules, 2011)

Form of account to be maintained by a Stevedoring Agent
Accounts of Ammonium Nitrate stevedored, bagged and dispatched
Note. - This record should be kept up to-date.

Licence number..... in Form of Ammonium Nitrate Rules, 2011 Date	Name of the Ship from where bulk Ammonium Nitrate unloaded on behalf of importer	Name and address of the importer giving his import licence No.
1	2	3

Quantity of Ammonium Nitrate unloaded from the ship either in bulk or large size bags or container	No. of the bags in which Ammonium Nitrate has been repacked	Total quantity of Ammonium Nitrate repacked in bags	No. of bags or quantity of Ammonium Nitrate dispatched to the importer	Date of dispatch of packed Ammonium Nitrate to importer
4	5	6	7	8

Name and address of the Transporter and his Licence No.	Registration No. of the truck through which Ammonium Nitrate dispatched	Quantity of Ammonium Nitrate Spilled, collected and sent for reprocessing to converter	Pass No.
9	10	11	12

Signature of Licence Holder or person Incharge

FORM R-6

(See Rule 14 of Ammonium Nitrate Rules, 2011)

**Form of records to be maintained by a Licence Holder
Records of Ammonium Nitrate or Melt transported by truck or tanker**

Note - This record should be kept up to date.

Licence number... in Form of Ammonium Nitrate Rules, 2011 Date	Name, address and Licence number of the consignor	Place of loading	Quantity transported		Truck or Tanker Registrati on No.	Name Address and Licence No. of the Driver
			Ammoniu m Nitrate in bags	Ammoniu m Nitrate Melt		
1	2	3	4		5	6

Pass No.	Name, address and licence number of the consignee	Place of unloading	Date unloading of Ammonium Nitrate Melt	Remarks
7	8	9	10	11

Signature of Licence Holder or person Incharge

.....

FORM R-7

(See Rule 14 of Ammonium Nitrate Rules, 2011)

**Form of account to be maintained by a licence holder
Accounts of sale of Ammonium Nitrate**

Note - This record should be kept up to date. Entries should be made daily and as and when Ammonium Nitrate is sold.

Licence number... in Form of Ammoniu m Nitrate Rules, 2011 Date	Opening Balance	Quantity of Ammoniu m Nitrate	Batch Number	Name, address and Licence Number to whom Ammoniu m Nitrate is sold	Mode of Transport , Truck No. and Transport ers Licence No.	Pass number
1	2	3	4	5	6	7

Closing balance	Remarks	Signature of licence holder or person in charge
8	9	10

FORM R-8

(See Rule 14 of Ammonium Nitrate Rules, 2011)

Form of account to be maintained by a licence holder
Accounts of Ammonium Nitrate used by licence holder

Note - This record should be kept up to date. The entries should be made daily and as soon as Ammonium Nitrate are issued for use or unused Ammonium Nitrate are returned.

Licence number..... in Form of Ammonium Nitrate Rules, 2011 Date	Quantity used	Signature of licence holder or person in charge
1	2	3

FORM R-9

(See Rule 14 of Ammonium Nitrate Rules, 2011)

Return of Ammonium Nitrate

Received, used, sold, destroyed and stolen during the month
of.....

in respect of the Ammonium Nitrate storehouse or store house of
.....situated at..... District
.....State.....

Licence number in Form of Ammonium Nitrate
Rules, 2011

1. Opening balance on the 1st day of the quarter:
2. Account of Ammonium Nitrate:

Particulars of Ammonium Nitrate received

Date	Quantity	Name, address and licence number of suppliers from whom Ammonium Nitrate was received	Pass No.
1	2	3	4
1.			
2.			

3. Total quantity of Ammonium Nitrate used or sold during the quarter

Date	Quantity	Name, address and licence number of suppliers from whom Ammonium Nitrate was received	Pass No.
1	2	3	4
1.			
2.			

4. Particulars of Ammonium Nitrate destroyed during the quarter

Date	Quantity	Reasons for destruction
1	2	4
1.		
2.		

5. Particulars of Ammonium Nitrate stolen or short received.

Date	Quantity
1	2
1.	
2.	
3.	
4	

Quantity	Whether theft or loss reported to police and District Authority if so, give reference	Remarks
3	4	5
1.		
2.		
3.		
4		

FORM R-10

(See Rule 26(2)(a) of Ammonium Nitrate Rules, 2011)

Form of indent for Ammonium Nitrate

Place.....

Date.....

To

.....

.....

.....

Dear Sir,

Kindly supply the following quantities of Ammonium Nitrate to me or us:-

Quantity :

I or We hold a licence number.in Form.....of Ammonium Nitrate Rules, 2011 for possession for sale or use of following quantities of Ammonium Nitrate:

Quantity :

The above mentioned licence is valid till.....

*The licence is sent herewith for necessary endorsement as required under rule.... of Ammonium Nitrate Rules, 2011. The licence may please be returned after the endorsement.

I or We solemnly declare that

(a) the receipt of Ammonium Nitrate indented will not result in the licensed quantity being exceeded; and

(b) no identical indent has been placed with any other supplier

*The Ammonium Nitrate may please be handed over to my or our- authorised representative whose signatures are attested below:

Attested

Signature of Licence holder.

Signature of Licence
holder
(Consignee)

*Strike out whichever is not applicable.

FORM R-11(a)

(see rule 20(3) of Ammonium Nitrate Rules, 2011)

Form of intimation to be given by the consignor to the District Superintendent of Police before delivery of consignment of Ammonium Nitrate.

1. Quantity of Ammonium Nitrate proposed to be despatched
2. Number of packages or bags
3. The Ammonium Nitrate proposed to be transported by vehicle
Registration No.
4. Name and address of consignee
5. Number and validity of Consignee's licence to store
Ammonium Nitrate
6. Consignee's indent number and date
7. Name and addressed of the authorised person who will
receive the consignment
8. Date of despatch of consignment.....

Signature of the consignor
Licence number
Licence Form ...

FORM R-11(b)

(See Rule 21(3)(b) of Ammonium Nitrate Rules, 2011)

Pass issued by the consignor for transport of a consignment of Ammonium Nitrate.

1. No.....
2. This pass covers.bags containing following
Ammonium Nitrate or Ammonium Nitrate Melt
 - (a) No. of bags
 - (b) Quantity
 - (c) Batch No. and date
 - (d) Name of manufacturer, converter
 - (e) Stevedoring agent unique no.
 While in transit fromto.....
3. The Ammonium Nitrate is being transported by truck or tanker
numberrunning under transporters Mors.
.....having Licence number

4. Name and address of consignee
5. Number and Form of Consignee's licence
6. Consignee's order number and date and quantity of Ammonium Nitrate ordered
7. Consignee's letter number and date intimating readiness to receive Ammonium Nitrate.
8. Date of despatch of consignment
9. Approximate date on which consignment should reach the destination.

Signature of the consignor

Licence Number
Licence Form ...

CERTIFICATES

Form C - 1

(See Rule 18(2)(b) of the Ammonium Nitrate Rules, 2011)

Declaration to be made by the master of a ship carrying Ammonium Nitrate before entering a port or by the ship's agent.

1. Name of ship.....
2. Date of Arrival at.....Port.....

Description of Ammonium Nitrate	Date of manufacture batch number and other distinguishing marks cases	Total quantity carried Kilogramme or Cases	Quantity to be landed at port Kilogramme or Cases	Remarks

Date :

Signature of Master or Agent of Ship

C-2**Format of no objection certificate****(See Rule 33)****Subject: No objection certificate under the Ammonium Nitrate Rules, 2011**

No.....

Date.....

With reference to the application No. Datedsubmitted by.....and in pursuance of rule 33 of the Ammonium Nitrate Rules, there is no objection for granting licence under the Ammonium Nitrate Rulesto

Shri or Mrs. of address..... for the following purpose, kinds and quantities of Ammonium Nitrate in the premises at Survey No. or Gat No. or Khasra No....., Village Taluka.....

District State.....as shown in the site plan duly endorsed and enclosed herewith.

1. Purpose :

2. Quantities of Ammonium Nitrate :

(a) at any one time :

(b) in one month :

Signature of the no objection certificate issuing authority with his office seal

(District Magistrate or Director General of Mines Safety)

SCHEDULE III

Table-1

Table of safety distances (in metres) for ammonium Nitrate storages
Concept-half of zz category

Quantity Kilograms	To and in between storage	To and between process buildings	To Railway or Road	To Dwelling houses, offices, factories etc
50	5	9	11	23
100	6	11	17	23
150	7	12	20	23
200	7	12	20	23
300	7	12	20	23
400	7	12	20	23
500	5	12	20	25
600	7	12	20	27
700	7	12	20	30
800	7	12	20	33
1000	7	14	20	37
1250	7	16	22	43
1500	7	18	24	48
1750	8	21	27	53
2000	8	22	28	57
2500	9	26	28	65
3000	9	27	28	71
3500	9	28	31	76
4000	10	31	41	82
4500	10	33	43	86
5000	11	34	45	90
6000	11	37	48	98
7000	12	39	52	103
8000	12	41	55	109
10000	13	45	59	118
12500	14	48	64	128
15000	15	52	70	140
17500	16	54	73	145
20000	17	57	76	151
25000	18	61	82	163
30000	19	65	87	172
35000	20	69	92	182
40000	21	72	95	190
45000	21	74	99	197
50000	22	77	103	205

60000	24	82	109	217
70000	25	86	115	229
80000	26	94	120	249
90000	27	94	125	249
100000	28	97	129	258
112500	29	101	135	269
125000	30	105	139	277
136000	31	107	144	287
150000	32	112	147	295
175000	34	117	157	312
200000	36	122	163	325

[F. No. 17(12)/2007-Expl.]

CHAITANYA PRASAD, Jt. Secy.